खण्ड-270, अंक-3
शुक्रवार, 11 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(2 दिसम्बर, 1966 ई0)

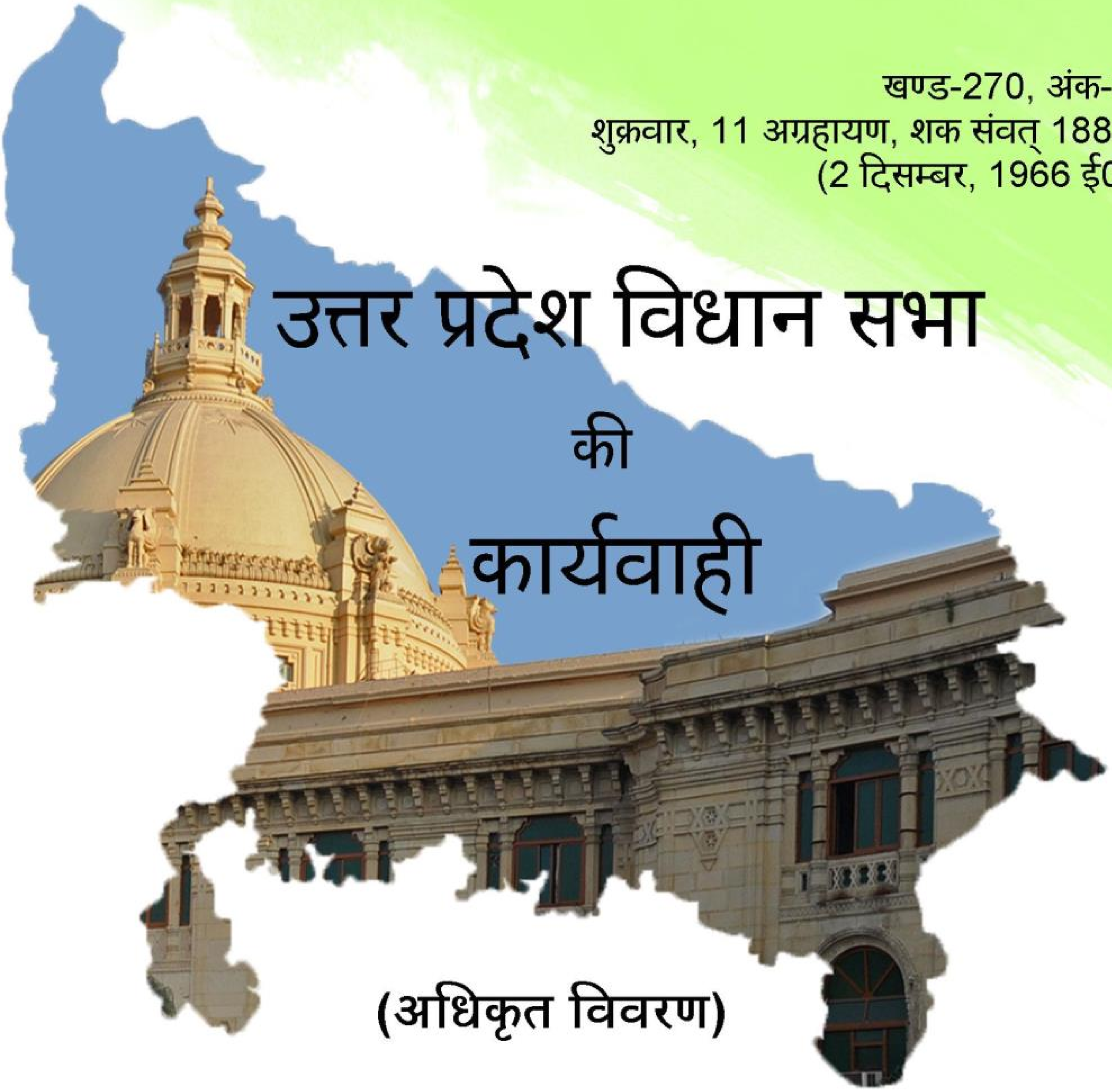

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दल समी, श्री
अब्दल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श श्री
इन्द्रपाल, श्री
ईश्वरशरण श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मनिहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जयमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री उपनाम अक्कन,
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री,

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवजनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिव मूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री

सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजपाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, गृह मंत्री, श्री हर गोविन्द सिंह, गृह उप मंत्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री डाक्टर राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

घाघरा पर बड़हलगंज में पीपे के पुल का निर्माण

*१---श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि गोरखपुर इलाहाबाद राजमार्ग पर बड़हलगंज में घाघरा नदी पर जो ठेका चल रहा है उसे फिर बढ़ाने का विचार चल रहा है, और क्या अगस्त में ही बढ़ने की बात है ? यदि हां, तो वहां अयोध्या से पीपे ले जाने के आदेश के बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

बड़हलगंज फेरी का ठेका ३०-९-१९६६ को समाप्त हो रहा था परन्तु घाघरा नदी में बरसात के कारण सितम्बर, १९६६ तक पुल बन कर तैयार होने की सम्भावना नहीं थी। अतः मौजूदा ठेके की अवधि तब तक के लिये बढ़ा दी गई जब तक कि पीपे का पुल बन कर तैयार न हो जाय।

*२---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या से कितने पीपे बड़हलगंज में घाघर पर पुल के लिये पहुंच गये हैं और यह आदेश किस तारीख को किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

अयोध्या से बड़हलगंज ११६ पीपे लाये गये हैं। इसका आदेश ७ अप्रैल, १९६६ को दिया गया था।

*३---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीपे का पुल कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

पीपे का पुल बन कर तैयार हो गया है और ८ नवम्बर, १९६६ से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

श्री कल्पनाथसिंह—

बड़हलगंज में पक्के पुल बनाने का जो सवाल है उसके बारे में क्या प्रगति है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे पास इस समय केवल पीपे के पुल की सूचना है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

गोरखपुर पुल के संबंध में भारत सरकार और इस सरकार दोनों की यह दिलचस्पी है कि यह पुल जल्द बने लेकिन उसके संबंध में उनको जानकारी नहीं है । इतने महत्वपूर्ण स्थान पर पुल बनाने की योजना कई वर्षों से खटाई में पड़ी है, इसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जानकारी सब कुछ है लेकिन इस सवाल के सिलसिले में ही सारी सामग्री मैं लाया हूं । अगर आप पक्के पुल का सवाल पूछ लेंगे तो उसकी सामग्री प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

फतेहपुर में डिप्टी कलेक्टर के निवास स्थान की छत गिर जाना

*४—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में डिप्टी कलेक्टरों के रहने के लिये जिन मकानों का निर्माण हो रहा है वह कब प्रारम्भ किये गये और उनमें से कितने अब तक बन गये और कितने नहीं बने ? उक्त निर्माण व्यय का क्या तखमीना है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जिला फतेहपुर में डिप्टी कलेक्टरों के रहने के लिये केवल एक आवास का निर्माण होना था । यह निर्माण जनवरी, १९६५ में आरम्भ हुआ और लगभग पूरा हो चुका है । इस निर्माण व्यय का तखमीना २६,०८० रु० है ।

*५—श्री दीपनारायण सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जो उक्त डिप्टी कलेक्टरों के निवास हेतु बनने वाले मकानों में से एक मकान का निर्माण पूर्ण हो चुका था और जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर को रहने के लिये कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाने वाली थी उसके पोर्टिकों की छत फिर से तुड़वा डाली गई है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या इस सम्बन्ध में कोई दीवानी का मुकद्दमा भी ठेकेदार ने दायर किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं । ठेकेदार ने पोर्टिकों की छत को गलत ढंग से उचित अधिकारियों की गैर मौजूदगी में डाल दिया था और उसी समय वह छत झुक गई थी इसलिये अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश से इस छत का टेस्ट वजन रख कर स्वयं ठेकेदार द्वारा कराया गया जिसके फलस्वरूप वह गिर गई । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की ११ अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार ने कोई दावा दीवानी में दायर नहीं किया है ।

*६—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार उक्त डिप्टी कलेक्टरों के रहने हेतु बनाये जाने वाले उक्त मकानों की तामीर में देरी, छत के खराब होने या तोड़े जाने में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों के कार्यों की जांच करायेगी और जल्दी ही उक्त भवनों का निर्माण भी करायेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

पोर्टिको की छत, जिसे ठेकेदार ने गलत ढंग से बनवायी थी के पुनः निर्माण कराने के कारण मकान बनने में देरी हुई है इसलिये अधिकारियों के कार्यों की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि क्या छत के खराब होने या तोड़े जाने में जो गड़बड़ हुयी, उसमें ठेकेदार की कुछ बदमाशी है और उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी कुछ गड़बड़ी की है जिसके कारण सरकार का ज्यादा धन खर्च हुआ और फलस्वरूप डिप्टी कलेक्टरों के रहने के मकान निर्मित नहीं हो सके ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, मकान बनाये जाते हैं लेकिन कभी कभी जो मकान बनाये जाते हैं उनमें कमी रह जाती है, वह दूर करवा ली जाती है। पहले छत झुक गयी थी उसको सही कर दिया गया है। उसमें किसी की बदमाशी तो जाहिर नहीं होती। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन्क्वायरी करालें तो ... वैसे तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती है।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि क्या वे इस गड़बड़ी की जांच किसी अधिकारी द्वारा या सी० आई० डी० द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? आप विश्वास रखिये कि इसमें गड़बड़ी हुई है और सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या छत को ठीक कराने और पोर्टिको की छत को तुड़वाने में सरकार को कुछ रुपया देना पड़ा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस समय मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीमेंट या टेन्डर में इन मकानों को पूर्ण रूप से बनवाने के लिए कितना समय दिया गया था ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मुझ को इसकी जानकारी नहीं है। सूचना की आवश्यकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अभी मन्त्री जी ने यह फरमाया है कि इमारतें जो बनायी जाती हैं, उनमें जरूरत के मुताबिक तरमीम की जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका नक्शा तो पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर ने ऐप्रूव कर दिया था तो फिर कौन सी जरूरत आ गई कि तोड़-फोड़ की ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अक्सर ऐसा हो जाता है कि कहीं असावधानी हो जाती है, छत टेढ़ी हो जाती है...

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि कुछ त्रुटि रह गयी थी उस को उस ठेकेदार ने फिर से बना दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

छत बनाते समय सीमेंट सही लग जाय तो गड़बड़ नहीं होती है। आज कल रेत लगाते हैं जिससे ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस अधिकारी की देख रेख में ये मकान बने और उसकी जिम्मेदारी किस के सर पर सरकार डालने जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इंजीनियर जो था उसने ही तो देखा और उसी ने कहा कि ठीक करो।

जिला परिषद्, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं को हटाना

*७—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको पता है कि शाहजहांपुर में १०० अध्यापिकाओं को जोकि जूनियर हाई स्कूल तथा विद्याविनोदनी और पांचवां पास थीं, निदेशक महोदय ने शिक्षा संस्थाओं से अलग कर दी हैं, जिससे कन्याओं की समस्त पाठशालाओं में अध्यापिका न होने से बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई है और स्कूल बिना अध्यापिकाओं के हैं ? और क्या यह भी सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करने के लिये सरकार को लिखा है ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

शाहजहांपुर जिला परिषद् ने आडिट आपत्ति के फलस्वरूप ४८ ऐसी अध्यापिकाओं को जो न्यूनतम शैक्षक योग्यता (जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास) नहीं रखती थीं, ३१-५-१९६६ से सेवा से पृथक कर दिया। इस प्रकार जो स्थान रिक्त हुए हैं, उन्हें भरने के लिए परिषद् को आवश्यक निदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

शासन को जिला विद्यालय निरीक्षक से ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा गया हो।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष नार्मल तथा जे० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु जितनी लड़कियां चुनी गईं उनमें शाहजहांपुर की कोई रहने वाली नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस वर्ष बी० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु शाहजहांपुर जिले की रहने वाली या जो इस समय अस्थाई रूप से शाहजहांपुर जिले में रह रही हैं, १२९ लड़कियां मुख्य तथा प्रतीक्षा सूची के लिये चुनी गई हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिला परिषद् को क्या आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

उनको यह आदेश दिये गये हैं कि जुनियर हाई स्कूल पास लड़कियों से उन स्थानों को भर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी जब तक नयी अध्यापिकाएं नहीं मिलती हैं तब तक पुरानी अध्यापिकाओं को मौका देंगे ?

डाक्टर राम नारायण पान्डेय—

श्रीमन्, यह तो संभव न होगा। वे तो दर्जा ४–५ पास हैं और कुछ ६४ के बाद की विद्याविनोदिनी हैं। उस जिले में हाई स्कूल पास और जूनियर हाई स्कूल पास लड़कियां काफी मिलती हैं और उस समय तक अनट्रेन्ड लड़कियों से काम लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पहली अध्यापिकाओं को आपने निकाल दिया है और नयी रखी नहीं गयीं हैं, इस बीच के पीरियड में आपने क्या इन्तजाम किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

५०–५५ साल के बूढ़े अध्यापकों को रखने का प्रावीजन कर दिया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मन्त्री जी उन अनट्रेन्ड लड़कियों को ट्रेन्ड कराने की व्यवस्था करेंगे जिनको रखा गया है ताकि आगे चल कर ट्रेन्ड हो कर वे मुस्तकिल काम करने लगें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चूंकि हम हर साल उनका चुनाव करते हैं और वह उसमें ले ली जाती हैं और जो नहीं ली जाती हैं उनकी शैक्षिक योग्यता के कारण मजबूरी होती है।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो योग्यता भी प्राप्त नहीं किये हैं और जूनियर हाई स्कूल भी पास नहीं हैं ऐसी जो टीचर्स पढ़ाती हैं उनके बारे में क्या सोचा है ? क्या वह भी ट्रेन्ड की जायंगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

यह जो रिटायर्ड टीचर्स को ५० साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूलों में काम करने की इजाजत दे दी है तो क्या इस तरह के आदेश पूरे प्रदेश में लागू करने की कृपा करेंगे या ऐसा किसी विशेष स्थान के लिये ही किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह आदेश तो सारे सूबे के लिये है कि जो बुजुर्गवार टीचर्स हैं और जहां अध्यापिकायें नहीं हैं वहां उनके द्वारा पढ़ाने की इजाजत दे दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या इन जिला निरीक्षकों या जिला परिषद् के अध्यक्षों को मंत्री जी ऐसी हिदायत देंगे कि जहां हाई स्कूल पास लड़कियां पढ़ाने को नहीं मिलती हैं और उनकी जगह कम पढ़ी हुई पढ़ाने को मिलती हैं तो उन्हीं को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करा के और उन्हें ट्रेन्ड करके उनको मुस्तकिल किया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जूनियर हाई स्कूल कम से कम योग्यता है उससे कम योग्यता वालों का विचार करना सम्भव नहीं है। जूनियर हाई स्कूल पास को ही [illegible] सुविधा देते हैं और हर तरह की ट्रेनिंग उनके लिये खली है, अधिक सर्विस वा[illegible] भी है और कम वालों के लिये भी है। रिक्रूटमेंट या चुनाव समिति द्वारा वह ले [illegible] जाती हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन ४८ टीचर्स को निकाला गया उनको निकालने के वक्त क्या क्वालिफिकेशन रखी गई थी और फिर कम क्वालिफिकेशन वालियों को क्यों रखा गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह योग्यतायें तो सदैव से वही हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है। बाकी काम चलाने के लिये कम योग्यता वाली समय-समय पर रख ली जाती हैं लेकिन आडिट आब्जेक्शन होने पर उन को निकालना आवश्यक हो गया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

मंत्री जी ने बताया कि निम्नतम शिक्षा योग्यता जूनियर हाई स्कूल है तो जो पुरानी जूनियर हाई स्कूल पास थीं उनको क्यों निकाला गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह जूनियर हाई स्कूल पास नहीं थीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ट्रेन्ड टीचर्स न मिलने का एक कारण यह भी है कि उनको अपने स्थान से पूरा तब्दील कर दिया जाता है और वह स्तीफा देकर हट जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो अध्यक्ष, जिला परिषद् को देखना है। बाकी हमारे यहां से तो यही प्रयत्न है कि अपने स्थान से नजदीक ही प्राइमरी टीचर्स रखी जायं।

गुन्नौर तहसील में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र

*९—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं के गांवों का सर्वे कराने की कृपा करेगी कि गंगा नदी की इस वर्ष की बाढ़ से कितने गांव क्षतिग्रस्त हुये ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

इस वर्ष गुन्नौर तहसील के ६० ग्राम गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए।

*१०—श्री जुगलकिशोर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांवों में मौजूदा वसूलयाबी रोकने, लगान माफ करने तथा अन्य किसी रूप में आर्थिक सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाढ़-ग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी एवं तकावी की वसूली ३ माह के लिये स्थगित कर दी गई।

सहारनपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*११—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक लक्सर तथा ब्लाक नारसन, जिला सहारनपुर की २४ व २५ जुलाई, सन् १९६६ को भारी वर्षा के कारण कितनी हानि मकानों, फसलों तथा बांध में हुई? क्या नुक्सान का अधिक वर्षा के अलावा कोई और भी कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विगत जुलाई, २४–२५ को अधिक वर्षा के कारण स्थानीय नदियों का तल ऊंचा होने के फलस्वरूप ब्लाक लक्सर तथा नारसन के ४ ग्रामों में १७७ परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए और ज्वार तथा मक्का की फसलों को कुछ हानि हुई। उत्तर रेलवे द्वारा डौसनी स्टेशन एवं ग्राम मुहम्मदपुर बुजुर्ग के बीच बनाया गया बांध २५ जुलाई, १९६६ को टूट गया।

अतिवृष्टि के फलस्वरूप आई बाढ़ के ही कारण उपरोक्त हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, हानि का, कोई अन्य कारण प्रतीत नहीं होता है।

*१२—श्री सईद अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिन लोगों को बहुत क्षति पहुंची है उनको क्या सहायता दी गयी है, और आगे क्या सहायता देने का विचार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किया गया और उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं दी गईं। इस क्षेत्र के बाढ़-पीड़ितों के लिये २,२६५ रु० अहेतुक सहायता तथा १२,००० रु० तकावी ऋण स्वीकृत किया गया।

प्रधान अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, फर्रुखाबाद द्वारा भेजी गयी छात्राओं की सूची

*१३—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजकीय बी० टी० सी० कालेज में छात्राओं को शिक्षण हेतु इस वर्ष जून या जुलाई, १९६६ में जिला चुनाव समिति की स्वीकृति के डिप्टी डाइरेक्टर (महिला), रीजन इलाहाबाद के पास स्वीकृति को जिले से भेजी गई थी? यदि हां, तो किसके हस्ताक्षर से किस तिथि में और किन-किन छात्राओं के नाम की?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद को प्रधान अध्यापिका, राजकीय कन्या परीक्षा विद्यालय, फर्रुखाबाद ने अपने पत्र दिनांक १४–७–१९६६ द्वारा छात्राओं की एक सूची भेजी थी। इसमें ४४ नाम मुख्य सूची में थे और १५ नाम प्रतीक्षा सूची में थे। सूची में किसी के हस्ताक्षर न थे। उस पर केवल अध्यक्ष, जिला परिषद् फर्रुखाबाद की सील थी। इस सूची के नाम संलग्न पालिका 'क' में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२१ पर।)

*१४—श्री महरामसिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सूची को डिप्टी डाइरेक्टर (महिला) रीजन, इलाहाबाद ने वैधानिक मानकर उसे स्वीकार कर लिया था? यदि हां, तो किस तिथि में किन-किन नामों को बी० टी० सी० के लिये स्वीकार किया था?

श्री कैलाश प्रकाश--

प्रधान अध्यापिका, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, फर्रूखाबाद द्वारा भेजी गयी उक्त सूची में से प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद ने ३३ नाम स्वीकार किये थे। यह स्वीकृति प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पत्र दिनांक २७-७-१९६६ द्वारा प्रधानाध्यापिका को भेजी गयी थी। ३३ छात्राओं की उक्त सूची 'ख' भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२२ पर।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, महाराजगंज पर अध्यापकों का अवशेष वेतन

*१--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, महराजगंज, जिला गोरखपुर के २४ अध्यापकों का कई मास का बकाया वेतन (३०,३९७.६७ रु०) कालेज पर बाकी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां। परन्तु सही अवशेष वेतन की धनराशि की छानबीन की जा रही है।

*२--श्री रक्षपालसिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ फरवरी, १९६६ के आसपास उक्त प्रश्न में उल्लिखित अध्यापकों का कोई सामूहिक स्मृति-पत्र कालेज में बकाया वेतन दिलाने के सम्बन्ध में शासन को मिला है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी, कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है।

मामले की छानबीन की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२३-४२५ पर।)

श्री रक्षपालसिंह--

जो प्रार्थना-पत्र अध्यापकों की ओर से आया है उसमें कितने अध्यापकों का वेतन है और उन्होंने कितने पैसे की मांग बतायी है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जो इनका प्रार्थना-पत्र आया है उसमें ३०,३९७.६७ रु० मांग की है और जो क्लेम किया गया है इस रुपये के अलावा वह ३२,१७१.९२ का है, यानी कुल ६२,६५९.८६ रु० का मामला है।

श्री रक्षपालसिंह--

यह कार्यवाही किसके द्वारा की जा रही है और कब तक पूर्ण हो जायगी, क्योंकि यह २९ अध्यापकों का ९ महीने का मामला है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें डी० आई० ओ०, उप-शिक्षा निदेशक और अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, तीनों के लेविल पर कार्यवाही चल रही है और रिपोर्ट शिक्षा निदेशक के यहां स्क्रूटिनाइज हो रही है और उसके बाद फैसला होगा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अध्यापकों का ३ फरवरी, १९६६ को ही आवेदन-पत्र आपके पास आ गया था, ९ महीने हो गये और वेतन का मामला है, कोई संगीन मामला उनके चरित्र का नहीं है, तो फिर छानबीन में इतनी देरी होने का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

देरी का यह कारण है कि जो रुपया अध्यापकों ने चाहा है, क्लेम किया है वह कुछ स्वीकार करता है मैनेजमेंट कि उन्हें देना है और जो हानि अध्यापकों के द्वारा मैनेजमेंट बताता है वह उससे ३२ हजार रु० अधिक है। तो यह मामला इसलिये रुका हुआ है कि इस रकम को दे देने के बाद ३२ हजार रु० अध्यापक दें मैनेजमेंट को या मैनेजमेंट का अनुपालन अनुदान काट करके अध्यापकों को दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

इसमें जो आरोप पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है उसमें यह लिखा हुआ है कि शिब्बन लाल तो कांग्रेस के एक वरिष्ट नेता हैं उनके द्वारा अध्यापकों का वेतन दिया ही नहीं जा रहा है, उन पर मुकदमा चला कर परेशान किया जाता है और वह उसके प्रबन्धक भी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शिब्बन लाल सक्सेना प्रबन्धक हैं। जहां तक आरोपों का सवाल है, जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जाय, कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अध्यापकों के जिम्मे रुपये बकाया कैसे होगा जब कि उनकी तनख्वाह नियत है और वह तनख्वाह मैनेजर ने नियत की है और सरकारी वेतन क्रम भी नियत है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सक्सेना जी का यह कहना है कि इन लोगों ने कालेज का फर्नीचर तथा समान नष्ट किया है। इसकी वजह से उनके वेतन से यह काटा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अध्यापक ने शिक्षा के सामान को नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट हुई, कोई मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो फिर किस प्रकार कहा जाता है कि मास्टरों ने नुकसान पहुंचाया और उसके एवज में उनको वेतन न दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मेरा यह कहना नहीं है, मैनेजर महोदय का यह कहना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री को है कि जिन मास्टरों का यह वेतन बकाया है उनके खिलाफ कई चार्जेज थे। एक तो यह कि उन्होंने उस स्कूल को छोड़ कर दूसरा स्कूल खोल लिया और यह मामला इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास इसलिये पड़ा

हुआ है कि एक तो उन्होंने बिना मैनेजर की आज्ञा के दूसरा स्कूल खोल लिया, दूसरे इस प्रकार की कार्यवाही एजूकेशन के नियमों के विरुद्ध है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह सही है कि इन अध्यापकों ने जो दूसरा स्कूल खोल लिया। उसको जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता भी प्राप्त हो गयी है और यह जो इतने अध्यापकों ने किया उसे विभाग समझ नहीं पा रहा है और इसीलिए इसमें छानबीन चल रही है ?

श्री अध्यक्ष---

इतनी देर तक छानबीन न हो कि वे भूखे मर जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

जैसा नरसिंहनारायण पांडेय जी ने कहा कि अध्यापकों ने मिल कर दूसरा स्कूल खोल लिया और वह कांग्रेस पार्टी का प्रचार उनसे करवाना चाहते थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस स्कूल को जो इन अध्यापकों ने खोला है उसको उच्चतर माध्यमिक स्तर की मान्यता दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं काशीनाथ जी का भ्रम निवारण कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा कर बैठ जांय। प्रश्न इतना है कि घपला अगर होता है तो इसके निर्णय में अधिक शीघ्रता होनी चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या यह बात सही है कि उन अध्यापकों ने जिन्होंने उस कालेज को क्षति पहुंचाई और उसके बाद आग लगाई उनकी तनख्वाह इसीलिए रोक दी गयी और उन्होंने जब यह समझा कि उनके खिलाफ गम्भीर चार्जेज हैं और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है तो उन्होंने दूसरा स्कूल कायम कर लिया और सरकार पर दबाव डाल कर और काशीनाथ ऐसे साथियों को लेकर उन्होंने वहां पर एक प्रकार का विभ्रम पैदा करने की कोशिश की ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

गदलपुर ग्राम में पट्टे पर दिये गये प्लाट

*३---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्डर नम्बर ८२६४/११/स्टेट-६८४१११, दिनांक १७ जनवरी, १९६५ को ग्राम गदलपुर, तहसील बासपुर, जिला नैनीताल में कुछ प्लाट कामर्शियल परपजेज के लिये एलाट किये गये थे ? यदि हां, तो वह किन-किन लोगों को दिये गये थे और किन-किन लोगों का कब्जा हो गया और जो लोग अब तक कब्जा नहीं कर सके उनका क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

शासन का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था। राजस्व परिषद् ने अपने २७ जनवरी, १९६५ के आदेश द्वारा ३५ × २५ भूमि का एक टुकड़ा दिवान चन्द गोपाल दास को पट्टे पर देना स्वीकृत किया था, पर परिषद् के इस आदेश को शासन ने १६ फरवरी, १९६६ के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया अतः कब्जा देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि उपरोक्त प्लाटों का मुआयना करने के लिये एम० आर० सी० और जिलाधीश मौके पर गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी परन्तु कब्जा देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न ३ के उत्तर में बताई गई स्थिति में कब्जा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास जो रिपोर्ट आयी है उसके बावजूद भी कुछ प्लाटों का कब्जा मिल गया है और कुछ का अभी तक नहीं मिला है, तो क्या जिनको कब्जा नहीं मिला है उनको कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, जिस प्लाट के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है उसके बारे में वहां के रहने वालों ने शिकायत की थी कि यह प्लाट सार्वजनिक हित के लिये अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि किसी कामर्शियल परपज के लिये दिया जाय। इसकी तहकीकात की गयी तो रिपोर्ट यह आयी कि वह सार्वजनिक हित के लिये ठीक नहीं है । यह भी छानबीन करने के बाद मालूम हुआ कि यह स्वीकृति जो राजस्व परिषद् से दी गयी है वह बगैर नीलाम कराये दी गयी है इसलिये वह निरस्त कर दी गयी है । अब आयन्दा कार्यवाही नये सिरे से हो सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा सवाल किसी एक प्लाट के लिये नहीं था, एक जनरल सवाल था लेकिन मंत्रीजी ने एक पर्टिकुलर प्लाट के बारे में कहा है । तो क्या मंत्रीजी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिस प्लाट के सार्वजनिक हित को देखते हुए रेवेन्यू बोर्ड ने आदेश दिया है और जिलाधीश का आदेश जारी है, उसका कब्जा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस प्लाट को नीलाम द्वारा उठाने की आज्ञा परिषद् ने मांगी थी जो उन्हें शासन द्वारा दे दी गयी है ।

कानपुर में सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध आरोप

*५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़), श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच), श्री दीपनारायण सिंह तथा श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

क्या यह सत्य है कि कानपर तहसील के शहरी क्षेत्र के सुपरवाइजर कानूनगों के द्वारा लेखपाल के जाली हस्ताक्षर बना कर फर्जी पट्टे तस्दीक करने, तथा फर्जी पट्टे को तस्दीक करके स्वयं तथा अपने सम्बन्धी व्यक्तियों के नाम भूमि प्राप्त करने के जालसाजी के आरोप प्राप्त हुए थे और जिन जालसाजी के गम्भीर आरोपों की जांच अतिरिक्त परगनाधीश, कानपुर ने माह जनवरी, १९६६ के पश्चात् की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त परगनाधीश की जांच को रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सत्य है कि कानपर तहसील के शहरी क्षेत्र के सपरवाइजर कानुनगो के विरुद्ध कुछ इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे जिनकी वैभागीय जांच जिला भूलेख अधिकारी, कानपुर द्वारा सन १९६५ में की गई थी । जांच में पाया गया कि सपरवाइजर कानूनगों ने अपने कर्तव्य का ठीक तौर पर अनुपालन नहीं किया था । जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा। ऐसा तो उस समय होता है जब कोई सुरक्षा का प्रश्न होता है लेकिन यह तो एक मामूली सा मामला है कि जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर न रखना ठीक नहीं है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तरह की गड़बड़ी उन्होंने की है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

कागजात को लिखा पढ़ो तथा अटेस्टेशन के बारे में शिकायतें की गई थीं और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अनयिमबतायें बरती थी। जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको दंड दिया जाय और कुछ इंक्रीमेंट रोक दिये गये हैं।

श्री झारखंडे राय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने फर्जी पट्टे को तस्दीक करके अपने तथा अपने सम्बन्धी व्यक्तियों के नाम जालसाजी करके भूमि प्राप्त की क्या यह आरोप सही है ? जिन्होंने जमीन प्राप्त की उनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं और उनका सम्बन्ध पोलिटिकल पार्टियों से है। क्या ऐसी कोई बात है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

किस पोलिटिकल पार्टी से उनका सम्बन्ध है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जालसाजी का प्रश्न नहीं है बल्कि उन्होंने कुछ अनियिमततायें बरती हैं इसलिये उनको दंड दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न है इसमें अपने तथा अपने सम्बन्धी व्यक्तियों के फर्जी जमीन प्राप्त करने के बारे में।

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उनको क्या दंड दिया गया ? क्या क्रिमिनिल केस उनके ऊपर चलाया गया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, इसमें जालसाजी का कोई सवाल नहीं है अनियमितताओं के लिये उनको दंड दिया गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या दंड दिया गया यह बताया जाय ?

श्री राम कुमार शास्त्री—

उनके इंक्रीमेंट रोके गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

फिर से पढ़ दीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कलेक्टर कानपुर ने उक्त सपरवाइजर कानूनगो की तीन वेतन वृद्धियां रोकने तथा चरित्र पुस्तिका में प्रतिकूल एंट्री देने के आदेश दे दिये हैं।

श्री दीपनारायणसिंह---

क्या मंत्री जी इन लिखी हुई चीजों के बारे में बतायेंगे कि लेखपाल के जाली हस्ताक्षर बना कर फर्जी पट्टे तस्दीक करने स्वयं तथा अपने सम्बन्धी व्यक्तियों के नाम भूमि प्राप्त करने के जालसाजी के आरोप प्राप्त हुए थे और जिन जालसाजी के गम्भीर आरोपों की जांच अतिरिक्त परगनाधीश कानपुर ने जनवरी, १९६६ के पश्चात की थी ? इसके उत्तर में आपके पास क्या जवाब आया आपके अधिकारियों से ? फर्जी पटटे तस्दीक हुए या नहीं ? किसी सम्बन्धी के नाम लिखा या नहीं ? इसका उत्तर क्यों नहीं दिया?

श्री रामकुमार शास्त्री---

मेरे पास जो इत्तला आयी है वह यह है कि कानूनगो ने कागजात में कुछ अनियमितता की है। मेरे पास कोई ब्यौरेवार इतला नहीं है। अनियमितता के सम्बन्ध में जांच करायी गयी और सजा दी गयी।

श्री झारखंडे राय---

जो आरोप है वह अनियमितता का नहीं है बल्कि जानबूझ कर जालसाजी करने का है। जो जबाव दिया जा रहा है उसको देखते हुए उनके जवाब में यह पंक्ति कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा क्या यह सही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जो विभागीय जांच हुआ करती है वह अर्द्धन्यायिक हुआ करती है। तो उसको जनहित में रखना उचित नहीं समझा जाता है।

श्री अध्यक्ष---

वह यह जानना चाहते हैं कि जो अनियमितता आप कहते है क्या वह इस प्रकार की है जैसी इसमे वर्णित है या उसका कोई ब्यौरा दे सकते हैं या नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

उसका ब्यौरा मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---

प्वाइंट आफ आर्डर समझिए या प्रिविलेज का प्रश्न समझिए जब कोई प्रश्न साफ-साफ पूछा जाय तो या तो उसका नाकारात्मक उत्तर आये कि कोई जालसाजी नहीं हुई है और अगर जवाब न दें तो माना जाय कि छिपाया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपको असंतोष है तो नियम ५० में इस सम्बन्ध में बहस हो सकती है।

श्री दीपनारायणसिंह---

जब प्रश्न साफ है तो उत्तर साफ आना चाहिए। साफ कहें कि जालसाजी नहीं है। छिपाने का अर्थ है कि वह अपराधी हैं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नोत्तर के विषय में यदि असंतोष हो तो नियम ५० के अन्तर्गत आध घंटे की बहस मांगी जा सकती है। मैं आपको नियम बता रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

बहस तो हो जायगी लेकिन वह कहते हैं कि जनहित में ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जब बहस होगी तब मैं देखूंगा।

प्रधान, गांव सभा ऐती के विरुद्ध कार्यवाही

*६—श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित), श्री झारखंडे राय, श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरराम

क्या सरकार कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११ नत्थी (ख) १८ मार्च, १९६६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेगी कि चकबन्दी एवं परगनाधीश, कानपुर के द्वारा प्रधान के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के क्या परिणाम निकले, प्रधान को आरोप-पत्र किस तिथि को दिया गया, तथा प्रधान को पदच्युत किस तिथि को किया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रधान के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में प्रधान को ११-१०-६५ को आरोप-पत्र दिया गया और ३१-१२-६५ को उन्हें पदच्युत करने का आदेश दिया गया। प्रधान द्वारा उच्च न्यायालय ने परगनाधिकारी के आदेश का क्रियान्वित करना रोक दिया है। याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

*७—श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित), श्री झारखंडे राय, श्री दीपनारायण सिंह तथा श्री रघुवीरराम—

क्या सरकार को उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में यह जानकारी है कि प्रधान तथा उसके परिवार को गांव सभा ऐती की जिन अराजी संख्या ८६ व २७५ से चकबन्दी अधिकारी कानपुर के द्वारा बेदखल किया गया है प्रधान ने पुनः यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट की धारा २८-सी का उल्लंघन करने उच्च गांव सभा की अराजियों पर दोषपूर्ण अध्यासन करने सरकारी लगान की आय को क्षति पहुंचा रहा है, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले प्रधान को पदच्युत करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रधान अथवा उसके परिवार के व्यक्तियों द्वारा इन दो खेतों पर पुनः कब्जा कर लेने की कोई सूचना सरकार को नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*८—श्री प्रेमसिंह, (अनुपस्थित) श्री झारखंडे राय, श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरराम—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ग्राम पलरा व ऐती, परगना व जिला कानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा अनियमितताओं के आरोपों से सम्बन्धित ग्रामवासियों पलरा का जो प्रार्थना पत्र ११ मई, १९६६ को उन्हें प्राप्त हुआ है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

११ मई, १९६६ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा जांच की गयी परन्तु प्रार्थना-पत्र मेंउल्लिखित त्रुटियां चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये पत्रों में नहीं पाई गयी।

प्रधान, गांव सभा बिनौर के खिलाफ आरोप

*९—श्री रघुवीरराम तथा श्री झारखंडे राय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभा बिनौर, परगना व जिला कानपुर के प्रधान ने वित्तीय वर्ष १९६१ से लेकर १९६६ तक वर्षवार गांव सभा की कितनी भूमि के पट्टे कौन से व्यक्तियों को किये कौन से व्यक्तियों से कितनी-कितनी धनराशि नजराने के रूप में ली

और उन पट्टों के द्वारा कितनी भूमि कौन से भूमिहीन कृषकों को प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

तालिका सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ४२६-४२७ पर)

१०---श्री रघुवीरराम तथा श्री झारखंडे राय---

क्या यह सत्य है कि गांव सभा बिनौर के प्रधान ने यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा २८-सी का उल्लंघन करके उक्त पट्टे के द्वारा अधिकांश भूमि अपने रिश्तेदारों तथा निजी व्यक्तियों के नाम एलाट की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए जबकि भूमिहीन कृषकों को भूमि देने में प्राथमिकता दी जानी चहिये तो भूमिहीन कृषकों को उक्त पट्टों के द्वारा दी गई भूमि को दिलाने की कार्यवाही करते हुए प्रधान के विरूद्ध उक्त अवैधानिक ढंग की कार्यवाही करने के अपराध मे कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

तहसीलदार, हंडिया के घर तलाशी

*११---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद की तहसील हंडिया तहसील में बहुत बड़ा गबन इस वर्ष हुआ है और उस गबन के आरोप में तहसीलदार हंडिया के निवास स्थान पर तलाशी हुई ? यदि हां, तो यह गबन कितने धन का है तथा तहसीलदार के यहां से कितने धन का सामान तथा धन बरामद हुआ ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जी, नहीं । तहसील में गबन नहीं हुआ ।

श्री कल्याण चन्द्र मोहिले---

क्या माननीय संत्री जी यह बतलायेंगे कि तहसीलदार, हंडिया के यहां तलाशी हुई या नहीं, और यदि हुई तो क्यों हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

हां, जरूर उसकी जांच की गयी । उनके खिलाफ एक कि शिकायत किसी सज्जन ने की थी कि उनके पास बहुत सा रुपया रखा है । जांच की गयी और वह जरूर मिला । श्री डी० पी० दुबे, श्री जी० डी० निगम तथा श्री गयासुद्दीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे । उस वक्त एक बक्सा वहां मिला, उसमें कुछ रुपया था ।

श्री कल्याण चन्द्र मोहिले---

यह तो बताइये आखिर कितना रुपया था ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

उस बक्से में सोने चांदी के गहनों के अतिरिक्त ३४,६०० रुपये के करेंशी नोट थे, २५ हजार ७५ रुपये के नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट और प्राइज बान्डस पाये गये और कुछ कपड़े इत्यादि भी बक्स में मिले । इसलिये इसको डबल लाक में जमा करवा दिया गया और श्री निगम का स्थानान्तरण कर दिया गया और इस मामले को जांच के लिये विजीलस कमीशन को सौंप दिया गया है ।

श्री सत्यनारायण पान्डेय--

तो क्या यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि यह सब हंडिया तहसील की धनराशि का गबन किया हुआ पैसा है या कैसा पैसा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इसकी तो जांच की जा रही है, जांच होने पर मालुम होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तहसीलदार साहब जी नौकरी की अवधि कितनी है ? उन्हें इस समय कितना रुपया वेतन मिलता है ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

जब उनके पास इतना अधिक रुपया और सोना चांदी बरामद हुआ है तो उनके खिलाफ धारा तीन के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

उस मामले को विजीलन्स को तो दे दिया गया है ।

श्री वैजनाथ पांडेय--

क्या मंत्री मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि यह अमेठी में भी रहे हैं या जहां-जहां भी रहे हैं उनके खिलाफ इसी प्रकार की गम्भीर शिकायतें रही हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

कोई व्यक्ति तहसील के खजाने में प्राइवेट प्रापर्टी नहीं रख सकता है, किन्तु इन तहसीलदार ने रखकर जो अनियमितता की है, इसको भी ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इसको विजिलन्स कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है और क्या किया जाय ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं माननीय मंत्री जी से मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में जानना चाहता हूं कि विजीलेंस कमीशन के पास प्राइमाफेसी जितने केसेज गये हैं, उसमें आजतक कोई प्रगति हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो कोई समय क्या सरकार निर्धारित करने की कोशिश करेगी कि जिससे मामलों की शीघ्र सुनवाई हो जाया करे ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें क्या कोई निश्चित समय कर देंगे ताकि जल्दी एन्क्वायरी हो सके ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इसमें जरूर जल्दी करने की कोशिश की जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप लोगों ने आपस म क्या बातचीत करके तय कर लिया उससे इस सदन को भी तो अवगत हो जाने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह आरोप ठीक नहीं है । मंत्री जी फिर बता दें ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैंने कहा है कि जांच अवश्य होगी ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

जो दरख्वास्त तहसीलदार के खिलाफ दी गयी थी उसमें मुख्य आरोप क्या थे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह शिकायत की गयी थी कि उनके पास काफी रुपया जमा है ।

कृषि समिति, मसनवादा का प्रार्थना-पत्र तथा नूरपुर छीबी ग्राम में चकबन्दी

*१२—श्री बसन्तसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कुलहड़िया सामूहिक सहकारी कृषि समिति मसनवादा, जिला बिजनौर का पत्र दिनांक ३० नवम्बर, १९६५ को प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त समिति को भूमि एलाट करने की प्रार्थना की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र निस्तारण के लिये जिलाधिकारी को भेज दिया गया ।

*१३—श्री बसन्तसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नूरपुर छीबी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर की चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें दिनांक ३० अक्तूबर, १९६५ को कोई शिकायत पड़ी मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, २८-१०-६५ का प्रार्थना पत्र मिला । जांच पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के आदेश का अमलदरामद कागजात में होना नहीं पाया गया । अमलदरामद कर दिया गया । चूंकि ग्राम में धारा ५२ की विज्ञप्ति हो चुकी है, सम्बन्धित खातेदार को लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत खतौनी की दुरुस्ती कराने की सलाह दे दी गयी है ।

इलाहाबाद-फतेहपुर के बीच जी० टी० रोड का विकास

*१४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच जी० टी० रोड का कितना भाग चौड़ा करने को रह गया है ? उसके चौड़ा करने का काम क्यों रोक दिया गया है तथा क्या सरकार उसे शीघ्र चौड़ा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच जी० टी० रोड का ५५ मील २ फर्लांग २५७ फीट के भाग को चौड़ा करना शेष है । इस कार्य के लिये कोई योजना स्वीकृत नहीं है अतः कार्य रोकने का प्रश्न नहीं उठता । भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था करने पर कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री रक्षपालसिंह—

कानपुर और इलाहाबाद के बीच में १२० मील का डिस्टेंस है उसमें १० फीट सड़क चौड़ी की गयी है । जी० टी० रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रान्तीय सरकार केन्द्र से लिखापढ़ी करेगी कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिये धन दिया जाय ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

हमने भारत सरकार को लिखा है, जैसे ही धन मिल जायगा सड़क चौड़ी करने का काम होगा ।

मंझनपुर तहसील में लगान में छूट

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष खरीफ की फसल में हुई क्षति के सम्बन्ध में जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के कृषकों को कितनी कितनी छूट दी गई ? क्या उसकी सूचना कृषकों को देकर शेष लगान वसूल किया जा रहा है, अथवा सम्पूर्ण बकाया सहित ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील में इस वर्ष अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है । छूट-स्थगन के प्रस्ताव तो अब आवेंगे । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर देने का सवाल नहीं उठता ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मेरा प्रश्न खरीफ की फसल के बारे में नहीं था, मेरा प्रश्न अगहनी और चैती के बारे में था । तो उसके बारे में देखकर ही मंत्री जी उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने पहले से ठीक से, प्रश्न को साफ किया होता तो यह गड़बड़ी नहीं होती ।

फर्म बनीराम, मूलचन्द कन्नौज पर बिक्री कर बकाया

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९४८ से अब तक फर्म बेनीराम मूलचन्द, कन्नौज पर कितना सेल्स टैक्स का रुपया बकाया हो चुका है और उन्होंने कितना अदा किया है ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

फर्म बेनी राम मूलचन्द, कन्नौज के ऊपर बिक्री कर का वर्ष १९४८ से १९६५-६६ तक कुल बकाया ५३,२३४ रुपये ४६ पैसे था, जिसमें से उक्त फर्म ने १३,३१२ रुपये ५० पैसे जमा कर दिया और बकाया ३९,९२१ रुपये ९६ पैसे रह गया ।

*१७—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त फर्म की इसी सम्बन्ध में, जायदाद की नीलामी की तिथि कितनी बार मुकर्रर की गई और फिर मोहलत कितनी बार दी गई तथा किन्कारणों से ?

श्री जयराम वर्मा—

उक्तफर्म की जायदाद की नीलामी की तिथि ७ बार मुकर्रर की गई और उनके मामले पर अन्तिम निर्णय न लिये जा सकने के कारण इन नीलामियों को रोकने के आदेश जारी करने पड़े।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस फर्म के मालिक श्री चन्द्र गुप्त कन्नौज नगरपालिका के कांग्रेसी चेयरमैन हैं इस कारण उनके ऊपर यह रुपया रोका गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

इस प्रदेश में बहुत से व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ी रकम बाकी है लेकिन वह किस पक्ष के हैं और किस राजनैतिक दल के हैं वगैर इस विचार के उनसे वसूली की कार्यवाही की जाती है और जितना वसूल हो सकता है किया जाता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और वह यह है कि क्या यह सही है कि श्री चन्द्र गुप्त जो इस फर्म के मालिक हैं वह कांग्रेसी चेयरमैन हैं कन्नौज नगरपालिका के या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

मुझको मालूम नहीं है कि इस फर्म के मालिक कौन हैं लेकिन वहां के चेयरमैन कांग्रेसमैन हैं।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस फर्म के मालिक पुराने, त्यागी और तपस्वी कांग्रेसी हैं इसलिये जो बकाया है उन पर उसको माफ कर दें।

(उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया।)

श्री रियासत हुसैन—

उनके ऊपर ३९ हजार रुपया बकाया है और ७ बार उनकी प्रापर्टी का नीलाम रोका गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा विषय है जिसके ऊपर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्नकर्त्ता को गलतफहमी हुई है। वह जो नीलाम की तारीख रोकी गई उसका कारण बतलाया गया है कि क्यों रोकना पड़ा। उनकी दरख्वास्त पर अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था इसलिये ऐसा किया गया। अब जो बकाया है उसका निर्णय हो चुका है और १८ किस्तों में वह रुपया वसूल किया जायगा।

श्री झारखंडे राय—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस फर्म पर और दूसरी फर्मों पर करोड़ों रुपया बाकी है जो वसूल नहीं हो रहा है किन्तु आम जनता से वसूल हो जाता है। यह डिस्क्रिमिनेशन की पावर क्यों है, क्या इसको सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, जो बकाया है उसके वसूल करने में पूरी सख्ती की जा रही है और वसूली में काफी तेजी भी हुई है, कोई डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है । रुपया वसूल करना है तो यह देखना होता है कि क्या कार्यवाही करने से वसूल होगा । केवल सजा देने से, जेल में भेज देने से अगर वसूल न होने वाला हो तो गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि चन्द्र गुप्त जो कांग्रेसी चेयरमैन हैं उनको १ लाख रुपया और सरकार की तरफ से उद्योग धंधों को चलाने के लिये कर्जा दे दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

जिस फर्म का जिक्र है क्या उसने डा० लोहिया के चुनाव में लगभग १ लाख रुपया दिया था ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

डा० लोहिया की तो खिलाफत की है उसने, वह तो केसकर के आदमी हैं ।

युद्ध में काम आये प्रयाग जिले के जवान

*१८—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि युद्ध में काम आये जवानों के परिवार वालों को सहायता देने का क्या नियम एवं आधार है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में किस ग्राम तथा तहसील के ऐसे कौन-कौन जवान थे जो कि चीन तथा पाकिस्तान गत युद्ध में काम आये थे तथा उनके परिवार वालों को यू० पी० सरकार से क्या क्या सहायता दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ऐसे परिवारों को सहायता नागरिक परिषद्, पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान तथा राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद् द्वारा नियंत्रित के 'Soldiers, Benevalent fund' माध्यम से दी जाती है । यह सभी संस्थायें गैर सरकारी हैं और सहायता का मापदंड उन्होंने ही निश्चित कर रक्खा है ।

प्रयाग जिले के युद्ध में काम आये जवानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. ४२८ पर ।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

यह सहायता देने का मापदंड क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

रिलीफ फंड के अफसरों के परिवार वालों को १००० रुपया और प्रत्येक जे० सी० ओ० के परिवार को ३०० और अदर रैंक्स को २०० रुपये की तात्कालिक सहायता दिलायी जाती है । यू० पी० आर्म्ड फोर्स संस्थान से १ हजार रुपया प्रत्येक अफसर के कुटुम्बियों को, जे० सी० ओ० के कुटुंम्बियों को ५०० और अदर रैंक्स को ४०० रुपये की सहायता दी जाती है ।

यह सहायता संस्थान के पास सूचना आने पर संस्थान के द्वारा भेजी जाती है ।

(३) यू० पी० सोल्जर्स वेनीवोलेन्ट फंड—यह फंड राज्य सैनिक परिषद् के पास उपलब्ध है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दिन में शासन के आदेश के अनुसार इस फंड से निम्नलिखित दर से ३७,३७० रुपये समस्त जिलाधिकारियों को युद्ध में काम आये जवानों के परिवारों को सहायता देने के लिये भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

शेष यह सब आप उनको दिखा दीजियेगा।

तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गोंडा पचपेड़वा रेलवे भूमि का एलाटमेंट

*१९—श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया वर्तमान सत्र के छवें शुक्रवार को निर्धारित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि गोंडा जिले में गोंडा से मनकापुर एवं पचपेड़वा तक भूमि किन-किन को दी गई है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

गोंडा से मनकापुर तक रेलवे भूमि किसी को नहीं दी गयी। गोंडा से पचपेड़वा तक रेलवे की भूमि ९५ व्यक्तियों को दी गयी है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. ४२९–४३१ पर।)

*२०—श्री शुकदेवप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त भूमि प्रदेश में किस आधार पर किसके द्वारा वितरित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

रेलवे की अतिरिक्त भूमि अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित की जाती है।

कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल पर बिक्री कर बकाया

*२१—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६३–६४, १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में प्रदेश में बिक्री-कर की कितनी धनराशि क्रमशः बकाया में रही और इन वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि राइट आफ कर दी गई ?

वित्त तथा शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

प्रदेश में वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में बिक्री कर का क्रमशः ११.७१, १२.७५ तथा १३.२५ करोड़ रुपये की धनराशि बकाया रही और इन वर्षों में क्रमशः ७.१५ व ९ लाख रुपये की धनराशि राइट आफ कर दी गई। यह संख्या पूर्णांकों में है।

*२२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल पर सरकार का अब तक कितना रुपया बकाया है और क्या उसकी वसूली रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल पर अब तक कुल ३८,८२७ रुपये बिक्री कर का बकाया है। इसकी वसूली हेतु जिलाधिकारी कानपुर ने मिल की चल सम्पत्ति कुर्क कर ली थी और उसकी नीलामी हेतु उचित कार्यवाही कर रहे थे। परन्तु इसी बीच मिल द्वारा उच्च न्यायालय में रिट पेटीशन फाइल करने पर उच्च न्यायालय ने नीलामी की कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिया है।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गौरी कलां में भूमि के पट्टे

*२३—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा, विकास खंड जसपुरा के ग्राम गौरीकलां में जनवरी, १९६५ से अब तक कुल कितने पट्टे और किस-किस के नाम कृषि भूमि के हुये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

दस पट्टे सर्वश्री बलवंत प्रसाद, जमुना, शिवगुलाम, परभू, सीताराम, बरदानी, रज्जन, भैयालाल, अंगद सिंह तथा श्रीमती तेजिया के नाम हुये हैं ।

*२४—श्री दौलतलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ग्राम में कितने पट्टे भूमिहीन हरिजनों को किये गये हैं और कितने पटटे सवर्ण जाति तथा जिनके पास बहुतायत कृषि योग्य भूमि है उन्हें किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पट्टा दिये गये व्यक्तियों में कोई भी हरिजन नहीं है । चार पट्टे भूमिहीनों को दिये गये हैं और छः ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास पहले से भूमि थी ।

गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० का काम

*२५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वाराणसी के कमिश्नर साहब ने गाजीपुर जिले के पी० डब्लू० डी० का काम निकम्मा होने के कारण, १९६६ में इसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठाई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गाजीपुर में पी० डब्लू० डी० का काम निकम्मा होने के कारण वाराणसी के कमिश्नर ने जांच की कोई कमेटी नहीं बनायी ।

हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडियेट परीक्षा में अंग्रेजी

*२६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस साल हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट का नतीजा इतना खराब आने का कारण क्या है और क्या नतीजे की खराबी की जांच हेतु कोई जांच समिति बैठायेंगे और खराब नतीजे के निवारणार्थ सुझाव लेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षाफल का प्रतिशत इस वर्ष भी लगभग उसी स्तर का है जैसा कि पिछले कुछ वर्षों का था अतः किसी जांच समिति के बैठाने की और उसके सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है ।

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में इस वर्ष अंग्रेजी में फेल छात्रों का क्या प्रतिशत है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

हाई स्कूल

			प्रतिशत
अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र	..	..	३९.१
अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र	..	..	४८.०

इन्टरमीडिएट

(१) अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र		..	५२.०
अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र		..	४८.१
अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र		..	३६.६
(२) सामान्य अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र	..	..	४८.१
सामान्य अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र	..	..	३८.८

राजकीय इण्टर कालेज, फतेहपुर के रसायन शास्त्र अध्यापक के विरुद्ध शिकायत

*२८—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर के रसायन शास्त्र के अध्यापक के विरुद्ध इन्टर की फाइनल परीक्षा के समय प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के गलत अंक दिलाने और परीक्षा समय में अपने हितैषी परीक्षार्थियों को लिखित उत्तर के नोट करानें व नकल कराने की कोई शिकायत जबानी या लिखित जिला फतेहपुर के विद्यालय निरीक्षक के पास पहुंची जिस पर उन्होंने प्रिन्सिपल महोदय को यह आदेश दिया था कि किसी भी विज्ञान के प्रश्न-पत्र के दिन उनकी ड्यूटी न लगायी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं ।

*२९—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री उक्त राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर के सन् १९६६ के परीक्षार्थियों के रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल व थ्योरी के अंकों की तालिका सदन की मेज पर रखेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल में अधिक अंक दिये गये हैं वे उसी विषय की थ्योरी में क्यों असफल हुये या कम अंक पाये ? क्या ऐसे परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का विशेष संबंध ट्यूटर होने या सहधर्मी होने का रसायन शास्त्र के अध्यापक से है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

संबंधित तालिका संलग्न है ।

यह देखा गया है कि उन सभी विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है अधिकांश छात्र लिखित परीक्षा के अनुपात में प्रयोगात्मक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं ।

रसायन शास्त्र के अध्यापक का ऐसे परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का संबंध होने की कोई सूचना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३२–४३४ पर) ।

[२ दिसम्बर, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़, जिले की महिला शिक्षा संस्थाओं में फीस माफी की क्षतिपूर्ति

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अजमगढ़ जिले के किन-किन उच्चतर माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों में कक्षा १० तक पढ़ने वाली छात्राओं की फीस की क्षति-पूर्ति वित्तीय वर्ष १९६५-६६ का मई, सन् १९६६ तक नहीं हुई है और क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

विद्यालयों की सूची 'क' संलग्न है ।

इन विद्यालयों के आवेदन पत्र विलम्ब से यानी अगस्त, १९६५ के बजाय मार्च, १९६६ में प्राप्त हुये ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३५ पर ।)

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफी की क्षति-पुर्ति आजमगढ़ जिले के किन-किन जूयिनर हाई स्कूलों की नहीं हुई है और क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

विद्यालयों की सूची 'ख' संलग्न है । इन विद्यालयों के आवेदन पत्र सितम्बर, १९६६ तक नहीं प्राप्त हुये ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में आजमगढ़ जिले के किन-किन उच्चतर माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा १० की छात्राओं को फीस माफी की पूर्ति का प्रथम क्वाटर दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विद्यार्थियों की सूची 'ग' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४३७ पर ।)

टांडा कालेज की अध्यापिका श्रीमती रामरती देवी के वेतन का भुगतान

*४—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री रियासत हुसैन—

आश्वासन समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन १९६६ के पृष्ठ संख्या ६८ पर अंकित आश्वासन संख्या ३८५/६१ के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती रामरती देवी, अध्यापिका, श्रीमती शकुन्तला देवी आर्य कन्या इन्टर कालेज, टांडा को प्रबन्धक के हिस्से के अतिरिक्त जो ६९९.४७ रुपया और मिलना चाहिये, वह अब तक न मिलने के क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमती राम रती देवी के बकाया वेतन भुगतान के विषय में शिक्षा निदेशक द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं । श्रीमती शकुन्तला देवी उक्त विद्यालय की अध्यापिका नहीं थीं । अतः उनके वेतन का प्रश्न नहीं उठता ।

पीलीभीत जिले में चकबन्दी लेखपालों की मुअत्तली

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान बन्दोबस्त (चकबन्दी) अधिकारी पीलीभीत ने इस स्थान पर पदभार ग्रहण करने के बाद कितने और कौन-कौन रेगुलर लेखपालों को मुअत्तल किया और किन-किन कारणों से फिर मय वेतन बहाल कर दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, पीलीभीत ने इस स्थान पर पदभार ग्रहण करने के बाद १८ निम्नलिखित रेगुलर लेखपालों को निलंबित किया

१—श्री एसास हुसैन
२—श्री हबीबुल्ला
३—श्री मोहम्मद अशरफ
४—श्री मोहम्मद यूनिस
५—श्री रियाशुल इसलाम
६—श्री गौरी शंकर
७—श्री जीसुख राम
८—श्री राम स्वरूप
९—श्री कृपा राम
१०—श्री राधेश्याम
११—श्री कुंवर सेन
१२—श्री राम चन्द्र लाल
१३—श्री ईश्वरी प्रसाद
१४—श्री कन्हई लाल
१५—श्री नेत राम
१६—श्री काली चरन
१७—श्री सफदर अली
१८—श्री अब्दुल वहीद खां ।

उपर्युक्त रेगुलर लेखपालों में से क्रम सं० १ से लेकर १५ तक आरोप सिद्ध न होने के कारण वेतन सहित पनः बहाल दिये गये और १६ से लेकर १८ तक लेखपाल आरोप सिद्ध होने के कारण सेवाओं से पृथक एवं विमुक्त किये गये ।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार इसी सदर्भ में यह भी बतायेगी कि उपरोक्त अधिकारी ने अब तक कितने चकबन्दी लेखपालों को अलग करके दुबारा मय वेतन बहाल किया और कितनों को मुअत्तल करके मय वतन बहाल किया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपरोक्त अधिकारी ने चार चकबन्दी लेखपालों को अलग करके उचित दंड देने के पश्चात सेवा समाप्ति का नोटिस वापस किया तथा आठ चकबन्दी लेखपालों को मुअत्तिल करके उचित दंड देने के पश्चात् मय वेतन बहाल किया ।

विश्वविद्यालय अध्यापकों का वेतन

*७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा संत्री का ध्यान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की उस घोषणा की ओर गया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन के संबंध में निर्देश दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधान सभा

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, इन वेतन क्रमों को शासन ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ की ग्रांट रोकना

*८—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कालेज कितने ऐसे हैं जिनकी ग्रान्ट सरकार द्वारा इस बिना पर रोकी गई कि उन्होंने अपने अध्यापकों व कर्मचारियों के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड में अपना भाग नहीं दिया और वह कालेज कौन-कौन से हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापकों के लिये प्राविडेन्ट फंड की योजना न लागू करने तथा एग्रीमैन्ट फार्म न भरवाने के कारण नारी शिक्षा निकेतन लखनऊ की ग्रान्ट रोकी गई है।

*९—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त डिग्री कालेजों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारिषों को कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फंड दिया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टैच्यूट्स में चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फंड का कोई नियम निर्धारित नहीं है।

वेतन सम्बन्धी विचाराधीन मामले

*१०—श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पेरेशनलाइजेशन समिति की रिपोर्ट से संबंधित जारी की गई राजाज्ञा संख्या जी०-१-२६३-एक्स १४३-१९६५, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ जिसके द्वारा कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने का तरीका बतलाया गया है, से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के लिये वित्त (सामान्य-१) विभाग को वेतन निर्धारण के हेतु कितने मामले भेजे गये और कितने मामले विचाराधीन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

नये वेतन मानों में वेतन निर्धारण से संबंधित सरकारी आदेश सं० जी० १-२६३।दस-१४३-१९६५, दिनांक २८-२-१९६६ से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के लिये विभिन्न विभागों ने ४९ मामले वित्त (सामान्य-१) विभाग को भेजे थे जिनमें से ८ मामले इस समय विचाराधीन हैं।

सचिवालय जलपान गृह

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में कितने जलपान गृह हैं और वे किस आधार पर खोले गये हैं ? क्या सरकार इन जलपान गृहों से किसी प्रकार की माहवारी किराया लेती है (जिसे फर्नीचर, बिजली, स्थान आदि) ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

विधान भवन में ६ जलपानगृह व एक चाय की गुमटी है। दो जलपानगृह विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत हैं। एक जलपानगृह गवर्नमेन्ट एम्पलाईज वैलफेयर कारपोरेशन के तत्वाधान में कुछ दिन पूर्व ही खोला गया है। उससे किराया बिजली आदि का व्यय वसूल

करने का प्रश्न नहीं उठता। बाकी जलपानगृह फरनीचर अपना-- रखते हैं, बिजली का व्यय स्वयं वहन करते हैं व स्थान का किराया भी उन पर लगाया गया है।

*१२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मोहमद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सस्ता सामान उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा वितरित किया जाता है, उसी प्रकार सहकारी समितियों द्वारा सचिवालय के अन्दर जलपान गृह की व्यवस्था करने की अनुज्ञाप्रदान करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकमसिंह विसेन--

गवर्नमेन्ट इम्पलाईज वेलफेयर कारपोरेशन के तत्वाधान में जो नया जलपानगृह सितम्बर, १९६६ में खोला गया है, वहां चाय व खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते दिय जा रहे हैं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

देवकली ब्लाक में अस्पताल की इमारत का ठेका

*१३--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार कृपया बतलायगी कि गाजीपुर जिला के देवकली ब्लाक के अस्पताल की इमारत बनाने के लिये कितने रुपये के कितने वर्क आर्डर पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा किस ठेकेदार को किस तारीख में दिया गया और यह कार्य कब पूर्ण हुआ और उसका पेमेन्ट कुल किस तारीख को किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

वांछित उत्तर संलग्न तालिका में हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

*१४--श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि ठेकेदार ने बहुत सी दरख्वास्तें इस संबंध में पी० डब्लू० डी० के चीफ इ० इं० तथा मंत्री जी को दी हैं कि जिला अभियन्ता उसे सामान बनाने के लिये नहीं दे रहे और वर्क आर्डर की साईज से बड़े कमरे आश्वासन देकर बनवाये गये ? घूस न देने के कारण इस बढ़ी हुई साइज का रुपया ठेकेदार को नहीं दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

श्री रमईसिंह के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

आजमगढ़ जिले में दरगाह-लाटघाट सड़क

*१५--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी और सगड़ी के घाघरा के दोनों देवारों को सीधी जोड़ने वाली सड़क (कच्ची) जो दरगाह से अमिला होते लाटघाट जाती है, के पक्के किये जाने पर चौथी योजना मे विचार हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं।

*१६--श्री झारखंडेराय--

यदि हां, तो कबसे काम शुरू होगा ?

श्री जगतप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता है ।

सदर तहसील में खतौनी

*१७—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि जिला मथुरा की तहसील सदर के १०० गांवों की खतौनी चकबन्दी कार्यालय से गायब हुई है ? इसका दोषी कौन है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१८—श्री कन्हैयालाल—

क्या मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के बाद जो खतौनी तैयार होती है उसी के आधार पर खतौनी से लगान निर्धारित किया जाता है ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? और ऐसी दशा में किसानों से वसूली किस आधार पर कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी के पश्चात् तैयार खतौनी में अंकित दर पर ही लगान वसूल किया जाता है । किसानों से उसी दर पर लगान वसूल किया जा रहा है ।

स्वर्णकार व विमुक्त जातीय उम्मीदवारों की ट्रेनिंग

*१९—श्री रक्षपालसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि स्वर्णकार व विमुक्त जाति के उम्मीदवारों को बी०टी०सी० की ट्रेनिंग व अशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति में अतिरिक्त आयु की छूट तथा निर्धारित योग्यता में रियायतें दी जायं ताकि इन वर्गों के लोगों को उचित स्थान मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रशिक्षण के लिए आयु बंधन से मुक्ति साधारणतः उन सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार कर दी जाती है जिनको मुक्ति के अभाव में वास्तविक कठिनाई हो सकती है । जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है नगरपालिकाओं में न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित है और न्यूनतम आयु में १ वर्ष और अधिकतम आयु में ५ वर्ष की छूट देने का प्राविधान है ।

जिला परिषदों के लिए नियम अभी बन रहे हैं ।

न्यूनतम शैक्षित योग्यता से किसी वर्ग विशेष को छूट दिया जाना संभव नहीं है ।

देहाती क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा

*२०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा हेतु देहाती क्षेत्रों में प्रदेश के पैमाने पर राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल के लिये कोई योजना बनाई गई है या सरकार बनाने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । ऐसी योजना बनाई गयी है ।

*२१—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि देहाती क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल वहां खोला जाय जहां दो-तीन एकड़ जमीन गांव की जनता की तरफ से मिल जाय ? यदि हां, तो वाराणसी में कितने स्थान ऐसे हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां ।

तीन स्थान ।

उपजिला परिषद्, भदोही को पाठशाला भवन अनुदान

*२२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् वाराणसी के अन्तर्गत संचालित विद्यालय भवनों के मरम्मत हेतु अनावर्तक अनुदान के संबंध में राज्य सरकार के पत्र-सं०सी०आई० ४६८४-(१) १५, दिनांक ३ जुलाई, १९६४ तथा स्मरण-पत्र संख्या डी०आई० ५६१२-१५-२००(१३) १९६३, दिनांक १४ सितम्बर, १९६४ के संदर्भ में जिला परिषद् वाराणसी द्वारा संबंधित विवरण दिनांक ३० जुलाई, १९६४ को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को जिसमें ७,२७,५०० रुपये की मांग की गई थी भेजा गया ? और पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा मांग होने पर वही विवरण जिला परिषद् वाराणसी ने अ०शा० पत्र-संख्या ६०२/१५-९, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६४ को भेजा गया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां।

उपजिला परिषद्, भदोही को फलस्वरूप ५०,००० रु० का अनुदान पाठशाला भवन निर्माण अथवा मरम्मत के हेतु स्वीकार किया गया ।

*२३—श्री नाथूराम शिक्षक—

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।)

इण्टरमीडियेट टेक्निकल परीक्षा की मान्यता

*२४—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन की इंटर टेक्निकल परीक्षा को किस-किस विश्वविद्यालय तथा बोर्ड ने इंटर विज्ञान के समकक्ष स्वीकार कर लिया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

१—अलीगढ़ विश्वविद्यालय ।
२—जबलपुर विश्वविद्यालय ।
३—रुड़की विश्वविद्यालय ।
४—दिल्ली विश्वविद्यालय ।
५—पूना बोर्ड ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विश्वविद्यालयों, परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षण संस्थाओं ने भी परिषद् की इंटरमीडियेट टेक्निकल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सुविधायें प्रदान की हैं ।

कक्षा ३ से ५ तक अंग्रेजी शिक्षा शुल्क

*२५—श्री राम सिंह शाक्य तथा श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश स्थानीय निकायों को जारी किया है जिसके द्वारा वह कक्षा ३ से लेकर कक्षा ५ तक के विद्यार्थियों से अंग्रेजी फीस अनिवार्य रूप से ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस आदेश को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

कक्षा ३,४ व ५ में ऐच्छिक विषय के रूप में केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से क्रमशः २५, ५० तथा ७५ पैसे मासिक शुल्क लेने के लिये स्थानीय निकायों को आदेश दिये गये हैं ।

यह शुल्क कक्षा के सभी बच्चों से अनिवार्य रूप से नहीं लिया जाता है ।

*२६—श्री रामसिंह शाक्य तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

[सचिवालय प्रशासन (विविध) विभाग को विभाग के निर्धारण हेतु भेजा गया।]

नेशनल फिटनेस कोर योजनान्तर्गत अध्यापक

*२७—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नेशनल फिटनेस कोर योजना कब से लागू हो गई है ? इनमें से कितने विद्यालयों में नियमानुसार ट्रेंड और कितनों में अनट्रेंड अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जुलाई १९६५ से १४२४ ट्रेंड तथा ३१८ अन्ट्रेंड अध्यापक कार्य कर रहे हैं ।

*२८—श्री कन्हैया लाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने एन० एफ० सी० की ट्रेनिंग ले ली है और उन्हें अभी तक किसी विद्यालय में नियुक्त नहीं किया है जब कि अन्ट्रेंड अध्यापक कुछ विद्यालयों में नियुक्त हैं ? सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

४३ व्यक्तियों ने । एन० एफ० सी० योजना अभी तक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है । अतः प्रदेशीय सरकार द्वारा नियुक्तियां करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उतरौला परगना में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*२९—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष परगना उतरौला जिला गोंडा के गौर, चवई बुजुर्ग, डूढ़िया, खजुहा ठाकुर डीह ग्रामों की बस्तियां आग से जल गई हैं और जनता को काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? आग पीड़ित लोगों को क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जी हां । सरकार ने अग्निकांडों से प्रभावित परिवारों के गरीब व भूमिहीन व्यक्तियों को २६० रु० की अहेतुक सहायता दी । कोई भी व्यक्ति तकावी लेने के लिये तैयार नहीं हुआ ।

एटा जिले में बी० टी० सी० की ट्रेनिंग

*३०—श्री गंगा प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सिंह शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि एटा जिला में बी० टी० सी० की ट्रेनिंग के प्रशिक्षार्थियों की जो सूची एक नियमानुसार निर्मित समिति ने योग्यता के आधार पर की थी उसका कोई खयाल न करके जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने खिलाफ कानून मनमाना ढंग से तथा रिश्वत लेकर एक नई सूची तैयार कर ली है जिससे जनता में भारी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो दोनों सूचियों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं ।

सूचियों को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३१–३३—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

(६ठे गुरुवार के लिये प्र० ८३–८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।)

बी० टी० सी० कालेज, मड़ियाहूं तथा केराकत

*३४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बी० टी० सी० कालेज, मड़ियाहूं व केराकत (जौनपुर) में प्रशिक्षार्थियों के शयन में प्रत्येक विद्यालय से कुल कितने छात्र लिये गये ? उसमें तृतीय श्रेणी में कितने व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

बी० टी० सी० कालेज मड़ियाहूं में ५३ तथा केराकत (जौनपुर) में ५२ प्रशिक्षार्थी लिये गये । चुने गये अभ्यर्थियों की योग्यता तथा श्रेणी के अनुसार विभाजन निम्नवत् हैं:—

श्रेणी	बी० टी० सी० कालेज का नाम	
	मड़ियाहूं	केराकत
हा० स्कूल प्रथम इंटर द्वितीय ..	२	२
हा० स्कूल प्रथम	—	१
हा० स्कूल द्वितीय इंटर द्वितीय	१३	६
हा० स्कूल द्वितीय इंटर तृतीय	१०	१३
हा०स्कूल तृतीय इंटर द्वितीय	२	२
हा० स्कूल तृतीय इंटर तृतीय	७	७
हा० स्कूल द्वितीय	१९	२१
	५३	५२

*३५—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त प्रश्न के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों के चयन में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था ? यदि हां, तो किस सिद्धांत का ?

श्री कैलाश प्रकाश—

चनाव में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण तथा हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान, कृषि, शिल्प आदि विषयों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की गई । अभ्यर्थियों को उनके व्यक्तित्व, अध्यापक पद के लिये उपयुक्तता, पूर्वलेख्य तथा जिला परिषद् व स्वावलम्बी स्कूलों में अध्यापन सेवा की अवधि के आधार पर वरीयता निर्धारित करके चुनाव सम्पन्न हुआ ।

गोंडा जिले में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*३६—श्री शांतिचन्द्र शक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कौन-कौन से हाई स्कूल व इंटरमीडियेट कालेज को मान्यता प्रदान की गई और किस वर्ष में किस मद में कितना अनुदान दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४३९–४४० पर)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों की हड़ताल

*३७—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग विश्वविद्यालय गैर अध्यापक कर्मचारियों द्वारा आजकल गत १६ जुलाई, १९६६ से चल रही हड़ताल किन मांगों के कारण हो रही है तथा उन मांगों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर दिनांक १६ जुलाई, १९६६ से २४ जुलाई, १९६६ तक हड़ताल की । उनकी प्रमुख मांगें संलग्न प्रपत्र (क) में दी हुई हैं । इन मांगों में से संख्या १, ३, ६, ७, १०, ११, १३, १४, आंशिक रूप में १५, १६ तथा १७ विश्वविद्यालय द्वारा मान ली गई हैं । संख्या ५ पर दी हुई मांग के सिद्धांत रूप से विश्वविद्यालय द्वारा मान ली गई हैं । शेष मांगें विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

नेशनल फिटनेस कोर ट्रेनिंग

*३८—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से अगस्त, ६५ में कितने लड़के एन०एफ०सी० की ट्रेनिंग के लिये सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरबाहा, मध्य प्रदेश को भेजे गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—

४२ लड़के और ११ लड़कियां ।

*३९—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन लोगों की ट्रेनिंग कब खत्म हुई और उसके बाद उन लोगों को वहां नौकरी दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—

३० अप्रैल, १९६६ को। नौकरी नहीं दी गई क्योंकि नियुक्ति के लिये शासन बाध्य नहीं है।

*४०—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि एक दूसरा बैच ८० लड़कों का उसी ट्रेनिंग के लिये फिर भेजा गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

दूसरा बैच ८८ प्रशिक्षार्थियों का भेजा गया है।

बख्शीपार ग्राम में चकबन्दी सम्बन्धी शिकायत

*४१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला इलाहाबाद के ग्राम बख्शीपार उर्फ एलेई के ग्राम वासियों ने चकबन्दी में हुई अनियमितताओं की ओर संचालक चकबन्दी, लखनऊ का ध्यान दिनांक ३ नवम्बर, १९६५ को अथवा उसके आस पास आकर्षित किया है ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों की शिकायतें थी और क्या थीं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दिनांक ३-११-६५ को चकबन्दी आयुक्त के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार के २ शिकायती-पत्र क्रमशः, दिनांक १-११-६५ तथा ५-११-६५ और २ शिकायती-पत्र, दिनांक ८-११-६५ को चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुये। इन में ग्राम बक्शीपार के खलिहान खाद के गड्ढे तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के स्थानों को भी चकों में शामिल किये जाने, कुछ काश्तकारों से पैसे लेकर अनुचित लाभ पहुंचाने तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक काटते समय नियमों का पालन न करने के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं।

अधिकतर अनियमितताओं का आपत्तियों तथा अपीलों में निराकरण हो गया है। इस संबंध में श्री इकबाल बहादुर, चकबन्दी लेखपाल की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविशिष्ट कर दी गई है।

दहगवां ग्राम समाज की भूमि

*४२—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र, १२ फरवरी, १९६४ को मिला है जिसमें शिकायत की गई है कि ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं की ग्राम समाज की उस भूमि पर श्री बांके लाल, ब्लाक प्रमुख आदि ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जिस भूमि पर लेखपाल रिकार्ड में भट्ठा दर्ज है लेकिन जिस पर पिछले तीन साल से कोई भट्ठा नहीं लगा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शिकायती-पत्र, १३ फरवरी, १९६४ को मिला था १२ फरवरी को नहीं।

*४३---श्री उल्फत सिंह---

क्या मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम समाज उस भूमि को छुड़ाने का प्रयत्न इस कारण नहीं कर रही है कि ग्राम समाज के प्रधान, श्री अशर्फी लाल स्वयं उस भूमि पर काबिज हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं ।

एम० एस० इण्टर कालेज, सिकन्दराबाद के विद्यार्थी को परीक्षा देने की अनुमति

*४४---श्री हिम्मत सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एम०एस० इंटर कालेज, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर से १९६५ के मार्च, अप्रैल मास में २५० विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोक दिये गये और एक वर्ष के लिये उक्त विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने का आदेश उत्तर प्रदेश बोर्ड ने दिया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त विद्यार्थियों में से अशोक कुमार, पुत्र डा० कैलाश चन्द्र शर्मा को १९६६ की परीक्षा म बैठने की अनुमति दी गई ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री कैलाश प्रकाश---

इंटर परीक्षा, १९६५ के केवल २१४ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल सामुहिक अनुचित साधन प्रयोग के संदेह में रोक लिया गया था । जिनमें से ९८ परीक्षार्थियों को १९६६ की परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया था । अशोक कुमार को उनके प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरान्त १९६६ की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी ।

जिला परिषद, फैजाबाद, में अध्यापकों का चयन

*४५---श्री राजाराम मिश्र, श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) तथा श्री रघुनाथ प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, फैजाबाद के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु स्थापित समिति ने अध्यापकों के चयन के लिये एक नियम बनाया था कि उच्च श्रेणी के उम्मीदवारों के होते हुये तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नहीं चुना जायगा ? क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा चुने उम्मीदवारों की सूची में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कोई उम्मीदवार नहीं था, किन्तु अध्यक्ष, जिला परिषद् ने मनमानी तौर से उक्त सूची के १२ या १३ नामों को काट कर उनके स्थान पर तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों को रख दिया और उनकी नियुक्ति कर दी ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं और धांधली को रोकने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

ऐसा नियम नहीं बनाया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४६---श्री राजाराम, श्री सुखरामदास तथा श्री रघुनाथ प्रसाद---

क्या सरकार को ज्ञात है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् के उक्त कार्य से जनता में बहुत क्षोभ व्याप्त है ?

श्री कैलाश प्रकाश---

शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

इलाहाबाद जिले में लगान की वसूली

*४७---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में लगान वसूली के आदेश पुनः दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश, इलाहाबाद से इस बारे में कोई रिपोर्ट ली गई थी ? यदि हां, तो उनकी सिफारिश क्या थी ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद के काश्तकारों की दशा बहुत खराब है तो क्या सरकार जिले के काश्तकारों के लगानों में कोई छूट तुरन्त घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं, नवीन आदेशों के अनुसार जिन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी मालगुजारी लगान की खरीफ १३७४ फसली की किस्त का स्थगन करते हैं उनमें मालगुजारी लगान के अधिभार एवं बकाये की वसूली शासन के अगले आदेशों तक नहीं की जावेगी। अतएव जिलाधिकारी इलाहाबाद की रिपोर्ट का इस बारे में प्रश्न नहीं उठता। शासन द्वारा छूट अथवा स्थगन के बारे में नियमानुसार प्रस्ताव आने पर विचार कर ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

टेहरी जिले में लगान

*४८---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सतापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह टेहरी जिले में लगान की वर्तमान दर को कम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो लगान कितना कम किया जायगा तथा कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां।

अभी मामला विचाराधीन है अतः अन्तिम निर्णय क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता। निर्णय शीघ्र ही होगा।

गाजीपुर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षकों की पोस्टिंग

*४९---श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जून, १९६६ के अन्दर किन-किन जिला विद्यालय निरीक्षकों की पोस्टिंग तथा स्थानान्तरण हुआ और इन स्थानान्तरणों के कारण क्या थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---

श्री सैयद फारूक अहमद रिजवी को जिन्हें गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर कार्य करते हुये तीन वर्ष से अधिक हो चुका था जून, १९६६ में प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बांदा के पद पर स्थानान्तरित किय गया और उनके स्थान पर श्री रामायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रूखाबाद को गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर भेजा गया। शासन की नीति है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी को साधारणतया एक ही पद पर उसी जिले में तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखा जाय। इसी नीति के अनुसार यह स्थानान्तरण किये गये।

सैदपुर घाट पर पीपे का पुल

*५०—श्री कमला सिंह यादव तथा कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह देखते हुए कि इलाहाबाद में अधिक संख्या में पुल के पीपे खोली पड़े हुये हैं और सैदपुर जिला गाजीपुर में पीपा का पुल बनाया जा रहा है जिससे पुल बनने में अधिक विलम्ब हो रहा है और धन भी बरबाद हो रहा है तो क्या सरकार इलाहाबाद से खाली पीपे भेज कर सैदपुर में पीपे का पुल बनवायेगी और इलाहाबाद में नये पीपों का निर्माण करायेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

सैदपुर घाट के लिये पीपों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और आशा है कि अगले अक्टूबर तक उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।

यह घाट इस समय जिला परिषद् के अन्तर्गत है और परिषद् ने इसका ठेका ३०—९—६७ तक के लिये दे दिया है। जब तक इस घाट का प्रान्तीयकरण न हो जाय तब तक यहां पर पीपे के पुल का निर्माण संभव नहीं है। इसलिये इलाहाबाद से खाली पीपों का इस समय सैदपुर भेजना निरर्थक होगा।

सलेमपुर तहसील में सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र

*५१—श्री कैलाशसिंह (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया तहसील, सलेमपुर में सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र (मझौली राज) से सन् १९६४, १९६५, १९६६ में प्रशिक्षार्थियों को शासन द्वारा प्रदत्त यात्रा व्यय का भुगतान हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सन् १९६४ का भुगतान हो गया है। १९६५—६६ के यात्रा व्यय का भुगतान अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है क्योंकि यात्रा व्यय के बिल प्रशिक्षणार्थियों द्वारा समय से प्रस्तुत नहीं किये गये।

*५२—श्री कैलाशसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रशिक्षण के प्रधानाचार्य अपने निवास स्थान से देवरिया जाने के लिये यात्रा व्यय बना कर कितना आज तक ले चुके हैं और प्रशिक्षण केन्द्र के विद्यार्थियों की जमा काशनमनी उक्त खाते के डाकखाने में अब तक जमा नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

१४६ रु० १० पैसा के यात्रा व्यय का भुगतान किया गया। प्रशिक्षार्थियों का काशन मनी डाकखाने में जमा है।

*५३—श्री कैलाश सिंह—

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य नवम्बर, १९६५ में दो गिलासों को इसलिये जलवाया कि उसमें रीजन के डिप्टी डाइरेक्टर ने पानी पी लिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं।

*५४—५६—श्री चन्द्रबली सिंह—

(विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिये गये।)

लखनऊ नगरमहापालिका में नर्सरी स्कूलों की अध्यापिकाओं का वेतन

*५७—श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—

राज्यादेश नं० सी-११/४७८७, दिनांक २७ जुलाई, १९६५, जो कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित किया गया था, नगरपालिका, लखनऊ द्वारा संचालित नर्सरी स्कूल की अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों पर भी लागू है कि नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

राजाज्ञा संख्या सी-२/४७८७—१५, दिनांक २७ जुलाई, १९६५ में स्वीकृत वृद्धि नरसरी स्कूलों की अध्यापिकाओं अथवा कर्मचारियों को देय नहीं है।

*५८—श्री महेश—

यदि हां, तो अभी तक उपरोक्त विद्यालयों की अध्यापिकाओं को राज्यादेश में दी गई सुविधाओं को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर तहसील में रेलवे की जमीन का वितरण

*५९—श्री सुकदेव प्रसाद—

क्या तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत रेलवे लाइनों के किनारे तथा चकबन्दी से निकाली हुई भूमि भूमिहीन हरिजनों को दिलाने के लिये प्रत्येक ग्राम सभा में सूची तैयार करा के दिलाने की व्यवस्था करेगी ताकि अधिक अन्न उपजाओ स्कीम सफल हो सके ? यदि हां, तो इसके लिये तुरन्त विभागों को जमीन प्राप्ति के लिये आदेश जारी करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

रेलवे विभाग द्वारा पट्टे पर देने के लिये कलेक्टरों को दी गई भूमि के वितरण के सम्बन्ध में जो योजना शासन ने बना रखी है उसमें भूमिहीनों को प्राथमिकता देने का प्राविधान है। चकबन्दी से निकली हुई गांव सभा में निहित भूमि का वितरण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें भी भूमिहीनों को प्राथमिकता मिली हुई है। अतः भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिये किसी नवीन व्यवस्था अथवा आदेश की आवश्यकता नहीं है।

*६०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल, मधुबन के अध्यापक की बहाली

*६१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल मधुबन, जिला आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति ने अपने किसी अध्यापक को २ मई, १९५६ को विद्यालय की सेवा से मुक्त कर दिया था जबकि उप शिक्षा निदेशक, सातवां मण्डल, गोरखपुर ने सन् १९६१-६२ में उक्त प्रबन्ध समिति के उक्त कार्य मुक्त आदेश को रद्द कर दिया था ? यदि हां, तो उन्होंने उक्त निर्णय किस आधार पर लिया ? क्या उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी हां।

उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल ने अपने पत्र संख्या जी/३१३६-१२-१०/ए-१३६, दिनांक २४-१०-१९६१ द्वारा इस संस्था के एक अध्यापक श्री गौरी शंकर मल, के डिसमिसल आदेश को रद्द नहीं किया था वरन् टरमिनेशन में बदल दिया था, क्योंकि प्रबन्धक द्वारा लगाए गये आरोप सिद्ध नहीं हुई थे।

उक्त निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ ४४२-४४५ पर)

*६२—श्री चन्द्र बली सिंह तथा श्री मंगल (जिला देवरिया)—

[६ठे बुधवार के लिये प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कन्या दीक्षा विद्यालयों पर व्यय

*६३—श्री छेदी लाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू वर्ष १९६५-६६ में एच० टी० सी० में राज्य के विभिन्न कन्या दीक्षा विद्यालयों में प्रथम वर्ष में कुल कितनी छात्राध्यापिकायें अनुत्तीर्ण हुई तथा उन पर सरकार को कुल कितना व्यय उठाना पड़ा?

श्री कैलाश प्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिन्दकी तहसील कर्मचारियों से इतवार को काम लेना

*६४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील कार्यालय में कार्य करने वाले नकलनवीस, रेवेन्य रिकार्ड कीपर, ए० आर० के० वीडर एवं अरेंजर आदि कर्मचारियों से इतवार के दिन तथा अन्य छुट्टी के दिनों में भी कार्यालय में कार्य लिया जाता है किसके आदेश से और क्यों? तथा छुट्टी के दिनों में उनके द्वारा किये गये कार्य का एलाउन्स भी नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्या उनकी कार्य पुस्तिका के अनुसार काम का उन्हें पारिश्रमिक प्रदान करने के आदेश जारी करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब आवश्यकता पड़ती है इतवार तथा छुट्टी के दिन भी कार्य किया जाता है। इसके लिये किसी पारिश्रमिक देने का प्रश्न नहीं उठता। सरकारी कर्मचारी को इतवार तथा छुट्टी का भी वेतन मिलता ही है।

*६५-६६—सर्वश्री ज्वाला प्रसाद (जिला कानपुर) तथा सुरजन राम (जिला आजमगढ़)—

[६वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सदर तहसील में पटेश्वरी प्रसाद बनाम राम प्यारे वगैरह का मुकदमा

*६७—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की सदर तहसील, परगना हवेली, तप्पा , खुटहन के ग्राम जंगल-हरपुर के पटेश्वरी प्रसाद बनाम राम प्यारे वगैरह का मुकदमा सन् १९६२ से विभिन्न चकबन्दी अधिकारियों के पास स्थानान्तरण करा कर चलाया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

*६८—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री यह बता सकते हैं कि यह मुकदमा कितनी अदालतों में और किस की प्रार्थना पर स्थानान्तरित किया गया है और इसके फैसले में अनावश्यक देर क्यों की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

यह मुकदमा सन् १९६२ से बाद पक्षों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने के कारण अब तक ६ चकबन्दी न्यायालयों को स्थानान्तरित किया जा चुका है। न्यायायिक कार्यवाहियों के बीच दी गयी दरख्वास्तों का यथा विधि निर्णय आवश्यक है जिसके लिये पक्ष स्वयं उत्तरदायी हैं। अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर देर करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।

सर्वश्री गनेशीलाल रामचन्द्र हापुड़ का रिफण्ड मनी

*६९—श्री बेदराम—

क्या सरकार बतायेगी कि गणेशीलाल रामचन्द्र पक्का बाग हापुड़, जिला मेरठ का १,०३१ रु० ५० पैसे बिक्री कर, रिफन्ड बिल १९५७ से अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

सर्व श्री गनेशी लाल राम चन्द्र पक्का बाग हापुड़ को १,०३१ रु० ५० पैसे का रिफण्ड न देने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) उन्हें किसी सक्षम न्यायालय से इस रिफन्ड की प्राप्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं।

(२) उन्होंने रिफन्ड के लिये प्रार्थना पत्र विधिवत् निर्धारित अवधि के पश्चात् दिया था। अतः उनका प्रार्थना पत्र इस विषय में अमान्य था।

नजीबाबाद इण्टरमीडियेट कालेज का परीक्षा फल

*७०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिजनौर के नगर नजीबाबाद में राजकीय इन्टर कालेज का इन्टरमीडिएट परीक्षा का पास होने में क्या-क्या परसेन्टेज रहा ?

श्री कैलाश प्रकाश—

२४.४४ प्रतिशत।

*७१—श्री श्रीराम—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि बिजनौर नगर में राजकीय इन्टर कालेज में इस वर्ष परीक्षा में क्या परसेंटेज रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

हाई स्कूल परीक्षा में ६४.०२ प्रतिशत और इन्टरमीडियट परीक्षा में ४३.६९ प्रतिशत।

प्रतापगढ़ से नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*७२—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि १९ मार्च, १९६६ को जिला प्रतापगढ़ के नागरिकों की ओर से उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि संशोधन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत धारा २ (१) (ब) को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के डिमारकेशन में हुई तथाकथित गलतियों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिस पर प्रार्थियों को सूचित कर दिया गया कि डिमारकेशन की कार्यवाही अंतिम हो जाने तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ की विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकने के कारण अब शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप सम्भव नहीं है।

*७३—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धारा एवं उपधाराओं को कार्यान्वित न करने के कारण कितनी भूमि प्रभावित हुई और सरकार को कितने हजारों रुपयों की क्षति पहुंची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुछ नहीं।

बसोहनी व बंवारा ग्राम में अग्निपीड़ितों को सहायता

*७४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

उक्त दिनांक ६ मई, १९६६ के प्रश्न १४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसोहनी व बंवारा ग्रामों को किस प्रकार की कितनी कितनी सहायता जिले से और प्रदेश सरकार से दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विगत मार्च, १९६६ में अग्निकांड से प्रभावित ग्राम बसोहनीमें ७८० रु० और ग्राम बंवारा में ४८० रुपया अहेतुक सहायता के रूप में शासन की ओर से जिले के अधिकारियों द्वारा वितरित किये गये।

बिक्री-कर अधिकारी, पीलीभीत के विरुद्ध शिकायत

*७५—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के बिक्री कर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई सूचना श्री अब्दुल समद ग्राम गौहर, जिला पीलीभीत द्वारा अगस्त, १९६६ के प्रथम सप्ताह में मिली ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं, तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री अब्दुल समद, ग्राम गौहर, जिला पीलीभीत से अगस्त, १९६६ के प्रथम सप्ताह में बिक्रीकर अधिकारी पीलीभीत के विरुद्ध शासन को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें धांधली अन्याय अत्याचार अपशब्दों का प्रयोग तथा नाजायज तौर पर घर में प्रवेश करने से सम्बन्धित आरोप लगाये गये थे। इन शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

*७६—श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—

[६ठे बुधवार के लिये प्र० सं० ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आगरे में बाई पास

*७७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा में ग्वालियर रोड से जगनेर रोड बाइपास को मिलाने, हेतु कोई नया बाईपास बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां । प्रस्तावित बाईपास के संरेक्षण को अंतिम रूप रेखा निश्चित होने तथा उसके आगणन पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बाईपास के निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकेगा ।

*७८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह सह है कि उक्त बाई पास बनाने हेतु भमि का सर्वे किया जा चका है ? यदि हां, तो प्रस्तावित बाईपास में खेत लेने की योजनान्तगत उनका क्या मुआवजा दिया जा गा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, इस बाई पास के बनाने हेतु भूमि का सर्वे किया गया था, परन्तु अब कुछ कारणों से उस संरेक्षण को बदलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । इस बाईपास के लिये जो भी खेत लेने आवश्यक होंगे, उनका नियमानुसार मुआवजा दिया जायगा ।

*७९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार उक्त बाईपास का प्रस्तावित मानचित्र प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रस्तावित बाईपास के संरेक्षण की अंतिम रूपरेखा अभी निश्चित नहीं हुई है इसलिये उसका मानचित्र प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ?

वाराणसी जिले में सड़कों पर डामर डालने की मांग

*८०—श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह वाराणसी जिले में माधो सिंह टढ़वा रोड वाया खमरिया बाजार की चौथी पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़कों के लिये प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रस्तावित मार्ग के आधुनिकीकरण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

फतेहपुर नगरपालिका में नियुक्तियों में अनियमितता

*८१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका फतेहपुर के प्रेसीडेंड के आदेश से कुछ ओवर एज या अन्डर एज कर्मचारियों को सरकार की नामंजूरी के बावजूद भी सुपरिन्टेंडेंट या अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्त रखा गया है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं, ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

ललितपुर सब डिवीजन में पेय जल व्यवस्था

*८२—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मई, जून सन् १९६६ में पीने का पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई थी, यह उपयोगी सिद्ध नहीं हुई ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

झांसी जिलें के ललितपुर सबडिवीजन में १५ अप्रैल से २६ जून, १९६६ की अवधि में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यान्वित हुई तथा उपयोगी सिद्ध हुई।

*८३—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या सरकार झांसी में स्थायी व्यवस्था करने के लिये पुराने कुओं की बोरिंग कराने तथा नये कुयें बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

स्थायी व्यवस्था हेतु कुएं खोदने व बोरिंग की नहीं वरन् अन्य प्रकार की योजनाएं स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनाई गई हैं ।

अतारांकित प्रश्न

प्रधानाचार्य, जे० टी० सी०, आगरा

१—श्री छत्रपति अम्बेश—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं कि प्रधानाचार्य जे० टी० सी०, आगरा का तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी तबादला नहीं किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जनहित में।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव था जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

प्रश्न २९ के द्वारा मैंने यह पूछा था....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में जो आपत्ति हो आप लिखकर भेज दीजियेगा, मैं देख लूंगा।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको आज लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ से कमरे में मिल लीजियेगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। ३ दिन पहले की वह घटना है। इसलिये यह विलम्बित है।

श्री झारखंडे राय—

तो नियम ५२ के अन्तर्गत उसको ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप उसको दे दीजिये, उस पर विचार कर लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैंने देवरिया में भुखमरी के सिलसिले में नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—

भुखमरी और सूखे पर अभी २ दिन तो बहस हो चुकी है।

श्री उग्रसेन—

जो हमारा प्रस्ताव है उसे आप आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व मंत्री जी के पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं भेज दूंगा।

बलिया जिले में गंगा और घाघरा नदियों के किनारे को कारीडोर एरिया घोषित करने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं अब माननीय काशीनाथ जी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पढ़कर सुनाता हूं। यह इस प्रकार है:—

"बलिया जिले के अन्दर गंगा और घाघरा नदी के किनारे बिहार राज्य की सीमाओं पर पांच साल मील की चौड़ाई में कैरीडार एरिया घोषित किया है। इस पांच मील चौड़ाई क्षेत्र के अन्दर तमाम सीमाओं पर बलिया जिले के अन्दर किसी भी प्रकार का खाद्यान्न २० किलो से ज्यादा आ जा नहीं सकता जिसके फलस्वरूप बांसडीह तहसील और बलिया तहसील के अन्दर इस कारीडार एरिया में जो बाजार पड़ते हैं, रेवती, रानीगंज, हल्दी, रूद्रपुर आदि वहां खाद्यान्नों का सर्वथा अभाव हो गया है। जो चावल बलिया बाजार में दस छंटाक है वही चावल उपरोक्त बाजारों में ६ छटांक है। सरकार ने उपरोक्त प्रतिबन्ध इसलिये लगा है कि चावल, गेहूं और चना उत्तर प्रदेश से बिहार न जा सके लेकिन अन्न के तस्कर व्यापारी पुलिस को रिश्वत देकर मन-माने तौर पर बिहार भेज देते है लेकिन छोटे छोटे दूकानदार जो स्थानीय बाजारों में बलिया केन्द्र से गल्ला ले जाकर बेचते है उनका चालान पुलिस वाले करते हैं।"

इसके ऊपर बता दीजिये माननीय खाद्यमंत्री जी, आप कब वक्तव्य देंगे?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

श्रीमन्, मंगलवार को वक्तव्य इस विषय पर दे देंगे।

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किए गये कथित अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब हमारे सामने नियम ५२ के अन्तर्गत एक और सूचना है जो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, माननीय हिम्मतसिंह और माननीय केशरीप्रसाद पांडेय व श्री जगन्नाथराव जी की है। उसको मैं केवल वक्तव्य के लिये सम्बन्धित मंत्री को भेज रहा हूं। यह इस प्रकार है :—

"प्रसिद्ध गोभक्त श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी को पुलिस द्वारा अकारण गिरफ्तार करके जेल में बन्दी बनाये जाने से जनता में भीषण उत्तेजना व्याप्त है। गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की न्यायोचित मांग को लेकर वह शान्तिपूर्ण तथा अहिन्सात्मक ढंग से आन्दोलन संचालित कर रहे थे परन्तु बीस नवम्बर, १९६६ की रात्रि में उन्हें गिरफ्तार किये जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जनतंत्र के लिये कलंक है।

जेल में उनके साथ अमाननीय व्यवहार किया जा रहा है। डाक्टरों पत्रकारों तथा उनके शिष्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। चार खतरनाक अपराधी उनके साथ रख दिये गये हैं। ब्रह्मचारी जी ने पानी तक ग्रहण करना बन्द कर दिया है। यह केवल वक्तव्य के लिये है। माननीय मंत्री जी बता दें कि उस पर वे कब वक्तव्य देंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी (मुख्य मंत्री)—

बुधवार को दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, गोली चलने के सम्बन्ध में मेरी भी एक प्रार्थना थी कृपया उसको भी देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जांय।

एक माननीय गया प्रसाद और माननीय उग्रसेन जी की सूचना है। इसको मैं सम्बन्धित मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इस पर भी वक्तव्य दिलवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम ५२ के लिये सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

उसके सम्बन्ध में आप कृपया मुझसे कक्ष में बातचीत कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सूचना पर एक बयान दिला दीजिये। श्रीमन्, यह मामला गोली चलने का है।

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना—(क्रम.गत)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक निवेदन है सुन लें। यहां पर माननीया मुख्य मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से बताया है कि वे मेरी सूचना पर बुधवार को वक्तव्य देंगी। इस दिन वक्तव्य देने का तात्पर्य उस सूचना के महत्व को कम करना है। मैं समझता हूं कि वे अपना वक्तव्य आज शाम को ही दे सकती है। वे केवल कह दें कि जो सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही हैं उनको अब दिया जावेगा और यह भी आश्वासन दे दें कि जो उनसे मिलने के लिये जांय उनको मिलने दिया जायेगा।

कानपुर की विभिन्न मिलों की मजदूर स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

नियम ५३ के अन्तर्गत मैंने माननीय सन्तसिंह यूसुफ की सूचना पर स्वीकार किया है। यह श्रम संबंधी है और इसका सम्बन्ध कानपुर के मिलों से है। इसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। जो सूचना मेरे पास आई है उससे विदित होता है कि लक्ष्मी रतन काटन मिल तथा विक्टोरिया मिल आदि कई मिलों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जहां पर श्रम में अत्यन्त असंतोष पैदा हो गया है। मैं इसको पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है।

"लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर ६ सितम्बर, १९६६ से बन्द पड़ी है। इसमें ३ माह की वह तनख्वाह भी मजदूरों को नहीं मिली, जो उन्होंने कमाया है। बहुत से मजदूरों को डेढ़ माह की मजदूरी भी नहीं मिली है। बकाया तनख्वाहों के भुगतान के लिये पैमेन्ट वैजेज ऐक्ट के अनुसार सरकार ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। उसे ऐसा करना चाहिये था।

जीवन बीमा (ई०एस०आई०सी०) का साढ़े चार लाख रुपया जमा नहीं किया है, जो कानूनन जमा करना चाहिये था। मजदूरों को दवा दारू छुट्टी आदि की सुविधाएं नहीं दी गयीं। सरकार ने इन किसी भी कानून भंग की कार्यवाहियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है।

प्राविडेंन्ट फंड का ८ लाख रुपया जमा नहीं किया गया। इस कानून उल्लंघन के लिये कोई सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं की गयी। रेग्यूलर लेबर न रख कर ठेके पर मजदूरों को रखा गया है, जिन्हें कम तनख्वाह दिया जाता है, जो कानून के विरुद्ध है, इस पर बारम्बार सरकार का ध्यान दिलाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। १९६२–६३ का बोनस नहीं दिया गया। ऐसे कानून तोड़ने पर मुकदमा चलना चाहिये था। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सम्पूर्णानन्द एवार्ड नहीं लागू किया जा रहा है। इसका प्रभाव मजदूरों की तनख्वाह वर्क लोर्ड, सन्डे हाली डे, आदि सुविधाओं पर पड़ा है। सरकार अपने एवार्ड को लागू करने में नितान्त असफल रही है।

मजदूरों को डबल ओवर टाइम मिलना चाहिये। यह फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार होना चाहिये। परन्तु सिंगल ओवर टाइम मिलता है। यह ओवर टाइम भी रिवार्ड करके लिखते है। यह कानूनन जुर्म हैं। इस पर केस चल सकते हैं। परन्तु सरकार ऐसे घोर कानून उल्लंघन पर भी चुप बैठी है। मिल बंदी से ५ हजार मजदूर परिवार भूखों मर रहे हैं।

यह दशा स्वदेशी काटन मिल, विक्टोरिया मिल में भी है। कानपुर की स्थिति विस्फोटक है। सब मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं। लाखों रुपये के उत्पादन की हानि हो रही है। हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर खड़े हैं।

इसको मैंने ७ तारीख को सायंकाल ५ बजे के लिये रखा है और डेढ़ घंटा समय रखा है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के सरकार द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

अध्यक्ष महोदय स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्रों की हड़ताल १० जनवरी, १९६६ से शुरू हुई थी। उसके विषय में आवश्यक सूचना सदन को कुछ प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में ३ मार्च और १३ अप्रैल, १९६६ को दी जा चुकी है। उसके बाद २ अगस्त, १९६६ को सदन में कालिज के बन्द रहने के विषय में एक और वक्तव्य दिया गया था।

२---शासन की ओर से विद्यार्थियों की मांगों पर बहुत गम्भीरतापूर्वक और सहानुभूति के साथ विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में पूरी स्थिति छात्रों और उनके अभिभावकों के प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी गयी थी। २५--२६ सितम्बर, १९६६ को प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा सर्वसाधारण को भी इस की सूचना दे दी गई थी। सरकार ने पूरी कोशिश की कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में शिक्षा सम्बन्धी अतिकतम सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध हों। यही नहीं, उस बात की भी पूरी चेष्टा की गई कि कालेज से पास होकर निकलने वाले स्नातकों को सरकारी नौकरी में उपयुक्त पद मिल सकें। इन स्नातकों को राज्य की सुब्रडिनेट गजटेड सर्विस में लिया जाता है। सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि एक प्रादेशिक आयुर्वेदिक सर्विस २५०---७५० रु० के वेतनक्रम में सृजित की जाय ताकि अधिक योग्यता वाले स्नातकों को सीधे उस सर्विस में प्रवेश की व्यवस्था रहे।

३---सरकार के इन सब निर्णयों की सूचना छात्रों के अभिभावकों को कालेज के प्रिंसिपल ने रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ८ अक्तूबर को भेज कर उन्हें सूचित किया था कि कालेज २४ अक्तूबर, १९६६ को खुलेगा। उसमें आशा व्यक्त की गई थी कि उस तारीख से छात्र कालेज में उपस्थित होकर अनुशासनपूर्वक अपनी पढ़ाई आरम्भ कर देंगे और यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि कालेज चलाना तभी संभव होगा कि जब छात्र कालेज में अनुशासन के साथ अध्ययन करें। पर इस सब के बावजूद २४ अक्तूबर को कालिज खुलने पर वहां केवल २ विद्यार्थी आये। ४ नवम्बर, १९६६ तक विद्यार्थियों की प्रतीक्षा की गई, किन्तु उनकी संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में सरकार को बाध्य होकर कालेज बन्द करने का निर्णय लेना पड़ा। जैसा कि पहले निवेदन किया गया है छात्रों की हड़ताल १० जनवरी, १९६६ से शुरू हुई थी और उसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों को देखते हुए शासन को मजबूर होकर ९ फरवरी से कालिज बन्द कर देना पड़ा था। यह स्पष्ट है कि इस मसले को अनिर्णय की स्थिति में काफी लम्बे अर्से तक नहीं रखा जा सकता था और जब कि सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि विद्यार्थी सब प्रकार के प्रयासों के बावजूद कालिज में अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिये तैयार नहीं है और उनके अभिभावक उनको कालिज भेजने के विषय में सफल नहीं हो रहे हैं तो कालेज बन्द कर देने के सिवा और कोई दूसरा निर्णय लेना संभव न था। इससे यह स्पष्ट है कि कालेज बन्द करने में सरकार पर प्रशासकीय असफलता का आरोप लगाना उचित नहीं है।

जहां तक छात्रों के भविष्य का संबंध है सरकार ने उस प्रश्न पर पहले ही विचार कर लिया है। जो छात्र अपनी पढाई आगे चालू रखना चाहते हैं वे बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश से प्राइवेट आयुर्वेदिक कालिजों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिये बोर्ड से निवेदन किया जा चुका है कि वह स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के भूतपूर्व छात्रों को दूसरी आयुर्वेदिक कालेजों में उनके उसी वर्ष में प्रवेश कराने की विशेष व्यवस्था कर दें जिसमें वे कालेज बन्द होने के समय पढ़ रहे थे। सरकारी नौकरी आदि की दृष्टि से उन कालेजों से मिलने वाली डिग्री की भी वही मान्यता है जो कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की डिग्री की है। इसलिये उन छात्रों के भविष्य पर जो अपनी शेष पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है।

जहां तक आयुर्वेद की प्रगति का प्रश्न है वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार इस पद्धति को उन्नत करने के लिये सदैव सजग रही है। जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ६०६ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय थे दूसरी योजना के अन्त में ६४४ तथा तीसरी योजना के अन्त में ६९३ हो गये। अराजपत्रित तथा राजपत्रित चिकित्साधिकारियों के वेतन क्रमशः पहले १२०-२०० तथा २००-४०० रुपये थे जो अब १५०-२६० तथा २२५-५०० ० हो गये हैं और यह निर्णय ले लिया गया है कि इस पद पर अब प्रत्येक नयी नियुक्ति २२५-५०० रु० के ही वेतन क्रम में हो। साथ ही, जैसा पहले बताया गया कि एक राजपत्रित आयुर्वेद सेवा के सृजन का भी मूलभत निर्णय शासन ने लिया है। जहां तक आयुर्वेद में अन्वेषण कार्य का संबंध है सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की इमारत में ही आयुर्वेद संबंधी पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन तथा रिसर्च के लिये एक संस्थान की स्थापना की जाय। स्नातक कक्षा की पढ़ाई के लिये प्रदेश में इस समय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ५ आयुर्वेदिक कालेज पहले ही से उपलब्ध हैं। शुद्ध आयुर्वेद के अध्ययन के लिये भी शासन ने पिछले वर्ष में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी आफ शुद्ध आयुर्वेद की स्थापना कराई है और वहां पर एक शुद्ध आयुर्वेद का कालेज शुरू हो गया है। इन सुविधाओं को देखते हुए और इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च की योजना के कार्यान्वित होने से आशा है कि आयुर्वेद की प्रगति पहले की अपेक्षा और भी अच्छी होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो मांगें छात्रों की थीं, उनमें से कौन सी मांगें मानी गई थीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, इस संबंध में कई बार सवाल इस सदन में हो चुके हैं और उनका जवाब दिया जा चुका है। यदि आप आज्ञा दें तो उन सवालों को मैं पढ़ दूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह तो नया प्रश्न है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उनकी कोई भी मांग मानी गई अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

सूचना में जो आपने लिखा है वह यह है कि कालेज अचानक बन्द हो गया। इसके कारण यहां भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हो गइ। छात्रों के जीवन और अध्ययन समाप्त हो गये। उनकी सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है। उस पर विचार कीजिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं और कौन सी स्वीकृत हो गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई नई चीज नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जब छात्रों की हड़ताल १० जनवरी, १९६६से बराबर चल रही, और ४ नवम्बर तक चलती रही क्योंकि शासन ने उनकी मांगों को नहीं माना। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों की मांगों को स्वीकार न करके और कालेज को तोड़कर सरकार का कौन सा हिल हित हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, जहां तक मांगों का संबंध है उनके संबंध में पहले कई बार जवाब दे दिये गये हैं। जो छात्र पढ़ने आते हैं उनकी पहली मांग यह है कि उनकी पढ़ाई ठीक से हो और अगर उनकी पढ़ाई में कोई कमी हो तो हम पूरा करने के लिये तैयार हैं। जहां तक उस चीज का ताल्लुक है हमने अपने जवाबों में समय समय पर हुए बयानों में दे दिया है। उनकी जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी का प्रश्न है जितना सरकार कर सकती है किया है और जितनी और मांगों का ताल्लुक है, जैसा मैंने अभी कहा, और सवालों के जवाब में बताया जा चुका है। जहां तक बी० एम०बी० एस० को मानने और कन्डैन्सड कोर्स को मानने का प्रश्न है यह सरकार के लिये मानना नाममकिन है। समय समय पर बताया जा चुका है कि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमारा तो सवाल केवल यह है कि छात्रों की २ मांगें हैं। बजाय उनको पूरा करने के आपने कालेज ही तोड़ दिया है। यह ऐसा हुआ कि मांगें तो रोटी और दिया गया उन्हें पत्थर। जब देश के सभी राज्यों में और विशेषकर बिहार में जहां उनको कन्डैन्सड कोर्स दिया गया है तो कौन सी नयी परिस्थिति इस प्रदेश में आ गयी जो यहां पर नहीं माना जा रहा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं कन्डेंस्ड कोर्स की जहां तक बात है, इंडियन मेडिकल कौंसिल में जो प्रस्ताव आया वह इस प्रकार है।

"सन् १९६० में जो विद्यार्थी रहे हैं और जिन प्रदेशों में इंटेग्रेटेड कोर्स का पाठ्यक्रम खत्म कर दिया गया यह फैसला कर लिया कि वहां की सरकार तो उन्हीं स्टेट्स में कंडेन्स्ड कोर्स कर सकेगी और यह भी लिखा है कि जो कंडेंस्ड कोर्स छात्र कर लें उन को २२५–४५० रु० का ग्रेड दिया जाय।" यहां पर दिक्कत यह है कि इंटेग्रेटेड कोर्स का पाठ्यक्रम मौजूद है। आयुर्वेदिक कालेज बन्द कर दिया है उसके अलावा जो अन्य ५ कालेज चल रहे हैं उनमें उस पाठ्यक्रम को बन्द नहीं कर सकते इसलिये कंडेंस्ड कोर्स का सवाल पैदा नहीं होता। फिर कंडेंस्ड कोर्स करने के बाद जो तनख्वाह उन्होंने बतायी थी उससे ज्यादा ग्रेड २२५–५०० का हमने कर दिया बिना कंडेंस्ड कोर्स के। इसलिये सरकार उस मांग को नहीं मन्जूर कर सकी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

हमारे प्रदेश में जो छात्र आन्दोलन शुरू हुआ उनकी तीन मुख्य मांगें थीं और वे आयुर्वेदिक कालेज से संबंधित थीं। वह छात्र आन्दोलन आज अन्तर्प्रान्तीय हो गया है जिससे हम सब चिंतित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब आयुर्वेदिक कालेज स्थापित किया गया था उस समय जो कोर्स था, जो डिग्री थी, जो सर्विस का ग्रेड था वह एक था। उसके बाद जब कि वही कोर्स है, वही कंडेंस्ड कोर्स है, वही शिक्षा प्रणाली है तब फिर डिग्री क्यों बदली गयी, क्यों वेतन क्रम बदला गया और क्यों तमाम चीजें बदली गयीं इसका मूल कारण क्या था?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिन छात्रों ने दाखिला लिया आयुर्वेदिक कालेज में तो उस समय सोच समझ कर लिया था कि क्या डिग्री मिलेगी, क्या पाठ्यक्रम है। अब वहां दाखिला ले लें पहले, उसके बाद छात्र आन्दोलन करें जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस छात्र आन्दोलन के नाम से ही इस कालेज को बन्द कराने में बहुत से लोग कामयाब हुये हैं। अगर छात्रों को समझाया होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती और जहां तक छात्र आन्दोलन है उसमें विद्यार्थी कितना हिस्सा लेते हैं यह हमने आज अखबारों में देख लिया कि विश्वविद्यालय खुलते ही लड़कों ने तय कर लिया है कि वे पढ़ेंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज के लगभग १७० छात्रों ने, जिनमें संघर्ष समिति के कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं, अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उनसे यह प्रार्थना की है कि उनके भविष्य को देखते हुए पुनः इस विद्यालय को खोलने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं आयी है। लेकिन मैं बता दूं कि यह तो मेरे बयान से जाहिर है कि हम ने लड़कों की आगे की पढ़ाई का इन्तजाम कर दिया है और जो ५ आयुर्वेदिक कालेज प्रांत में हैं उनमें जिस वर्ष में कोई लड़का यहां पढ़ता था उसी वर्ष में दाखिला पायेगा, ऐसा हमने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से निवेदन किया है और आशा है कि किसी की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री रामायण राय—

जिन ५ विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है क्या यह सही है कि वहां माडर्न मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई की वह व्यवस्था नहीं है जो यहां कालेज में थी ? इसलिये क्या मंत्री जी उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप उन के प्रार्थना-पत्र पर विचार करने को तैयार हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं आया है। अगर आयेगा तो मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा वह कैबिनेट में रख कर उस पर विचार कर लेंगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय रामायण राय जी कहते हैं कि मुख्य मंत्री के पास आया है। तो मालूम होना चाहिये कि आया कि नहीं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी ने भी इस बात पर विचार किया कि जो लड़के फाइनल क्लास में पढ़ते थे और जिनका सप्लीमेंटरी आया था, या जो माडर्न सर्जरी का इम्तहान सिर्फ देना चाहते थे उनका सप्लीमेंटरी आया था, तो जितने ये ५ कालेज आप के हैं उनमें क्या व्यवस्था की गयी है जिस से विद्यार्थियों का जीवन नष्ट न हो ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसे कागज को हमारे पास भिजवा दें, जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ये जो ५ बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स द्वारा संचालित आयुर्वेदिक कालेज हैं उनका स्तर बहुत नीचा है और स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और उनको अभी स्तर ऊंचा करने में १० वर्ष लगेंगे तो क्या सरकार इस कालेज को पुनः चलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

माननीय सदस्य के सवाल से जाहिर है कि इस कालेज का स्तर बहुत ऊंचा था और उस ऊंचे स्तर वाले कालेज का यह हाल है कि लगभग १०, ११ महीने से बन्द है। बराबर हमने कहा, अभिभावकों को लिख कर भेजा कि हम कालेज खोल रहे हैं लड़कों को भेजिये और आखिर में रजिस्ट्री भेजी लेकिन लड़के नहीं आये तो फिर हम क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उनका सवाल है कि लड़के यदि आयें तो आप खोल देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इस वक्त यह फैसला हो चुका है कि इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम की जायगी।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र आया है जिसका जिक्र रामायण राय जी ने किया था ? यदि हां, तो क्या वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

आज सबेरे असेम्बली में आने के पहले एक दो व्यक्ति आये थे, उनकी तरफ से कागज आया है। उसे अभी देखूंगी।

श्री झारखंडेराय---

जैसा अभी वैद्य जी ने कहा कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज का स्तर ५ आयुर्वेदिक कालेजों से ऊंचा है और अगर इसके छात्र इन कालेजों में रखे गये तो वे जन सेवा का काम नहीं कर पायेंगे, इसलिये क्या माननीय मुख्य मंत्री उदारतापूर्वक विद्यार्थी नेताओं से बातचीत करके किसी निर्णय पर आने का प्रयास करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हमने स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के लड़कों के साथ अनेक बार बातचीत की। उनके साथ असली दिक्कत ग्रेड्स आफ पे की थी।

तनख्वाह में हमने जितनी आयुर्वेदिक कालेज के लोगों की मांग थी उससे ज्यादा ही दे दिया है यानी ५०० रुपये तक तनख्वाह बढ़ा दी है। इसके अलावा हायर ग्रेड ४०० रुपये तक दे दिया है।

एक और उनकी मांग थी बी०एम०बी०एस० की। इसके बारे में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी की यह राय थी कि बी०एस०बी० एस० बिलकुल न दिया जाय और आयुर्वेदाचार्य पढ़ाया जाय। इसमें एक दिक्कत यह और थी कि अभी तो बी०एम०बी०एस० की डिग्री लेते और फिर बाद में झगड़ा करके एम०बी०बी०एस० की मांग करते। मेडिकल कौंसिल और आयुर्वेदिक कालेज के जितने अथारिटेटिव लोग हैं सभी लोग यह समझते हैं कि यह चीज ठीक नहीं है, आयुर्वेद वही पढ़ें जिनको आयुर्वेद में श्रद्धा हो। अगर उनको आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं है और मेडिकल कालेज में भर्ती हो नहीं सकते क्योंकि मार्क्स उतने ऊंचे हैं नहीं इसलिये आयुर्वेद में बी० एम० बी० एस० की डिग्री ले कर फिर चिल्लायें कि हमको एम०बी०बी० एस० बनाओ, तो मेडिकल टीचिंग को हम खिलवाड़ नहीं बनाना चाहते। जो लोग आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं वही आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ते हैं। अगर वह चाहें कि हमको फिर एम० बी० बी० एस० बनाओ तो यह बिलकुल गलत बात है।

एक बात और है। अभी तक हम सुन रहे थे कि यह कालेज तो कोई काम का नहीं है इसलिये लड़के स्ट्राइक कर रहे हैं। ११ महीने तक स्ट्राइक चली। आखिर सरकार का

काम चलता है तकलीफ से किसान से पैसा ले कर । दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि टैक्स न लगाओ । ११ महीने हम स्टाफ को तनख्वाह देते रहे और पढ़ाई नहीं हुई । मेडिकल बजट में पैसा बहुत कम है । बहुत सी स्कीमें है । नरसिंग की ट्रेनिंग है, और तरह की ट्रेनिंग हैं । अगर लड़कों को पढ़ना होता, अगर वह सीरियस होते तो ११ महीने स्ट्राइक को न चलाते । इस दरमियान में हमने एक बार नहीं, कई बार उनसे कहा कि पढ़ाई शुरू करें । ग्रेड आफ पे जितना वह एक्सपेक्ट नहीं करते थे उससे अधिक उन्हें मिला है । उसके बाद भी अगर वह लोग आन्दोलन जारी रखें तो फिर क्या किया जाय ? हम लोगों ने बिलकुल परेशान होकर यह फैसला किया कि एक तारीख दी, उस तारीख तक आकर पढ़ाई शुरू कर दीजिये तो बहुत अच्छी बात है । उस तारीख के बाद भी विद्यार्थी लोग नहीं आये । सिर्फ दो लड़के आये । बाकी आये नहीं और एक टीचर को पीटा ।

यह बात कि लड़कों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिये हम दूसरे कालेजों में जहां आयुर्वेदिक पढ़ाई जाती है वहां व्यवस्था करने को तैयार हैं । आखिर आप लोग खुद ही समझें, जो लोग आयुर्वेद में श्रद्धा रखते हैं वही आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ेंगे । जिनको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है वे बैक डोर से एम०बी०बी०एस० में भरती होना चाहते हैं । उनकी मेन डिमांड यही है । इसलिये मेडिकल कौंसिल एतराज करती है और हम लोग भी एतराज करते हैं । मैं समझती हूं आप लोगों को भी इस पर एतराज होगा ।

श्री उग्रसेन—

माननीया मुख्य मंत्री ने जो कहा है मैं उससे शत प्रति शत सहमत हूं । स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के लड़कों की डिमांड को जहां तक मैं समझ पाया हूं, वे भी मुख्य मंत्री से सहमत हैं । उनका भी कहना यही है कि या तो हमको शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाइये और आयुर्वेदाचार्य बनाइये और जिनको एम०बी० बी० एस० पढ़ना है वे मेडिकल कालेज में जायेंगे लेकिन घपले का कोर्स पढ़ा कर, एम०बी०बी० एस० और आयुर्वेदाचार्य का कोर्स भी पढ़ायें और हम इंफीरियर ट्रीट किये जायं ऐसा न हो । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी मांगों का वे स्वतः अध्ययन करें और शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज खोलें तो लड़के पढ़ने के लिये तैयार हैं । अगर आप दोनों पढ़ायेंगे तो फिर लड़कों की मांग उचित है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शुद्ध आयुर्वेद पढ़ने के लिये बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी में पूरा इन्तजाम है । जो लड़के चाहें वहां जा कर पढ़ लें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आयुर्वेद के उत्थान और उन्नति के लिये हम लोग प्रयत्नशील हैं । माननीय खन्ना जी का जो कार्यकाल चिकित्सा के संबंध में रहा है उसमें आयुर्वेद की कोई उन्नति नहीं हुई है और इन पंचवर्षीय योजनाओं में ४० से ज्यादा डिस्पेंसरी नहीं खुलीं । ऐसी स्थिति में खन्ना जी के ऊपर इस कालेज को बन्द करने का कलंक है और यह काला पीरियड कहा जायेगा । जहां पोस्ट ग्रेजुएट की रिसर्च करा रहे हैं वहां क्या मंत्री जी ग्रेजुएट क्लासेज चलाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कालेज के बन्द होने का कलंक है उस के दोषी माननीय सदस्य हैं और दूसरे साथी हैं जिन्होंने छात्रों को भड़काया । हम इसमें रिसर्च करायेंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहेंगे उनका इसमें दाखिला होगा जो लड़के अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे उनका इन्तजाम हम दूसरे कालेजों में करेंगे ।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल दो ही छात्र पढ़ने के लिये आये, यह कहा जाता है। तो क्या यह भी सच है कि अभी २४ छात्र जेल में हैं और सरकार ने उनको छोड़कर वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की कि लड़के पढ़ना चाहते हैं या नहीं ? जो पढ़ना चाहते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने की क्या कोशिश की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, ९ फरवरी को यह कालेज बन्द हुआ था। २२ फरवरी को हमने गार्जियन्स को लिखकर भेजा था और ११४ गार्जियन्स को गया था कि वे अपने लड़कों को पढ़ने के लिये भेजें। इसके बाद हमने ८ अक्टूबर को भी लिखकर भेजा था। हमने यह भी इंतजाम किया कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के लड़के जिनको क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी होती है उनकी ड्यूटी लगाई तो गार्जियन्स ने लिख दिया कि गर्मियों में कालेज न खोला जाय। इस हालत में गवर्नमेंट क्या करती ? दुबारा भी हमने लिखा, लेकिन कोई नहीं आया।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, ४५ पर वारन्ट हैं और २४ जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक चीज रह गई कि जो लड़के जेल में हैं उनके गार्जियन्स को भी सूचना दी गई थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई लड़के जेल में हैं या नहीं और कौन से जुर्म में हैं ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो जवाब दिया गया है उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। क्या मुख्य मंत्री जी उनके प्रतिनिधियों के साथ बात करने के लिये तैयार हैं, या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मुख्य मंत्री ने कहा है कि जो पत्र मिला है उस पर विचार करेंगे।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री मुकुंदीलाल बैरिस्टर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं समाप्त कर रहा हूं और आप खड़े हो गये तो आपको इंकार करना मुश्किल हो जाता है। आप फिर कहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं एक मिनट सुन लीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप से पहले अन्य सदस्यों को समय देना पड़ेगा। इसलिये अब रहने दीजिये।

१९६६–६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान पर सामान्य विवाद तथा मतदान होगा।

श्री अध्यक्ष---

जैसा कि अनुपूरक अनुदानों में होता है, सामान्य चर्चा माननीय बसंत सिंह जी करेंगे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

सामान्य चर्चा चार बजे तक और फिर एक घंटे में विनियोग विधेयक होगा ।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

आपने वक्तव्य की आज्ञा दी थी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने एक विषय बुला लिया है । पौने पांच बजे दे दीजियेगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आपने विनियोग विधेयक कह दिया ।

श्री अध्यक्ष---

वह पौने पांच बजे समाप्त होने के उपरान्त यह वक्तव्य होगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने कह दिया कि शाम को इसके बारे में वक्तव्य देंगे । इसके पहले माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था बुधवार को वक्तव्य देने के लिये । मेरी समझ में नहीं आया यह कैसा सामंजस्य है ? हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने कह दिया, लेकिन जिसके बारे में दरअसल आप टाल रहे थे, उसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया ।

श्री अध्यक्ष---

जिस वक्त प्रश्न था उस वक्त कहते ।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, दो रोज से निरन्तर इस सदन में सूखे पर बहस हो रही है । आप देखेंगे कि प्रदेश में इस सरकार की बदौलत और इसकी नीतियों की बदौलत जो वातावरण आज निर्माण हो गया है उसमें चारों तरफ दो ही वातावरण हैं, आतंक का वातावरण, गोलीकांड का वातावरण, लाठी का वातावरण, राजनैतिक दलबन्दी और दूसरे मत वाले लोगों पर अत्याचार का वातावरण और उसके साथ-साथ चारों तरफ जनता की भूख और इस सरकार के मंत्रियों के पास विरोधी दल के लोगों के सुझाव सुनने का समय नहीं है जब कि सरकार छोटी से छोटी बातों पर विरोधी दल से अपने मतलब के लिये विचार विनियम किया करती थी । केंद्र में प्रधान मंत्री ने आज सर्वदलीय समिति बनायी है इस लिये कि इस देश में मुसीबत से लड़ने का वातावरण निर्माण हो । लेकिन हमारी सरकार को अपने दल में भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी । हां, इन लोगों ने व्यापक दौरा किया जहां बीस रुपया बंटता हो इनके हाथ से रुपया देते हुए फोटो खिंच जाय । बीस रुपया देने में जितना खर्च हुआ होगा उससे बीस गुना इनके देने में खर्चा हुआ । सांस्कृतिक कार्यक्रम की अब भी धूम लगी है । कहीं कव्वाली, कहीं थियेटर, कहीं ड्रामा हो रहा है । माननीय मंत्री सूखे के कार्यक्रमों में जाते हैं तब भी उन्हीं कार्यक्रमों को प्रधानता देते हैं । इस बजट से भी यह आवाज आती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

कि सरकार ने समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। जो सरकार इस सबब सामान्य वर्षों में ८० करोड़ और ९० करोड़ रुपये का गेहूं--खाद्यान्न खरीदा करती थी सामान्यतया वितरण करने के लिये और उस सरकार ने अपना सालाना बजट, इतना खाद्यान्न उत्पादन घटने के बाद और इतनी मंहगी होने के बाद एक पैसे का भी नहीं बढ़ाया, उसने अपने बजट में एक पैसा अधिक का प्राविधान इस हेतु नहीं किया कि इस दशा में सूखे की दशा में खाद्यान्न खरीदकर पूरा किया जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने यह रखा है कि ६० करोड़ रुपये का गल्ला खरीदकर प्रदेश की जनता की वार्षिक आवश्यकता को पूरा किया जायेगा ? तो उतना भी रुपया यह अपने सप्लीमेंटरी बजट में नहीं मांगते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह कार्य अवश्य प्रदेश को भूखों मारने की तैयारी है। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि केवल इस समस्त बजट में केवल २-३ बातों का जिक्र है और क्रमशः वह सिंचाई के नाम पर जिक्र है। मैं उसे मानता हूं, लेकिन सरकार के आज के जो साधन हैं, उनकी ओर से ध्यान हटाने का यह एक साधन है। पब्लिक एकाउन्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है आपके ट्यूबवेल जो कागज पर ७०-८० बने हैं वे अपने स्थान पर कहीं नहीं हैं।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)---

वे अब २५ लाख घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसी बात कह रहे हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आज तक जो पैसा लग चुका है, उन ट्यूबवेल पर जिन पर सरकार का ४ करोड़ का घाटा आता है। मुझे बिलकुल निश्चित विश्वास है कि यदि फरवरी, सन् ६७ पास न होता तो पूरा प्रदेश भूखों मर जाता और इनके कान पर जूं न रेंगती। जो सरकार ने इस बजट में योजनायें रखी हैं सारे दिन बीत जायंगे, किन्तु उनका किंचित मात्र भी लाभ यहां की जनता को नहीं होगा, यदि उनका किंचित भी लाभ जनता को हो जाये तो मुझसे जुर्माना ले लिया जाय। सदन की बैठक १५ दिनों के लिये टाली जाती है, सूखे के प्रति सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न में कोई प्रगति होने की बात नहीं थी, बैठक को केवल राजनीतिक कारणों से टाला गया। मैं एक मंत्री जी से मिलने गया, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे साफ-साफ बता दिया, मैंने उनसे कहा कि सूखे की स्थिति है, उसे मैं किस [illegible] रखूं, वे बोले, मार्च के बाद स्थिति देखूंगा। इस पर मैंने कहा आप तो मार्च के बाद स्थिति देखेंगे, लेकिन लाखों मरने वालों का क्या होगा, वे कहां मांगने जायेंगे ? तो उन्होंने कहा अन्न जहां से आता है, वहां से बन्द होने वाला है। फिर मैंने कहा आपको तो छुट्टी नहीं है आपके साथियों को छुट्टी नहीं है, तो इस हेतु अफसर ही नियुक्त कर दीजिये। तो बोले कैबिनेट इस पर एक मत नहीं हो रहा है मैं क्या करूं। मेरा आपसे निवेदन इसलिये है कि अब इस समय के बाद मंत्रिगण और व्यस्त होने वाले हैं, मैं यह मानता हूं कि सदस्यगण जनता के सामने जाने वाले हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिये उनको अभी से पूरा इस पर ध्यान देना चाहिये। एक ट्यूबवेल जो वर्षों पुराना था, उसके लिये कहा कि बिजली दे दो तो उस पर बिजली दे दी, लेकिन लिख दिया 'रात को'। मतलब यह कि १२ घंटे ही चलना चाहिये २४ घंटे नहीं। खैर मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। दिन में इसलिये नहीं ताकि कोई देख भी न पाये कि चल रहा है। आज ट्यूबवेल का जलस्तर फिटों नीचे गिर चुका है। उनको खींचने के लिये जो पावर दिया जा रहा है वह बेकार हो जायगा, क्योंकि पानी ६-६ फीट नीचे गिर चुका है। ट्यूबवेल एरिया में लोग पीने के पानी के लिये भी ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सब जगह ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है। मंत्री जी फिर कहेंगे कि रिहन्द में पानी नहीं है तो फिर बिजली कहां से आवे। उद्योग भी चलने हैं, खेती के लिये पानी भी देना है। सही है, लेकिन इनमें कोई सामंजस्य होना चाहिये और जब तक वह नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकेगा। आपके जिलाधीश वहां बि[illegible] में

असमर्थ हैं। यह लज्जाजनक है कि ट्यूबवेलों के लिये सदस्यगण अपने जिले के लिये मंत्री जी के द्वार खटखटावें और वह भी आजकल, जो कि वहीं जिलाधीश के द्वारा हो जाना चाहिये था।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वहीं मिलता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरा निवेदन है कि आप आंकड़े मंगवा लें कि कितने-कितने प्रतिशत प्रार्थनापत्र जिलाधीशों ने स्वीकृत किये हैं और कितने प्रतिशत आपने यहां से स्वीकार करके जिलाधीशों को भेजे हैं। और इस आंकड़े से जब आप सदन को अवगत करा देंगे तो सारी स्थिति का लोगों को अपने आप ज्ञान हो जायगा। आज हो तो यह रहा है कि रामरतन जी गुप्त को अधिकार है कि अगर उनकी कम्पनी फेल हो रही हो तो लाखों रुपया माफ हो जायगा, या किसी दूसरे नेता को अधिकार है कि अगर उनका कारखाना फेल हो रहा हो तो ३९ लाख रुपये की वसूली स्थगित कर दी जायगी लेकिन क्या एक गरीब किसान को जो मरता खपता हुआ अपने पुनर्जीवन की मांग करना चाहता है तो क्या इसका अधिकार है या नहीं? अगर उसको इसका विश्वास मिल जाय तो वह अधिक हितकर होगा और वह २० रुपये देकर जो पोलिटिकल पैट्रनेज गेन किया जा रहा है उससे अधिक उससे अधिक भावनाओं का निर्माण होगा। आज उसको इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि तुम्हें अपनी धन धरती से अपने जीवन यापन करने की छूट है और जो ५ गुना, ७ गुना या १० गुना की बात है उससे उसको मुक्ति मिल जाय तो उससे अधिक जनभावना का निर्माण होगा। यह मैं कोई राजनीतिक स्लोगन नहीं उठा रहा हूं, मैं उनके लिये किसी माफी की दरख्वास्त भी नहीं कर रहा, लेकिन यह इसलिये कह रहा हूं कि अगर किसी मंत्री की जब वह मंत्री नहीं रहते और उनको साल भर तक तनख्वाह न मिले तो जो हालत होती है उसका खयाल करते हुये जिसका ७५ फीसदी घाटा हो गया है उससे उसको कुछ राहत मिल जायगी। यह सब न करके २० रुपये या ३० रुपये प्रति व्यक्ति देने की बात करना इससे लज्जाजनक बात और कोई हो नहीं सकती। रामरतन गुप्त को अगर आप छूट दे सकते हैं .....

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर आप चाहें तो आपको भी छूट मिल सकती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मेरे यहां तो सूखा है भी नहीं, अगर हो भी तो मत कीजियेगा नहीं तो जो आप मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं वह कहां से आयेगी? मेरा निवेदन केवल इसलिये है कि आज काश्तकार को यह हक मिलना चाहिये।

कल मन्त्री जी ने कहा कि रेवेन्यू विभाग के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अन्तर्गत ही देखा जायगा कि क्या हो सकता है। उधर सत्यनारायण जी कह रहे थे कि जो आपकी बढ़ी हुई मजदूरी है वह टेस्ट वर्क पर नहीं दी जा रही है। अगर नहीं दी जा रही है तो फिर वह किस प्रकार से खरीदे? गल्ले का भाव आज बाजार में ४० रुपया मन हो गया है। सरकार को वह पूरा करना चाहिये। हमने पहले भी कहा कि जो पी० एल० ४८० का रुपया जमा किया जाता है उस फंड में वह कदाचित अगर काश्तकारों पर लगा दिया जाय तो यह भुखमरी की समस्या हल हो जायगी। भारतीय जनसंघ ने भी इस बात को कहा है कि सिंचाई योजनायें इस प्रकार की बनाइये जो छोटी छोटी हों। इन बड़ी योजनाओं से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इनका भी एक दिन इसी तरह से दिवाला निकलने वाला है जैसे आज निकल रहा है, लेकिन माननीय मन्त्री जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद---]

जहां तक नहरों की समस्या है अगर कोई काश्तकार जहां से नहर निकली है वहां पर अपने कुएं से पानी की सिंचाई कर लेता है तो उसको सिंचाई की कीमत देनी पड़ती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस नियम को हटा दें। आपके पतरौल विजिलेन्ट रहें। अगर कोई किसान अपने पक्के या कच्चे कुयें से सिंचाई कर लेता है तो उसको नहर का लगान न देना पड़े। नहरों का जल स्तर भी गिर गया है। माननीय मन्त्री जी कदाचित अपनी सारी जिन्दगी इस विभाग को देखते रहे हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि यदि १ फुट स्तर गिर जाय तो जिस कुलाबे से १० हजार क्यूसेक्स पानी निकलता है उससे ५ हजार क्यूसेक्स ही निकलेगा। आपने नहरों के जल स्तर को गिरा दिया है तो फिर पूरी तरह से पानी नहीं दिया जा सकता है। काश्तकारों की समस्या है पानी की, उस पर आपको विचार करना है। मैं यह सुझाव दूंगा कि काश्तकारों के हित में आपके सारे पतरोल मिलकर काम करें तो काश्तकार को लाभ हो सकता है। अगर कोई काश्तकार अपने खेत की सिंचाई को पूरा करने के लिये अपने कुयें से पानी ले ले और जब नहर न चल रही हो उस समय उसको अपने साधन से पानी मिल जाय तो उससे सरकार का भी लाभ होगा। इसलिये सरकार को उससे सिंचाई का लगान वसूल नहीं करना चाहिये। जो अपने कुयें से सींचने वाले हैं उनको सुविधा दी जाय तो उन्नति हो सकती है। पम्पिंग सेट काश्तकार लगा रहे हैं तो उनको पानी कहां से मिलेगा? जिस तालाब के ऊपर वह लगाते हैं वहां पर जल स्तर गिर जाता है तो फिर कहां से उनको पानी मिलेगा?

पम्पिंग सेट खरीदने के बाद जहां आप उनको लगाना चाहते हैं वहां यह भी देखना है कि जानवरों के पीने के लिये पानी रह जाय। कितने तालाब ऐसे हैं जिनमें पानी रह जायगा? सरकार ने कुछ पम्पिंग सेट खरीदे, करीब १,१।। हजार पम्पिंग सेट खरीदे और सरकार ने खर्च किया और खरीदने के बाद एक योजना चलाई। उसकी घोषणा हुई। काश्तकारों को आम तौर पर ४ रुपया घन्टा किराये पर पम्पिंग सेट वहां मिलता है, लेकिन सरकार ने कहा कि जो पम्पिंग सेट गांव सभा किराये पर लेना चाहे वह पम्पिंग सेट सरकार से मंगा ले। वह पम्पिंग सेट सरकार ३ रुपया घंटा किराये पर देगी। इसके लिये ५० दरख्वास्तें आईं, लेकिन वह दरख्वास्तें इधर उधर चक्कर काटती रहीं। डी० एम० से डी० पी० ओ० और डी० पी० ओ० से बी० डी० पी० ओ० और बी० डी० ओ० से लेखपाल तक चक्कर काटती रही। कभी नीचे से ऊपर और कभी ऊपर से नीचे आती रहीं। काश्तकारों ने पूछा कि क्यों यह चक्कर काटती है? असल में सही बात यह है कि अब सरकार को यह निश्चित कर लेना है कि काश्तकारों के आग्रह पर वह पम्पिंग सेट जिन दामों पर मिले है उन्हीं दामों पर सरकार काश्तकारों को बेच देगी। किराये के लिये कहीं पंपिंग सेट है? पंपिंग सेट हैं नहीं?

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ११,००० पंपिंग सेट्स की उपहास्यास्पद योजना है। केवल कागज पर ही है। नहरों का पानी २५ फिट नहीं उठेगा, आप किस चक्कर में है अगर उठेगा तो २-३ सौ पम्पिंग सेट्स लगावेंगे और उसकी कास्ट तिगुनी, चौगुनी होगी।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

सौ जगह लगाओ, कौन मना करता है। १० फिट, ५ फिट में तो उठेगा?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

५ फिट पर लगेगा तो उठा चुका। जरा मंत्री जी एक महीने तो उसको चलाकर दिखलायें। माननीय मंत्री जी की गढ़हिया में भले ह भरा हो शेष ५ फिट, लेकिन यहां तो प्रदेश की बात हो रही है। मंत्री जी के घर की बात नहीं हो रही है।

मैं एक मजेदार मिसाल इस सरकार के कारखानों की बताऊं। सरकार की ओर से सदन की तमाम समितियों को नोटिस गया है कि कमेटियों में कोई सरकारी अधिकारी नहीं आवेगा क्योंकि वे सूखे के निवारण में बिजी हैं। हमारे साथी भानुप्रताप जी ने तो उनके रवैय से तंग आकर बदतमीज तक कह दिया जो कि ऐसे शिष्ट सदस्य हैं कि जिन्होंने सरकार की बदतमीजियों को बार-बार भुलाया और वह भी बर्दाश्त से बाहर हो गये। वह कहना तो चाहते थे सुचेता जी को, लेकिन अधिकारी को ही कह गये और सच तो यह है कि सरकार अपने हर तंत्र की जिम्मेदार है। वहां तो अब तंत्र फल है और यहां सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो रही है। अगर पूछिये तो सरकार है ही नहीं, कोई संयुक्त जिम्मेदारी ही नहीं है। योजना मंत्री जी से अगर कहीं भेंट हो जायं तो वह कहेंगे कि भाई सूखा पड़ गया है, लेकिन इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

सूखे के बारे में बतलाया है कि १७ जिलों में, ५,१७५ और १५ जिलों में २,६५० और बाकी जिले रह गये ९ और १३। करीब-करीब २० जिले ऐसे हैं जिनमें मंत्री जी के हिसाब से ५० फीसदी से कम सूखे का नुकसान है। यह इस आधार पर नहीं है जो कि आजकल की फसल है। यह तो पुरानी फसल के आधार पर है और नयी फसल की यह हालत होने वाली है कि जिसमें २ रोज ही पानी बस जाने से उनके अनुसार बड़ी व्यापक बारिश हो गयी। मैं इतना बताता हूं कि पचासों जगहों पर इस नयी फसल के सूखने की सूचनाएं मुझे आ चुकी हैं — एक दो जगह नहीं। और पंपिंग सेट्स अभी कम्पनी में ही हैं। जिस तरह से उनको प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है उस तरह से मार्च तक वह कहीं प्राप्त होंगे। फसल की हालत यह है कि अगर १५ दिन तक पानी न मिला तो आधी फसल सूख जायेगी। हमारे मंत्री जी की योजना बुरी नहीं है, पर उनके जो पिछलग्गू हैं वह पूरा नहीं होने देंगे।

जहां तक मान्यवर, सूखे के समय काश्तकारों को सहायता करने का प्रश्न है, हम समस्त विरोधी दल के सदस्य जो भी सहायता मांगी जायेगी वह देने के लिये तैयार हैं। हम अपने चुनाव को छोड़ देंगे, अपने कामों को छोड़ देंगे, पर जो भी सहायता सूखे के संबंध में हमसे मांगी जायेगी हम देंगे।

मान्यवर, आज प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध किया जाय और जो साधन उत्पन्न किये जायें उनका हमारे आज के साधनों से तालमेल हो। भुखमरी से प्रदेश को बचाने के लिये आज सरकार द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। मजदूरों को जो ५० रुपये मजदूरी आज मिल रही है वे उसको खुशी से नहीं ले रहे हैं वे बेबस हैं, कोई और चारा नहीं है, इसलिये वे यह ले रहे हैं। अगली फसल के आ जाने पर कौन सी बम्पर क्राप आ जायेगी जो किसान सब अदा कर देगा ?

मान्यवर, आज सूखे से प्रदेश को बचाने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि जो इस संबंध में समिति बनायी जाय वह सर्वदलीय हो। दूसरा यह कि जो अपाहिज हैं उनके लिये मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाय। तीसरा यह कि जहां-जहां सूखा पड़ा है वहां पर काश्तकार पर जो भी सरकारी ड्यूज हैं वे सब माफ कर दिये जायं। चौथा यह कि टेस्ट वर्क में मजदूरों को मजदूरी नयी दरों से दी जाय और टेस्ट वर्क व्यापक रूप से खोले जायं। सिंचाई के साधन ऐसे किये जायं जो भविष्य में जनता के काम आ सकें और गांवों गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाय ताकि वे हमारे साधनों को बढ़ा सकें। मैं दूसरे की क्या कहूं। मेरे सामने यही सूचना माननीय नेता विरोधी दल भी दे रहे थे कि उनके गांव का भी कुआं नहीं चल रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री की तो नहीं जानता, लेकिन और फार्म ऐसे हैं जिनकी सूचना मेरे पास है कि वहां भी नहीं चल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस सूखे की स्थिति को राजनीतिक रूप देने के बजाय वर्तमान खाद्य समस्या को हल करने का प्रयास करें और इस तरह को

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

योजनायें जिसमें फिर सरकार किसी भी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहे, उनको समाप्त करें वरना प्रदेश भूखों मर जायेगा और फिर प्रदेश मंत्रियों को कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि इसके लिये वे ही जिम्मेदार हैं ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मुझे एक बात कहनी है । मैं तीन दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूं परन्तु आपने मुझे बोलने के लिये एक मिनट भी वक्त नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

४२५ मेम्बर्स हैं । सबको तो मैं बोलने के लिये वक्त नहीं दे सकता । दो दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है । इसलिये आपको यह शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री महादेव—

मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी बहुत नियंत्रित ढंग से कार्यवाही चलने देता हो आप उसकी तरफ निगाह नहीं देते । मैं तीन दिन से खड़ा हो रहा हूं परन्तु आप सुनना नहीं चाहते, यह तो....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको समय इनके बाद दे दूंगा । लेकिन यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि मुझे टाइम नहीं मिला । बड़ा मुश्किल है जहां ४३० मेम्बर्स हों वहां दो दिन में क्या दस दिन के अन्दर भी टाइम नहीं दिया जा सकता ।

*श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मैं इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं और इस पक्ष में अपना मत व्यक्त करता हूं कि इस अनुदान को पास किया जाय । परन्तु बड़े खेद के साथ मुझे फिर वही कहना पड़ता है जो मैंने मूल बजट के समय कहा था कि यह सरकार जनतांत्रिक तरीके से न चल कर अपने लिये नित नई समस्यायें पैदा कर रही है । एक बजट के बाद दूसरा बजट पेश हो जाता है परन्तु समस्यायें जहां की तहां बनी रहती हैं । वही खाद्य की कमी, वही सूखा, वही विद्यार्थी आन्दोलन, वही गोरक्षा का आन्दोलन और वही राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन , आखिर ये सब क्यों हैं ? मैं बहुत आदरपूर्वक, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके इस विधान सभा या विधान परिषद् में विचार व्यक्त हों, बहस हों तो सिर्फ उन्हें यहां सुन कर हंस देने से काम नहीं चलता । हम लोग अपना यहां वक्त खराब करने के लिये और अपनी वाक्शक्ति दिखाने के लिये नहीं आये हैं, बल्कि जो सुझाव दिये जायं उनपर गम्भीरतापूर्वक सुन कर अकेले में विचार करिये । मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त विधान सभा में दोनों ओर से विचार व्यक्त किये जाते हैं उन पर क्या अमल होता है ? उनके न कोई नोट्स हैं न कोई फालोअप प्रोसीडिंग्स होती हैं । जो बजट छाप दिया और जो निर्णय ले लिया बस उसे लकीर के फकीर की तरह पीट रहे हैं । इस बात का कोई जबाव दे कि आखिर यह कोई हंसी का विषय नहीं था । हम सूखे पर तीन दिन से बातचीत कर रहे हैं तो यह कोई छल के हृदय से बात करने का विषय नहीं था । तीन प्लान आप पूरे कर चुके हैं । ३ प्लान बीत गये ,लेकिन स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है । इस बात को देखना चाहिये कि हमारी कोई न कोई गलती जरूर है । उस गलती को ज्यादा विलम्ब न कर के क्यों नहीं तुरन्त सुधारते हैं ? आपको एक प्लान केवल सिंचाई और विद्युत् योजनाओं का बनाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिये थे। क्या जरूरत थी इस बात की कि आप नये-नये विद्यालय बनाते, नये-नये अस्पताल खोलते, क्या आवश्यकता थी आपको बड़ी-बड़ी सेन्टेनरी बनाने की? उन चीजों के लिये तो आप इन्तजार कर सकते थे, लेकिन भूख किसी का इन्तजार कैसे कर सकती थी? अगर आप एक प्लान केवल सिंचाई और विद्युत् का बना लेते तो आज कम से कम यह हिमाकत तो न होती कि विदेशों से भीख मांगनी पड़ती।

हर चीज को हंस कर टाल दिया जाता है। एडवोकेसी ऐक्ट पास किया गया। तमाम लोगों ने उसका विरोध किया लेकिन आप नहीं माने, लेकिन फिर आपने वही किया। जब आप ने यह कर ही दिया है और अपनी गलती को मान ही लिया है तो उन विद्यार्थियों को क्यों नहीं छोड़ दिया जाता है जिन्होंने इसमें भाग लिया। उनके मुकदमों को तुरन्त वापस ले लिया जाना चाहिये। शान्ति और प्यार से उन लोगों को समझाना चाहिये।

एक समस्या है जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल ने किया और जिसको साढ़े चार बजे वक्तव्य के लिये रखा गया है। गोरक्षा आन्दोलन से उसका संबंध है। इस बारे में आप अपने संविधान के आर्टिकिल ४८ को क्यों नहीं देखते, जिसमें कहा गया है —

"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

अगर आप के फन्डामेन्टल राइट्स उसको एलाउ नहीं करते हैं तो फिर उसके मुताबिक आप क्यों नहीं कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं? जब और चीजों के लिये आप कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो इसके लिये क्यों नहीं करते? कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि माननीय मुख्य मन्त्री जजेज की नियुक्ति के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके अनुसार कान्स्टीट्यूशन को बदलवाने के लिये दिल्ली दौड़ी गयीं। मैं पिछले चार सालों से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी का मेम्बर था। उस कमेटी ने ३ साल पहले ही यह सिफारिश कर के भेजी थी कि हायर जुडीशियल सर्विस के बारे में जो आप का कानून है वह अल्ट्रावायरस हो सकता है, लेकिन हम ठहरे विधान सभा के सदस्य, हमारी बात कोई क्यों सुनने लगा? फिर समिति के अनुरोध से मैंने माननीय अली जहीर को एक चिट्ठी लिखी और उनका प्वाइंटेडली अटेंशन ड्रा करने पर भी कि यह नियम आगे जाकर चैलेंज हो सकते हैं और यह सब चीज अल्ट्रावायरस हो सकती है, कोई इंतजाम नहीं किया गया। श्री अली जहीर साहब से भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ने एडवोकेट जनरल से बात कर ली है इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ने देखा कि क्या हुआ और यहां तक नौबत है कि आज संविधान में संशोधन करने की बात हो रही है, इसको नतीजा आप के सामने आया। जब हमने एक प्रणाली स्वीकार की है और हम प्रजातंत्र को मानते हैं तो हमें सब की बात को सुनना समझना चाहिये, लेकिन अफसोस तो यह है कि जहनियत आज भी हमारी फ्यूडल है। जब हम इन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो हम मनमानी करना आरम्भ कर देते हैं हालांकि इसमें कभी कुछ हमारी भी है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन वह लोग जो आज कुर्सियों पर विराजमान हैं वह समझते हैं कि जब जरूरत होगी हम इनके हाथ उठवा लेंगे, इस तरह से हम भी उन की इस मनमानी को तस्लीम करते हैं और पूरा करते हैं। हमारी भी इसमें कमी है वर्ना ऐसे-ऐसे मंत्रिगण और ऐसे-ऐसे उपमन्त्री भी यहां हैं जिनको बात करने का सलीका नहीं था और महज चुगलखोरी और गुटबन्दी की बिना पर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप किसी बात पर ध्यान नहीं देते तो हम मजबूर हो जाते हैं और हमें अपने दिल की सुनाना पड़ती हैं।

एक और नई समस्या यहां ६ मास से पैदा हो गई है राज्य कर्मचारियों की। वह कोई आप से राज्य मांग रहे हैं या वह विधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं? वह तो

[श्री ब्रजभूषण शरण]

आप से केवल अपनी रोटी मांगते हैं, उसमें कौन सी बात नाजायज है ? यह तो आप के संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में लिखा हुआ है कि बराबर काम के लिये बराबर वेतन दिया जाय तो आप उस मानी हुई चीज से क्यों हटते हैं ? वह तो सिर्फ यही मांगते हैं कि उन को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप मंहगाई भत्ता दिया जाय। यदि आप के पास साधन नहीं हैं तो उन को प्यार से बुलाकर समझाइये, उन के भी पेट है, बच्चे हैं, लेकिन आप उनके प्रतिनिधियों के नाम वारन्ट निकालते हैं और सारी समस्या को एक प्रेस्टीज प्वाइंट बनाये हुये हैं। उनकी मांगें, कतई सही और उचित हैं आप को उन्हें पेट भर खाना देना होगा। अगर आप खुद उनकी समस्याओं पर विचार कर लें तो क्या जरूरत है कि विरोधी पक्ष के लोग यहां और बाहर हल्ला मचावें। लेकिन आप पहले तो किसी चीज को मानते नहीं और जब उनके कहने से थोड़ा बहुत मानते हैं तो जाहिर है कि श्रेय भी उन्हीं को जाता है। आप उन को पहले एन्करेज करते हैं और बाद में छीछालेदर के बाद हर चीज को मानते हैं। हर चीज को अगर समय से ध्यान लगा कर समझा जाय और उसका हल निकाला जाय तो उसमें क्या मुश्किल है ? आप जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के और हमारे सहयोग से यह सरकार बनी है। तो क्यों नहीं आप जनमत और हमारे सुझावों पर ध्यान देते, क्यों समझते हैं कि केवल हम ही समझदार हैं और कोई समझदार नहीं है ? आज जिनके पास सत्ता है और कुर्सियां हैं उन्होंने प्रजातन्त्र का उपहास बना रखा है।

मैं आप के द्वारा मान्यवर, यह सुझाव दूंगा कि ऐसे समय में एक एमरजेंसी की फीलिंग जैसी होनी चाहिये, वह आज नहीं है। माननीय टम्बेश्वर जी ने ठीक कहा है कि यहां आज भी कव्वाली और नाचरंग का वातावरण व्याप्त है, यह जो बड़ी-बड़ी सेन्टीनरीज मनाई जा रही हैं और उन में हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है इसकी क्या आवश्यकता थी ? सरकार से मेरा निवेदन है कि गम्भीरतापूर्वक सूखे की समस्या पर विचार करे और एक बजट या २ बजट का पूरा रुपया सिंचाई के लिये सेचुरेट कर दें ताकि यह अभिशाप दूर हो जाय और जैसा कि माननीय टम्बेश्वर जी ने कहा कि चाहे इस वर्ष यह पंपिंग सेट्स काम न दें, लेकिन आप आगे के लिये एक स्थायी इंतजाम कर दीजिये। कुएं अभी न बन सकें तो कम से कम सब जगह बनवाना आरम्भ कर दीजिये ताकि आगे तो फसलें बच सकें और ऐसी स्थिति न आये।

आगे के लिए उसका प्रबन्ध हो। कुछ भी इन्तजामात हों, उन्हें करना चाहिए। जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का सम्बन्ध है उसको टाप प्रायोरिटी देनी चाहिए और उस मसले को एमरजेन्सी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि दरख्वास्तें लिए-लिए कलेक्टर से कमिश्नर और कमिश्नर से मंत्रियों तक लोग घूमते फिरें। ये आर्डर स्पाट स्वीकृत होनी चाहिए और जिस सहायता को जहां पर जरूरत हो उसको तुरन्त और उसी समय दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने और अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया।

*श्री महादेव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय सदन में हमारे उप मंत्री, वित्त और विशेष रूप से माननीय राम मूर्ति जी भी उपस्थित हैं। मैं यहां पर आज एक मौलिक सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार को हमेशा यह शिकायत रहती है कि विरोधी पक्ष की ओर से कोई सुझाव नहीं आता बल्कि केवल नुक्ताचीनी ही होती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट के सम्बन्ध में और सिंचाई के विषय पर काफी बहस हो चुकी है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह इस बात की तुरन्त घोषणा कर दे और अगर हमारी सरकार होती तो इस बात की तुरन्त घोषणा करती कि इस आगामी ५ वर्षों के अन्दर १० वीं कक्षा से लेकर बी० ए० तक पढ़ने वाला कोई भी नवयुवक बेरोजगार नहीं होगा। एक सदस्य--बड़ी मुश्किल बात है।

श्री महादेज--

हां, मुश्किल है, यह मैं मानता हूं परन्तु असम्भव नहीं है, इसके लिये साहस की आवश्यकता है। मैं केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही क्यों कह रहा हूं, बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं ? उसका एक कारण है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपकी सारी योजनाओं की दिशा ही बदल जायगी। सारा वातावरण ही परिवर्तित हो जायगा। केवल आपको साहस और हिम्मत की आवश्यकता है। सारी योजनाओं को इस लक्ष्य बिन्दु (केन्द्र) को सामने रखकर, उसके चारों तरफ सर्किल बनाइये। मैं असम्भव इस लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने एक मिसाल इजराइल देश की देना चाहता हूं। इजराइल देश हमारे दो जिलों के बराबर है। वह सारा का सारा रेगिस्तान है। उसम केवल एक नदी, ट्रान्स जोर्डन है जिसमें पानी भी नहीं आता। वर्ष भर में केवल बरसात में १ या १/२ इंच से अधिक वर्षा नहीं होती है। मैं तो समझता हूं कि दुनिया में इतनी लुटी पिटी कौम शायद ही हो, जितनी कि यहूदी कौम रही है। ये लोग जहां कहीं भी गये, वहीं पर पीटे गये। अपना मुल्क कहने को इन्हें कोई जमीन नहीं मिली। किस प्रकार से सन् १९५२ में इजराइल एक स्टेट घोषित की गयी, यह सबको विदित ही है। आज भी करोड़ों करोड़ों अरब के लोग उनको घेरे हुए हैं लेकिन उन्होंने भी १० वर्ष के अन्दर उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया है। हमें अफसोस है कि हमारे यहां पर हिमालय जैसा पर्वत है और हजारों नदियां उसकी गोद से निकली है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक उर्वरा भूमि का प्रश्न है शायद जितनी उर्वरा भूमि हमारे देश मे है दुनिया के किसी भी हे देश में नहीं है। लेकिन २० वर्ष में भी हम उसी जगह पर है जहां पर आजादी के आरम्भ में थे। बड़े दुःख की बात है कि हमारा दृष्टिकोण फेल हो गया है। हमारी योजनाओं का कोई केन्द्र बिन्दु नहीं रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस केन्द्र बिन्दु को अपनाये। आप कहेंगे कि मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ा आसान है। अगर आप इस बात की घोषणा कर देते तो सारा वातावरण जो कलुषित हो रहा है वह आज बदल गया होता। याद रखिए कि अगर वातावरण विषाक्त और कलुषित होता है तो कृष्ण भी उसको नहीं दबा पाये थे। आप इस जन शक्ति को या तो किसी तरफ लगाइये अन्यथा यह आपको खा जायगी। भगवान कृष्ण ने आततायियों का सर्वनाश किया। पांडवों का राज्य हुआ दिल्ली में, यादवों का गुजरात में, सर्व सत्ता उन के हाथ में आयी और उस समय यादवों का सर्वनाश हुआ। गांधी जी उसी विषाक्त वातावरण के कारण गोली खा कर मर गये। इस विषाक्त वातावरण को फैलाकर हम प्रजातन्त्र की बातें करें, देश के उत्थान की बात करें यह हरगिज सम्भव नहीं हो सकता।

मैं एक स्कूल का २५ साल से प्रिन्सिपल रहा हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस अन्दोलन में मेरे स्कूल के बच्चों का रुख यह रहा कि देशद्रोह के काम में हम को नहीं पड़ना चाहिए। क्यों ? इसलिये कि बहुत छोटे पैमाने पर मैंने उनके सामने एक रचनात्मक काम रख दिया। अगर हमारे शिक्षित समुदाय के अन्दर यह निराशा की भावना न होती कि बी० ए०, एम०ए० पढ़ने के बाद वे कहां जायं तो आज आप को एक नयी दिशा का भान हुआ होता। यह हमने नहीं किया। सितम्बर, १९५१ में पी० सी०सी० की मीटिंग तिलक हाल में हुई, मैंने चेलेंज देकर कहा था सरकार से, उस समय मैं पी०सी०सी० का मेम्बर था, कि अगर इस शिक्षा की दिशा को मोड़ा न गया तो याद रखिये १५ साल बीत जाने के बाद यह शिक्षित नवयुवक गवर्नमेंट चलने नहींदेगा, बाहर सम्मानपूर्ण जिन्दगी व्यतीत करने का अवसर नहीं रहेगा और मिनिस्टरों को मोटर से खींच कर नालियों में पटकेगा। शब्द मेरे कड़ जरूर थे, इसीलिये कांग्रेस को छोड़ना

[श्री महदेव—]

पड़ा और आज ठीक १५ साल के बाद, सितम्बर १९५१ से नवम्बर, १९६६ में यह स्थिति आ गयी। और ५ साल बाद क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। अभी ५ फीसदी हाई स्कूल आप के गांव का नहीं हुआ। और अगर आप ने शिक्षा को ५० फीसदी कर दिया तो मैं कहता हूं कि कोई हुकूमत नहीं चलेगी और मुल्क ध्वस्त हो जायेगा, भूखों मरेगा। एक गरीब लंगोटी लगाये मनुष्य को सैकड़ों वर्षों तक कुचल कर उसकी गाढ़ी कमाई को बुद्धिमान कहे जाने वाले लोगों न लटा है। लेकिन अगर उसी गरीब का बच्चा हाई स्कूल, इंटर हो जाता है तो उस को उस क्षेत्रों में रखने का साहस आप नहीं करते है। तालीम देना आप के लिए लाजिमी है, इसलिये म कह रहा था कि इस की घोषणा कर दीजिये, सारे विभागों को इस की तरफ मोड़ दीजिये, सारे प्लान को मोड़ दीजिये और आप देखगे कि साल भर के अन्दर यह नौजवान जो रेल, डाक तोड़ रहा है, हुकूमत नहीं चलने दे रहा है, यह हमारे लिये कृष्ण बन कर देश के सामने आ जायगा और देश को एक नयी रोशनी दे देगा।

क्यों नहीं करते हो? आप की इन बहसों, तमाम वितंडावादों से देश एक इंच बढ़ने वाला नहीं है। उस को चाहिये रचनात्मक नेतृत्व, उसको वोट मांगने वाला नेता नहीं चाहिये। उसको जीवन देने वाला नेता चाहिये और वह नेता आप ने न पैदा किया है और न आप के अन्दर पैदा करने की कोई सूरत नजर आ रही है। बहस से मुल्क नहीं उठता, लम्बे प्रोग्रोम से नहीं उठता, आदमियों से उठता है। आचार्य विनोबा भावे से मैंने ७, ८ साल पहले पूछा था मेरे स्कूल पर आये थे, कि आप सर्वोदय समाज को लाना चाहते हैं, लेकिन उस को स्वर्ग से उतारने क लिये आप के पास भगीरथ कहां है? कौन लायेगा उसे? सरकारी नौकरी? पढ़ी लिखी जमात? उन्होंने कहा कि मेरी चले तो मैं सारे स्कूल कालेजों में ताला बन्द कर दूं। ये तो देश को ध्वस्त करने वाली संस्थाएं हैं। तो क्या सरकारी नौकर लायेगा, या पढ़ा लिखा समाज जो रेल, तार, डाक तोड़ रहा है? तो फिर कैसे उठाना चाहते हैं उस गये गुजरे कमजोर तबके के भरोसे जिसने सैंकड़ों साल खून पसीना दिया है, लेकिन मुल्क नहीं उठा। उस को चाहिये नेतृत्व। बें बता दूं कैसे होगा। अगर सरकार घोषणा करती है कि हर शिक्षित व्यक्ति को रोजगार देगी, नौकरी नहीं रोजगार हर शख्स को आप दे सकते हैं, उसकी एप्लिकेशन ले लीजिये। उसको १०, १५ हजार का लोन गारंटी लेकर दे दीजिये जिसे खेती पर लगाया जाय, पशुपालन पर लगाया जाय, इंडस्ट्री पर लगाया जाय तो ५ साल में मुल्क का नक्शा बदल सकता है। शत प्रतिशत पढ़ा लिखा जर्मनी ध्वस्त हो कर भी १५ साल में उठ गया। जापान भी इसी तरह से दूसरी लड़ाई के बाद उठ गया और हम पर कोई आपत्ति नहीं आई उनके मुकाबले सिवा पाकिस्तान की लड़ाई के। फिर भी हम रोना रो रहे हैं, और इसलिये रो रहे हैं कि हमने सरकारी नौकरों की बदौलत देश को उठाना चाहा है। आज देश के जो शिक्षित हैं, डाक्टर, वकील, सरकारी नौकर किनको आप समझते हैं कि देश का नेतृत्व ले सकते हैं? उसने एक चीज सीखी है कि कंस के सिपाहियों की तरह गोकुल की कमाई को लूटा जाय। उन्होंने कृष्ण के ग्वाले हो कर उत्पादन करके खुद खाना और १० को खिलाना नहीं सीखा है। कितने प्रतिशत शिक्षित लोगों को आपने खेती पर जाने के लिये प्रेरित किया है? हमने डाक्टर सम्पूर्णानन्द को कहा कि आप चाहते हैं विद्यार्थियों को मजदूर बनाना। वे मजदूर नहीं बने, नवाब वाजिद अली शाह बन गये। १२ जिले के एक वाजिद अली शाह के करिश्मे तो आपने देखे, लेकिन ये सारे के सारे वाजिद अली शाह क्या करेंगे?

जिस समय विद्यार्थियों की हड़ताल हो गयी, मैं जा रहा था तो उधर से उनकी जमात आ गयी। मुझे हंसी लगी। मुझे १०, १२ विद्यार्थियों ने घेर लिया। कहने लगे कि आप एम०एल०ए० लगते हैं, आप हंस दिये हमारी दुर्दशा पर। मैंने कहा कि मैं आपकी दुर्दशा पर नहीं हंसा, म उस देश की दुर्दशा पर हंसा जहां के गरीब मां बाप ने अपना पेट, रोटी, तथा कपड़ा काट कर आपको पढ़ाया इस आशा से कि पढ़ा-लिखा नौजवान देश के काम आयेगा, देश को उठायेगा और जिन नौजवानों पर देश की आशायें बंधी हुई है वे स्वयं तशतरी लकर भीख मांग रहे हैं।

पढ़ लिख कर यह नौजवान पटवारी बन कर, तहसीलदार अथवा थानेदार बन कर उसी गरीब जनता को लूट रहा है। कोई दूसरा उसका काम नहीं है। यह शिक्षितों को आप कहां लिये जा रहे है। आप उनको नई दिशा दें, वे एग्रिकल्चर और इंडस्ट्री को अपनायें। मैं खुद तजुर्बा कर रहा हूं। मैं आपके सामने नमूना पेश कर दूंगा कि ५ एकड़ खेती से एक मिनिस्टर की तनख्वाह निकल सकेगी, एक डिप्टी कमिशनर का वेतन निकल सकेगा। मैं उसको करने जा रहा हूं। १० साल से लगा हुआ हूं और भगवान चाहूंगा तो एक दो साल के अन्दर नक्शा रख दूंगा। १००, १५० रुपये की नौकरी देकर आप किस किस का पेट पालेंगे? सन्, ३७ में एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट की तनख्वाह ७५ रुपये थी और आज २० गुना मंहगाई बढ़ गयी है और उसका वेतन १५०० रुपया बैठता है। आप इतना वेतन दे सकते है? फिर किस किस को देंगे? सभी मांगते है, सभी लेना चाहते है। सरकार नोट छाप कर दे सकती है। उत्पादन बढ़ेगा नहीं। नोट छापकर मंहगाई बढ़ा कर तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता। देश तबाह हो जायगा।

उत्पादन के अवाला एक समस्या यह है कि आप प्रजातंत्र की बातें करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन क्या सभी आपने खयाल किया है कि प्रजातंत्र का प्रहरी इस देश में कौन है? क्या आप समझते हैं कि हमारे देश की वे पार्टियां है। जिनके कर्णधार गांधी और कामराज जैसे हों और जहां पार्टी बन्दी हो वहां आपस में झगड़े होना और एक दूसरे को गिराना निश्चित है? ऐसी पार्टिया प्रजातंत्र की प्रहरी नहीं हो सकतीं। क्या सरकारी नौकर प्रजातंत्र को उठायेगा? हर्गिज नहीं। प्रजातंत्र तो उसके अधिकारों का संघर्ष है वह उसको कभी गवारा नहीं कर सकता। फिर आज का जो पढ़ा लिखा तबका है वह तो उसी कमाऊ जनता से अपना भरण पोषण करना चाहता है। आपका यह सदन भी प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकता। उसके लिये एक जागरूक क्लास, वेस्टेड इंटरेस्ट चाहिए जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट प्रजातंत्र की रक्षा करना हो। म उस क्लास की पैदा करना चाहता हूं जो इंडस्ट्री को लेकर बैठेगा, खेती को लेकर बैठगा और उसकी रक्षा के लिये प्रजातंत्र को इस सदन के द्वारा नियंत्रित करेगा, उस के आघात को बर्दास्त नहीं कर सकेगा।

दूसरी समस्या है शिक्षा की व्यवस्था। बार-बार यह बात आती है। बड़ी-बड़ी बातें की जाती है। आज के शिक्षित समाज के प्रश्नों को अछूता छोड़ कर शिक्षा का प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। आपका नेकनीयती से किया हुआ प्रयास विफल हो जायगा, क्योंकि शिक्षा पर आर्थिक स्थिति का, गरीबी का, जात पात का, भ्रष्टाचार से प्रेरित भावनाओं का असर पड़ता ही है। उनको अलग नहीं रख जा सकता। जब भी शिक्षा की व्यवस्था का सवाल सामने आता है तो आपको देखना होगा उसके सारे आर्थिक और समाजिक पहलू पर। आपको ५ साल के अन्दर यह देखना होगा और उसके अनुरूप शिक्षा को ढालना होगा कि कोई भी शिक्षित बेरोजगार नहीं रहेगा। इस तरह से आपकी शिक्षा को एक दिशा मिल जायगी। शिक्षा का ध्येय वह होना चाहिये कि शिक्षितों को देश का उद्यमी नागरिक बनायेंगे, आलसी व नाजुक नागरिक नहीं, और शिक्षा को आप इस प्लान के अनुरूप ढालेंगे तो नौजवान को एक शिक्षादिक्षा मिलेगी।

मैं अधिक समय न लेकर इसे समाप्त करता हूं इस आशा के साथ कि सरकार को इस पर बड़ा गंभीर विचार करना है और जो सुझाव मैंने दिये हैं सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी। अगर इनको अपना लेती है तो मुझे आशा है कि सारी दिक्कतों क बावजूद साल भर के अन्दर इस सारे प्रदेश की फिजा और वातावरण बदल जायगा और हमको एक नई राह मिल जायगी।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह अनुपूरक अनुदान आज जो प्रदेश की सूखे की स्थिति है उसका सामना

*वक्ता नेभाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । सब से पहले मैं एक अनुदान का जिक्र करना चाहता हूं जिसके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय टम्बरेश्वर जी ने जो कुछ कहा है अगर वह उस बात को फिर से सोचें तो वह हमारी राय के हो सकेंगे । मेरा मतलब उस मांग से है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने नदियों और नालों से पानी उठा कर लिफ्ट इर्रीगेशन का प्राविजन किया है । यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे भाई काशीनाथ जी को आज सही न मालूम पड़ती हो, लेकिन जब वह अपने इलाके में जायेंगे तो वहां के काश्तकार उनको बतायेंगे कि वे सचमुच उसे अपनाने लगे हैं । आज जितने भी काश्तकार नदियों के किनारे बसे हुये हैं जो आये दिन बाढ़ से पीड़ित रहा करते हैं और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के काश्तकार जो नदियों की बाढ़ से तबाह रहा करते थे और फिर रबी की फसल के लिये पानी मुहैया करने में उन्हें काफी दिक्कत हुआ करती थी आज इस योजना के अन्तर्गत उनमें एक विश्वास बन रहा है कि पांच हार्स पावर या उससे अधिक पावर का पम्पिंग सेट लगा कर वे अपने खेतों को हरा-भरा बना सकेंगे । काश्तकार इस योजना को इतना पसन्द करता है कि जिसकी इन्तहा नहीं । आज सब से पहले इस अनुपूरक अनुदान के माध्यम से इस योजना की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है । करीब एक हजार पम्पिंग सेट्स मंगाये गये और तीन रुपये प्रति घंटे के हिसाब से जो लोगों को पानी देने की व्यवस्था की गयी है यह एक निहायत ही उम्दा व्यवस्था है । इस व्यवस्था को सूखे की दशा में ही लागू न किया जाय बल्कि उसके बाद भी जब ज्यादा फसल पैदा करने की बात आती है उस जमाने में भी पम्पिंग सेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है । इस सेट को चला कर निदियों के किनारे मुस्तकिल ढंग से अगर काम किया जाय तो बाढ़ आने के पूर्व छोटी मोटी फसलें, जैसे मक्का, सावां इत्यादि जो जल्दी पैदा हो जाती है वे सब काश्तकार काट सकता है । काश्तकार के सामने सब से बड़ी समस्या नदियों से पानी निकालने का प्रश्न था । कहीं-कहीं वह ढेकली से पानी निकाल कर अपना काम चलाता है । लेकिन वह व्यवस्था बहुत ही खर्चीली हो जाती है और उसमें बहुत मेहनत पड़ती है जैसे कच्चे कुयें से पानी निकालने में । आज जगह जगह पम्पिंग सेट्स की मांग इस कदर बढ़ रही है कि उसका हिसाब नहीं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात जानता हूं । मेरे क्षेत्र में तीन नदियां हैं—राप्ती, घाघरा और सरेना । आज वहां यह डिमांड बढ़ रही है कि इन नदियों के पानी को ले कर लोग पैदावार बढ़ायें । यह स्थिति दूसरी जगहों पर भी है । यहां कुंआनी, आनी और रोहिन आदि जो बड़े बड़े ताल हैं उनसे भी लोगों को यदि पानी दिला दिया जायें तो बड़ी सुविधा होगी । खास तौर पर उन काश्तकारों को जिनके पास बड़ी जोत नहीं हैं, जो पम्पिंग सेट्स नहीं लगवा सकते हैं, जो दूसरे काम नहीं कर सकते हैं उनको इस योजना से फायदा हो सकता है और उनको इससे काफी राहत मिलेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना से काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचने लगा है और इस योजना को मुस्तकिल बनानी चाहिये, कम से कम उन जगहों के लिये जहां काश्तकार इसके इच्छुक हैं ।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नई बात चाहते हैं । उनको तो कोई वास्ता नहीं है । उनको तो केवल चुनाव बाजी से ही मतलब है और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज जिस सूखे का सामना सारी जनता को मिलकर करना चाहिये उसमें भी माननीय काशीनाथ जी को पार्टीबाजी और चुनाव का काम ही दिखाई देता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का अनुपूरक अनुदान सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये आया हुआ है । इसमें आप देखें कि झांसी, इलाहाबाद, बांदा और मिर्जापुर आदि ऐसे जिले हैं जहां पानी की बड़ी भारी दिक्कत है । अभी कल माननीय रामप्यारे जी कह रहे थे कि हमारे यहां तो पीने के पानी की भी बड़ी भारी दिक्कत है । अगर सरकार इसका प्रावीजन करती है और लोगों के लिये पीने के पानी का प्रबंध करती है तो क्या हर्ज है ? कल माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी कह रहे थे कि सब जगहों पर पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है । कुओं में पानी नहीं रह गया है और जमीन का स्ट्राटा नीचे चला गया है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यदि प्रदेशीय सरकार इन चार जिलों में इस प्रकार की स्कीम को लागू करके लोगों को पीने के लिये पानी देना चाहती है तो माननीय

काशीनाथ मिश्र तथा माननीय हरिनाथ तिवारी जी को क्या एतराज है ? लेकिन बात ऐसी है कि वे कुछ कहेंगे जरूर और अगर नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि माननीय सदस्य इस अनुपूरक अनुदान को एक मिनट के अन्दर सर्व सम्मति से पास कर देंगे और हमारे सभी साथी कहेंगे कि हम सब इसका एक स्वर से समर्थन करते हैं । इसी के साथ-साथ अगर किसी प्रकार के सुझाव होते तो उनको देते, लेकिन किसी तरह का कोई सुझाव माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के भाषण से नहीं मालूम हुआ । हां, माननीय महादेव प्रसाद जी ने अपनी बात कही जो रचनात्मक ढंग की थी । चाहे अनुदान से उसका कोई खास सम्बन्ध न हो लेकिन सिद्धान्ततः उन्होंने कुछ बातों को कहा जो गौर करने की बात हो सकती है । दूसरा आइटम नलकूप लगाने के सम्बन्ध में है । श्री टम्बेश्वर प्रसाद ने कहा कि नलकूप लगाने से क्या फायदा ? मेरे जिले, मेरी तहसील और कांस्टीटुएंसी के लोग आज नलकूपों के लिये बेजार हैं । अधिक से अधिक राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये, लोगों का ऐसा कहना है । वह चाहते हैं कि कमांड एरिया भी नलकूपों का कम किया जाय और दो नलकूपों के बीच में एक नलकूप और लगाया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक मांग नालियों को ठीक करने के सम्बन्ध में है । अगर सरकार की नोटिस में यह बात आयी कि खराब नालियों को बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये, अगर फी ट्यूबवेल ६०० रुपया नालियों को ठीक करने के लिये रखा, और लेबर कास्ट और चीजों के दाम बढ़ाने के कारण उनकी वजह से खर्चा बढ़ा मेरी समझ में नहीं आता कि किस बात का विरोध किया जाता है? मैं सरकार का इस बात का शुक्रगुजार हूं कि गत सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांच हार्स पावर पंम्पिग सेट पर ५० फीसदी छूट देने का फैसला ककिया । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सिंचाई योजनाओं की बढ़ोत्तरी करनी है उसके लिये अगर ५० फीसदी छूट देती है, अगर निजी नलकूपों में छूट देती है तो किस बात का यह लोग विरोध करना चाहते हैं ? क्या यह चाहते हैं कि छूट न मिले ? क्या यह चाहते हैं कि प्राइवेट इनीशिएटिव हट जाय ? मैं जानना चाहता हूं कि वह किस बात का विरोध करना चाहते हैं ? जो सरकार ने ५०० नलकूपों से बढ़ा ७३९ नलकूप बनाने का फैसला किया, मेरी मांग है कि जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं मेहरबानी करके सरकार उनको नलकूप न दे और उन इलाकों में जहां लोग नलकूपों के लिये तरस रहे हैं । जहां सरकारी नलकूप बन रहे हैं लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि अपने हाथ से नाली बना कर अपने खेतों में सिंचाई करेंगे और उत्पादन बढ़ायेंगे । लेकिन उस काम के लिये बिजली की आवश्यकता पड़ती है और सरकार उसके लिये अनुपूरक अनुदान चाहती है ।

दूसरा प्राविजन तकावी का है । तो सरकार की तरफ से जो है वह एक निहायत अच्छा कदम है । उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में मेरा एक और छोटा सा सुझाव है कि जहां विद्युतीकरण किया जाय, उसमें सबसे पहले उस इलाके को लिया जाय, जहां १०-१० और १२-१२ मील पर कोई बिजली की लाइन नहीं है, कोई स्टेट ट्यूबवेल नहीं है । वहां पर पंम्पिग सेट, स्टेट ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेल चलाने के लिये सबसे पहले बिजली पहुंचाई जाये । मेरा यकीन है इससे उस इलाके में अधिक से अधिक नलकूप लगेंगे और पंम्पिग सेट लगेंगे । मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और सरकार ने उस पर जवाब दिया कि यदि आपके यहां पंम्पिग सेट होंगे या नलकूप होंगे तो उस स्थान पर बिजली पहुंचाई जा सकती है । मैं समझता हूं कि यह व्यर्थ की बात है, सबसे पहले सरकार को यह चाहिये कि उन इलाकों में बिजली ले जाये और उसके बाद वहां के लोग पंम्पिग सेट, अपने निजी नलकूप न चलाये जायं तब तो यह बात कही जा सकती है, अन्यथा ऐसा कहना निरर्थक है । मेरे क्षेत्र में स्वयं ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की कमी है और लोग अपने निजी नलकूप, बिजली की कमी के कारण नहीं लगाते हैं और उन्हें इससे पंम्पिग सेट भी जनरेट करने में दिक्कत होती है । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक बाढ़ के इलाके में भी बिजली पहुंचाये और उन पंम्पिग सेट को चलाने की कोशिश करे । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह का भाषण वैसा ही था जैसा कांग्रेस का राज्य है । कहते हैं पानी की कमी है बांदा, झांसी और इलाहाबाद में इसलिये मेरी जल संभरण की योजना है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कल्पनाथ जी से और उनकी सरकार से कहना चाहता हूं कि बांदा, इलाहाबाद और झांसी में जो जल की कमी है, उसके लिये जिम्मेदारी किसकी है ? आपकी । जो सरकार १८ साल में पीने का पानी नहीं दे सकती, प्रदेश के केवल चार जिलों में नही बल्कि जाने कितने जिलों के सैकड़ों और हजारों गांवों में, उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है । इस प्रदेश के अनेकों जिलों में हजारों देहात ऐसे हैं जहां लोगों को साफ पानी पीने को नसीब नहीं होता है और लोग तालाबों का और नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं और कभी-कभी प्यासे रहना पड़ता है । जो सरकार २० साल के अपने शासन में पीने का पानी नहीं दे सकी उससे यह आशा करना कि वह लोगों को सिंचाई के लिये पानी देगी, निरी मृगतृष्णा ही है । प्रिंसिपल साहब चले गये, उनका मास्टरी दिमाग है जो वह यह सुझाव देते हैं । इस सरकार के सामने कोई सुझाव है और उसका कोई उसके लिये महत्व है ? उसके सामने यदि कोई सबसे बड़ा सुझाव है तो वह उत्तर प्रदेश की जनता है । और जब तक यह कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश पर लदी रहेगी, अकाल और सूखा पड़ता रहेगा। टम्बेश्वर प्रसाद जी कहते हैं कि हम विरोधी दल के लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता और न सोशलिस्ट पार्टी कर सकती है । जनतंत्र की मर्यादा लोगों को नहीं मालूम । अगर कोई दैवी आपदा आ जाय, कोई भूकम्प आ जाय, कोई ऐसी घटना हो जाय जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तब हम विरोधी पक्ष के लोग उसमें सरकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन जिस काम में, जिस परिस्थिति पर आपका नियंत्रण है उस पर वह सरकार काबू न करे और जब सूखा पड़े तब दांत निकालकर कहें कि हमारी सहायता करो, बीस साल तक आपने गुलछर्रे उड़ाये, जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया अपनी सुख-सुविधा पर अपने बंगलों में शान-शौकत से रहने पर उड़ावें और जब सूखे का संकट आवे तो आप कहें कि हमारी सहायता करो । १८ सालों में यह सरकार सिंचाई की कोई योजना नहीं बना सकी । जो आज अनुपूरक बजट २६ करोड़ रुपये का पेश है उस के लिये मैं कहता हूं कि आप कोई ऐसी योजना तयार कराते कि सारे उत्तर प्रदेश में कितनी जमीन ऐसी है जो असिंचित है । गेंदासिंह जी ने कल बताया कि ढाई तीन करोड़ एकड़ पर सिंचाई नहीं होती । आपको सर्वे कराना चाहिये था कि कितने पक्के कुयें, कितनें नलकूप और कितने कच्चे कुयें आप बनावेंगे । जो कच्चे कुओं की योजना आपने बनाई है वह भी बेमतलब और फिजूल खर्ची है । यह सारा रुपया बेकार जायगा । मुश्किल से सारे उत्तर प्रदेश में ५०,६० हजार एकड़ या इससे भी कम जमीन गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में तराई के इलाके में ऐसी होगी जहां २५,३० फीट पर पानी निकल सकता है, बाकी उत्तर प्रदेश भर में कोई ऐसा इलाका नहीं है, आप किसी सिंचाई के एक्सपर्ट से पूछिए कि कितनी ऐसी जमीन है जहां २५ तीस फीट पर पानी मिल सकता हो और मैं यह कहता हूं कि यह जो कच्चे कुयें आप बनवायेंगे वह भी साल ६ महीने चल कर सूख जायेंगे और आपका १ करोड़ रुपया पानी में बह जायेगा । इससे कोई फायदा नहीं होगा और जो फायदा आप लेना चाहते हो वह तो वर्षा से हो गया, बोआई हो गयी । यह २०-२० रुपया जो बांट रहे हो वह वोट खरीदने के लिये बांट रहे हो, उसमें भी हजारों रुपया तुम्हारे आफिसर्स खा रहे हैं, चौधरी और दलालों के पाकेट में जा रहा है ।

मैं कहता हूं कि सिंचाई के लिये कोई योजना नहीं है । आपको ७ या ८ साला योजना बनानी चाहिये थी जिससे इस प्रदेश की हर इंच जमीन पर किसानों को मुफ्त पानी पहुंचाते । इस मुफ्त पानी पहुंचाने के लिये १ हजार करोड़ रुपया चाहिये । यह रुपया कहां से आवेगा । मैं बताता हूं कि जो लोग १ हजार रु० से ज्यादा खर्च करते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दें कि इससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिक नहीं खर्च कर सकते और सब सरकार में आवे और उससे १ सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को मिलेगा । इस तरह से १० साल में १ हजार करोड़ रुपये मिले और उससे आप योजना बनाकर ढाई तीन करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई की योजना बनावें । हमारे सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी कुरेशी साहब हैं । वे बलिया गये थे । तब मैंने उनसे कहा था कि आपकी जो योजनायें इस वक्त तक चल रही हैं उसमें यह हो रहा है कि जो पैसा आप दे रहे हैं कच्चे कुओं के लिये उस पैसे को लेकर लोग खा डालते हैं और कुआं बनाने पर खर्च नहीं करते । तो सरकार की ओर से कोई विभाग होना चाहिये वह पी० डब्ल्यू० डी० हो चाहे इर्रीगेशन, किसी विभाग के अन्तर्गत या अलग से कोई विभाग होना चाहिये जो हर १० एकड़ के अन्दर पक्के कुयें का इंतजाम सरकार की ओर से करे । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । सरकार जमीन का सर्वे करे, कुयें खोदे जायं और पक्के कुयें बनाये जायं । उनके ऊपर रहट लगाकर पानी लिया जाय और इस तरह से सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय । तब जाकर सिंचाई का इन्तजाम हो सकता है, लेकिन यह सरकार ऐसा न करके और ऐसी योजना न बनाकर लोगों को पसा बांटती है । जो सरकार की सिंचाई योजना चल रही है उसमें बड़े-बड़े लोग १०० एकड़ वाले, २०० एकड़ वाले यह सारा पैसा ले लेते हैं और छोटे किसान जिनके पास २, ३, ४ एकड़ जमीन है वे बेचारे वैसे ही रह जाते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, अब सोचने की बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद यह राज्य चल क्यों रहा है । जब दूसरे देश वाले इस विधान सभा की कार्यवाही पढ़ेंगे कि बीसवीं शताब्दी में ६६ साल बीतने के बाद यहां पर सूखे पर बहस कर रहे हैं तो यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात होगी । हमने देखा है कि अमेरिका यह कहता है कि अगर ५० साल तक भी वर्षा न हो तब भी हम सारी दुनियां को अनाज खिला सकते हैं ३, ४ साल तक । वहां पर इस प्रकार के सिंचाई के साधन हैं, लेकिन यहां पर इतने सिंचाई के साधन होते हुये भी सरकार उनको इस्तेमाल नहीं करती है । सरकार यहां की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ देती है । समय बनाने वाली तो सरकार है । उस दिन सत्यनारायण जी ने कहा था कि सबका कारण समय होता है, लेकिन समय को बनाने वाली और उसका कारण सरकार होती है । तो समय को बनाने वाला कौन है? जो आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठा है वह समय का बनाने वाला है और आपने १८-२० साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी जो योजना है सूखे का मुकाबला करने के लिये और सिंचाई का इन्तजाम करके पानी देने के लिये यह बिलकुल अधूरी है । सड़े हुये कपड़े में कभी पेवंद नहीं लग सकता । आप चाहते हैं कि कहीं कच्चे कुयें या पंपिंग सेट से यह मसला हल हो जाय तो यह मृग तृष्णा है, स्वप्न मात्र है । पंपिंग सेट लगाने से २० रुपये की तकावी से, यत्र-तत्र नलकूप लगवाने से कुछ नहीं हो सकता है । उत्तर प्रदेश के ३ करोड़ एकड़ पर पानी पहुंचाने का सवाल है और इसकी मुकम्मिल योजना बनावें बगैर टैक्स लगाये । यह काम कांग्रेस हुकूमत से हो नहीं सकता । जब तक यह हुकूमत खत्म नहीं होगी इस देश से सूखा और अकाल नहीं जा सकता । यह हुकूमत सूखा और अकाल की हुकूमत है । जितनी जल्दी हो सके इसको धराशायी किया जाय, यही तरीका है । आप कहते हैं कि जो विरोधी हैं उनके यहां नलकूप नहीं लगवायेंगे । इस तरह से कब तक आपके हाथ में बागडोर रहेगी ? इसको हम जल्दी ही ले लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप गलत कह रहे हैं । मैंने कभी नहीं कहा कि जो हमारे साथ नहीं हैं उनको न मिले ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस हुकूमत से मैं कोई भीख नहीं मांगता और न किसान को कहता हूं कि चलो २० रुपया ले आओ। बलिया जिले में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां २० रुपये में कोई कच्चा कुआं भी खोदा जा सके (व्यवधान) ५० रुपये सही, उससे भी नहीं खुद सकता। शास्त्री जी महाराज, समझ लीजिये कि आप जो कहते हैं कि वहां पर हजार रुपये से ज्यादा बांटा गया तो वह आपके अफसर या दलाल ही खा गये, वहां के किसान ने वह रुपया नहीं लिया है। बलिया में ६-७ नहरें हैं, उनमें पानी ही नहीं गया है। ६ साल से हुसैनाबाद माइनर में पानी नहीं गया। बहुत से ऐसे सरकारी ट्यूबवेल्स हैं जो सूखे में भी एक घंटे नहीं चले, बेकार पड़े हैं, बिजली ही नहीं है। बिजली विभाग कनेक्शन देने के लिये हर किसान से ३०० रुपया रिश्वत मांगता है। किसान रोज दौड़ता है। इन तमाम चीजों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो पूर्वी जिलों में बड़ा जबरदस्त वावैला होगा और वहां तो बगावत है। त्रिपाठी जी की सभा में बलिया में हुंगामा हो गया। वहां सारे लोग इकट्ठा थे, कहते थे कि हमारे खेतों में पानी पहुंचाओ, हमारे कपड़े और खाने का इन्तजाम करो, हम भाषण नहीं सुनेंगे। माननीय बनारसी दास कहते हैं कि बिना पुलिस के सभा कर लेंगे, लेकिन बलिया में कोई कांग्रेस का नेता बिना पुलिस के कोई सभा कर तो ले। वहां की जनता सुनने को हरगिज तैयार नहीं है और कहती है कि और किसी की बात सुन लेंगे, कांग्रेस की नहीं सुनेंगे। हमारे जिले में बगावत की हालत है और हमारे जिले से तो यह हुकूमत धराशायी होगी ही। मैं जनता से अपील करता हूं कि सूखा, अकाल, भुखमरी, बेरोजगारी, कुनबापरस्ती से बचने का एक ही तरीका है कि जल्दी से जल्दी इस कांग्रेस सरकार को धरागत करो, तभी राहत मिलेगी, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

*श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में यह अत्यन्त संकट का समय है। सारे प्रदेश में सूखे के कारण त्राहि-त्राहि मची हुयी है। खरीफ से जो पैदावार हुयी है वह करीब ३४ लाख टन के है। उसके बाद रबी की पैदावार का जो तखमीना है वह ५०-६० लाख टन के है। इस प्रकार कुल ९० लाख टन अन्न होता है। हमारे प्रदेश को १४५ लाख टन की जरूरत है। इस प्रकार करीब ५० लाख टन की कमी रह जाती है। यह कैसे दूर होगी यह एक समस्या है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र से पानी के लिये प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस माह ९० हजार टन देने के लिये केन्द्र राजी हो गया है। इसके बाद जो भी कमी है वह कैसे दूर होगी, इस कमी को कैसे पूरा किया जायेगा? अमेरिका से भी गेहूं आने वाला प्रश्न अभी दूर है, पता नहीं आयेगा भी या नहीं। राशन का कोटा भी घटा दिया गया है। देहातों की हालत भी बहुत खराब है। वहां कोई सरकारी गल्ले की दूकान नहीं है।

मान्यवर, इस बजट में २६ करोड़ ८२ लाख का प्राविजन इस संकट का मुकाबला करने के लिये है। अगर यह रकम ठीक प्रकार से प्रयोग में लायी जाय तो अवश्य उससे लाभ हो सकता है, किन्तु हमारे अधिकारी जिस प्रकार से इसका प्रयोग कर रहे हैं और जो काम कर रहे ह उससे मुझे संदेह पैदा होता है। अभी बी० बी० सरन जी ने सरकार की बड़ी आलोचना की। मैं भी यह महसूस करता हूं कि सरकार की तरफ से इस विषय पर जितना चिन्तन होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आज भी इस समय न कृषि मंत्री हैं, न राजस्व मंत्री हैं। राममूर्ति जी ही यहां बैठे हैं। यह बड़े ही ही योग्य और तजुर्बेकार मंत्री हैं। किन्तु कहां तक वे इस समस्या को हल कर पायगे, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आज नहरों और ट्यूबवेल्स की दशा बड़ी खराब है। इन विभागों के अधिकारी जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं उससे यह संकट दूर होने वाला नहीं है। मैंने अपने जिले में पंपिंग सेट्स तथा नलकूपों आदि के बारे में नहर विभाग के कर्मचारियों से कुछ बात की, किन्तु जिस तरह का उनका जवाब रहा और जो रुख मैंने उनका देखा उससे मैं यह समझा कि उनके सामने आज सूखे जैसे कोई परेशानी है ही नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां कुलाबे लगने चाहिये, वहां पर कुलाबे हैं ही नहीं। न कोई हमारी बात ही सुनने वाला है। जो गूलें हैं वे भी बेकार सी पड़ी हैं। जिस काम के लिये रुपया बजट में रखा जाता है, वह रुपया उस काम पर खर्च नहीं होता है। आज जो यह २६ करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, मैं नहीं समझता कि कितना रुपया इसमें से सही माने में खर्च हो पायेगा, कितने का सही उपयोग होगा।

मान्यवर, इस बजट में करीब ७ लाख रुपया गूलों को पक्का करने के लिये रखा है। आज गूल टूटी फूटी पड़ी हुयी हैं। जो अगर मरम्मत होती है, जहां पर सीमेंट होना चाहिये वहां पर नहीं लगाया जाता है। गूलें बनती हैं और फिर खराब हो जाती हैं। किस प्रकारे इंजीनियर्स और अधिकारीगण उनका निरीक्षण करते हैं, मैं नहीं समझता कि यह काम कैसे चलेगा मैंने देखा कि सूखे के लिये जो बजट शाया हुआ है उसमें १६० जीपें दूसरे मुहकमों से लेकर इस विभाग को दी गयी हैं इस वास्ते कि वे उनके संरक्षण में ठीक प्रकार से इस काम को करवा सकें। क्या और कैसे उनका प्रयोग और उपभोग हो रहा है मुझे नहीं मालूम। कम से कम मेरे जिले में उनका प्रयोग नहीं मालूम होता। वहां पर सरकारी अफसर और इंजीनियर्स सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा खराब रास्ता होता है वहां पर उनका जाना नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वहां पर भी उनको जाना चाहिये। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें खास कर माननीय मुख्य मंत्री जी जिन पर कि सारे राज्य की जिम्मेदारी है। उनको इस विषय पर विशेष चिन्ता करनी चाहिये।

टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में करीब-करीब दो करोड़ रुपया रक्खा गया है। यह काम अभी चार पांच महीनों से शुरू हुआ है। जो हमारी तरफ के जिले हैं उनमें टेस्ट वर्क की बहुत मांग हो रही है। मैं जानता हूं कि टेस्ट वर्क के लिये जो सरकारी दर है उस दर पर काम करने के लिये लोग नहीं मिलते क्योंकि वह दर काफी कम है। अगर टेस्ट वर्क का दर बढ़ा दिया जाय तो टेस्ट वर्क पर काम करने के लिए बहुत लोग आवेंगे। उन लोगों के लिये जिनके खाने का इन्तजाम नहीं है इस तरह से उनकी सहायता हो सकेगी। मैं यह आशा करूंगा कि सरकार उस तरफ ध्यान देगी और टेस्ट वर्क चालू करने की अधिक से अधिक व्यवस्था करेगी। मान्यवर, हमारे जिले के अन्दर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे जिले में जो तीसरी योजना थी उसमें जितने नलकूप मिलने चाहिये थे उतने नहीं बन सके हैं। अवर्षण के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है मैं चाहूंगा उसको देखते हुये जिले के अन्दर ५० ट्यूबवैल लगाये जायं और उन क्षेत्रों में जहां ट्यूबवैल्स की व्यवस्था नहीं है उनके लिये ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल एलाट की जायं। मैं समझता हूं कि सरकारी ट्यूबवैल्स के जरिये से अधिक से अधिक काम हो सकता है और सिंचाई के साधन की वृद्धि हो सकती है। जहां तक कि पक्के कुओं का सवाल है कुओं का पानी बहुत नीचे चला गया है। जहां पर दो दो फीट पर पानी होता था वहां पर तो कुयें सूख से गये हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी छोटी इर्रीगेशन योजना के कर्मचारी ध्यान दें और उनकी जो अकर्मण्यता है उसको दूर किया जाय और कम से कम दो तीन महीनों के अन्दर चार पांच सौ कुओं की बोरिंग कर दी जाय। यह देखा जा रहा है कि सरकार तादाद की ओर से ज्यादा ध्यान दे रही है। यह आदेश होता है कि दस लाख कुयें खोद दिये जायं, लेकिन उनसे कितनी जमीन सींची जायेगी। उसका क्या फल होगा इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। कुयें चाहे कम हों बोरिंग चाहे कम हों परन्तु जो हो वह सक्सेसफुल हो। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संख्या की ही तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

मान्यवर, कृषि के सम्बन्ध में पंपिंग सेट्स की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है लेकिन उसके लिये जो इस वक्त पंपिंग सेट की कीमत है वह ४१ रु० हो गई है जो कि ३० थी और फिर ३८ भी हुई। लेकिन ५–६ पावर का जो सेट दिया जाता है उसको तकावी के हिसाब से दिया जाता है। किसान को ३ हजार रुपया दिया जाता है जब कि ४–५ हजार से कम में वह लगता नहीं है। किसान कहता है कि उसको लेकर वह क्या करे। सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

[श्री राजाराम]

हमारे जिले में रोनाही पावर स्टेशन घाघरा कैनाल पर है। उस पर ६ पंपिंग सेट्स लगे हैं लेकिन कभी २-३ से अधिक काम नहीं करते। इससे नीचे तो पानी पहुंच ही नहीं पाता है। आपने अब ४ लाख रुपया उसके प्रतिष्ठापन के लिये रखा है। जब आग लगी तब आपको प्रतिष्ठापन की सूझी है। मैं समझता हूं कि पानी की व्यवस्था के बारे में आपको जल्दी से ध्यान देना चाहिये।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी कांग्रेस के सदस्य श्री बी० बी० शरण बोल रहे थे। उनको सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिये कि आखिरी विधान सभा में तो उन्होंने उन दिक्कतों का अनुभव किया जो दिक्कतें हम सदा महसूस किया करते थे। उसका क्या कारण है, उस बात में तो मैं जाना नहीं चाहता। उन्होंने इस बात का अहसास किया कि सरकारी ऐसी मनोवृत्ति बन गयी है कि उसको जो सुझाव दिये जाते हैं, उन पर वह अमल नहीं करती और लोगों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर कर देती है। जब शांति से कोई प्रश्न उठाया जाता है तो यह सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने कई आन्दोलनों का भी जिक्र किया। हम भी और जनता भी इस बात को महसूस करती है कि यह सरकार सदा ही शांति की भाषा सुनने से इनकार करती है। जब तक कोई वर्ग या संस्था शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार को अपनी बात सुनाना चाहती है, सरकार उनकी बात नहीं सुनती और जब वह मजबूर होकर अशांति के रास्ते पर उतर आते हैं तो सरकार घुटने टेक देती है और मांगों को मान लेती है। अभी अभी कर्मचारियों का मामला उठा। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रस्ताव पास किये, लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना। जब विवश होकर उन्होंने हड़ताल की, १० दिन कार्यालय बंद रहा तो सरकार ने घुटने टेक दिये और उनकी मागों को मान लिया। लेकिन बाद को मुकर गये। आज फिर वे लोग नया रास्ता अपनाने जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार अध्यापकों को भूख हड़ताल करते हुए दो महीने हो गये। लेकिन कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जब वे अशान्ति का रास्ता अपनायेंगे तो सरकार लाठी, बंदूक का सहारा लेगी और जब स्थिति काबू से बाहर हो जायगी तो घुटने टेक देगी। विद्यार्थियों का भी शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलता रहा, लेकिन सरकार ने उनकी बात भी न मानी। जब वे अशान्ति के रास्ते पर उतरे तो सरकार ने बंदूक और लाठी संभाली। मैं जानता हूं कि कि स्थिति अब आप के काबू से बाहर हो गई और आप को इस संबंध में घुटने टेकने पड़ेंगे और उन की बात को मानना पड़ेगा। इस के असावा विधान सभा के सामने १५ दिन से पंचायतों के मंत्री भूखहड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आप के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती लेकिन जब वह अशांति और हिंसा के कार्य करेंगे तो आप लाठी और बन्दूक सम्हालेंगे और आखिर में फिर घुटन टेकेंगे। मैं आप को आगाह करता हूं कि आप ऐसी मनोवृत्ति को जनता के दिलों में घर न करने दें कि आप शांति और हिंसा की वाणी नहीं समझते, आप हिंसा और अशांति से ही सुनते हैं, ऐसी बीज प्रजातन्त्र के लिये घातक है और अगर ऐसी मनोवृत्ति जनता के हृदयों में में घर कर गई तो यह देश में प्रजातन्त्र के लिये घातक होगी।

जहां तक इस बजट का संबंध है, यह २७ करोड़ के करीब का बजट है और इस में कृषि तथा सिंचाई संबंधी योजनाओं का समावेश अधिक है। इस संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में कभी पच्छिम का सवाल उठता है कभी पूर्व का सवाल उठता है और जो योजनायें होती हैं वे पूर्व में और पश्चिम में लागू कर दी जाती है। मैं यह नहीं कहता कि वे वहां न लागू की जावें, लेकिन कुछ बीच के ऐसे जिले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं बदकिस्मत जिन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और वह मैं समझता हूं कि फैजाबाद और लखनऊ डिवीजन के हैं। पूर्वी जिलों में जहां सूखा है वहां पर सूखे की इमर्जेन्सी के कारण ८० नलकूप दिये गये हैं, लेकिन हमारा जिला उन्नाव एक ऐसा जिला है जिस को कहा जाता है कि वह तो केनाल क्षेत्र में है वहां एक भी नलकूप नहीं है। क्या दूसरी जगह के नाल एरिया में नलकूप नहीं लगाये गये हैं ? अभी भी हमारे यहां चौथाई जमीन और बोई हुई पड़ी है जहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है और नहरें जो हैं वे भी सूखी पड़ी हैं जिन की टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। हमारे यहां उन्नाव जिले में रसूलाबाद रजबहा हैं जिस में पानी नहीं पहुंचता, कनिगांव माइनर में भी पानी नहीं है, न वहां कोई नलकूप दिया जाता है। अभी सरकार ने एक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम सिंचाई का निकाला है और उसके लिये १ हजार पम्पिग सेट्स खरीदे जा रहे हैं। उन्नाव भी आज एक सूखे का जिला है, लेकिन लखनऊ और फैजाबाद के डिवीजनों में केवल एक जिला लखनऊ ही लिफ्ट इरिगेशन में रखा गया है। क्या हमारे यहां पानी लिफ्ट कर के सिंचाई नहीं हो सकती ? हमारे यहां सई और कल्याणी नदियां हैं जिन का पानी उठाकर सिंचाई की जा सकती है और एक बड़े भू भाग को सूखे से बचाया जा सकता है, लेकिन उन्नाव जिले को उसमें शामिल नहीं किया गया। सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारे यहां बोई गई है और बड़ी अच्छी फसल वहां है, वहां पर थोड़ी वर्षा हो गई थी और जुताई अच्छी हुई है, नमी थी फसल बोई गई है, लेकिन बगैर पानी के वहां एक दाना भी नहीं होगा और बीज भी वापस होना कठिन है। इसलिये लिफ्ट सिंचाई योजना को उन्नाव में भी लागू किया जाय ताकि सई और कल्याणी के पानी से सिंचाई हो सके।

सूखे की बहस में कहा गया कि कच्चे कुओं की तरफ विशेष तवज्जह दी जा रही है, इस से हमें विरोध नहीं है कि इस तात्कालिक कदम को न उठाया जाय, वह बहुत जरूरी है, यह सही है लकिन सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि ४० रुपया तो कच्चे कुंए पर खर्च होगा और वह तो बरसात तक ही चल सकेगा, लेकिन ४-५ लाख पुराने पक्के कुंए जो सौ पचास रुपया लगा कर काम में लाये जा सकते हैं और इतने खर्च से ही से १ हजार का कुंआ चालू हो सकता है उन की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती और उन को सिंचाई के काम में क्यों नहीं लिया जाता ? आप पंचायतों को उसके लिये रुपया दीजिये और वह लोगों को दें जिन के वह कुंए हैं और बाद में उन से वसूली की जाय और आप का रुपया पंचायत वापस करें।

श्री राममूर्ति--

यह जो ७ लाख पक्के कुए हैं वह प्राइवेट लोगों के हैं, सरकार उन की मरम्मत के लिये तकावी और लोन देती है, जो मांगते हैं उन्हें वह दिया जाता है। बाकी सरकार प्राइवेट कुओं को अपनी तरफ से मरम्मत करावे, यह कहां तक मुनासिब होगा ?

श्री भीखालाल--

मान्यवर, यह बड़ी वैसी बात है। मैं जानता हूं किये प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, लेकिन आपको चाहिये कि अगर वे नहीं बनाते हैं तो उनसे आप एक अन्डरटेकिंग लेकर अपने आप बनवाइये या कोई रास्ता निकालिये जिससे वे कुएं, जो बेकार पड़े हुए हैं, काम में आ सकें। जिन गांवों में कैनाल है और ट्यूबवेल नहीं है वहां पर भी कुएं लगवाइये और उनपर बिजली लगवाइये ताकि सिंचाई डैवलप हो सके। उन्नाव में भी कुछ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

*श्री ज्वाला प्रसाद (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक अनुदान पर बहस चल रही है, उसके विरोध के समय ऐसा लगता है कि किसानों के हित के लिए या जब उन पर कोई मुसीबत आती है, उनकी भलाई के लिये अधिक रुपया मांगा जाता है, तो समझ में नहीं आता कि वे हमारे उधर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वालाप्रसाद]

के साथी ऐसे अनुदानों का भी विरोध क्यों करने लग जाते हैं ? कहा जाता है प्रकृति और भगवान के नाम पर न चल कर आप अपने आप इन्तजाम कीजिये मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारा जो सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग है जो इन्तजाम उन्होंने इस समय आरम्भ किया है वह सराहनीय है। यह सही है कि यदि इस पर और पहले से सोचा जाता तो हमारे किसान ज्यादा सम्पन्न हो सकते थे। जब सूखा आय तो हमारे किसानों के मन में आया, और यह भावना जागृत हुयी कि भले ही उसके खेत मानर्स के समीप हों लेकिन गांवों में ट्यूबवैल होने चाहिए क्योंकि वे सिंचाई विभाग के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते और उनके भरोसे पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन यह जो लाभ और हानि की बात कही जाती है, सरकार को इसमें सोचने की बात है कि कौन से मुकाम जिले में ऐसे हैं कि जहां पर इरीगेशन के जराये नहीं हैं और जहां पर ट्यूबवैल बनाये जा सकते हैं। सरकार को चाहिये कि वह सर्वे कराये। हमारे किसान बहुत सी जगहों पर ऐसे हैं कि वे जराये इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, जैसे कानपुर में ही ले लीजिये। वहां पर जमुना के और सेंगुर नदी के किनारे जो खेत हैं यदि उनमें वर्षा न हो तो उन खेतों की फसल ही पामाल हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर वर्षा समय से हो जाय तो वे मैदानी किसानों से भी अच्छी पैदा कर सकते हैं और उनको मात कर सकते हैं। वहां के किसान जो हमेशा भगवान के सहारे रहते हैं और ऊपर आंख फाड़ते रहते हैं पानी न होने के कारण तबाह रहते हैं। देखा यह जाता है कि जहां भी ट्यूबवैल की योजना, चाहे प्राइवेट या सरकारी या सरकारी ट्यूबवैल, बनायी जाती है, वह केवल उस इलाके के लिये बनाई जाती है जहां जहां पर पानी का लेविल जमीन के ऊपर है। वहां पर कुएं बनाये जा रहे हैं, पंपिंग सेट लगाकर इरिगेशन किया जा रहा है, लेकिन जहां पर बहुत गहराई से पानी निकलता है जैसे जमुना के किनारे पर, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं सोची जाती है। अभी हमारे माननीय गेंदासिंह जी उधर गये थे। उन्होंने स्वयं देखा कि वहां पर स्थिति क्या है। घाटमपुर और भोगनीपुर तहसीलों में सर्वे हुआ ट्यूबवैलों के लिये, लेकिन हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों नें कह दिया कि यहां पर ट्यूबवैल नहीं बनाये जा सकते हैं लेकिन वहीं पर ही किसानों ने काम किया। तो मैं यदि यह कहूं कि जहां पर हमारे इन्जीनियर फैल हो गये, वहां पर हमारे किसान सफल हुए, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी जगहों पर तुरन्त ट्यूबवैल बनवाये जायें और जहां पर लिफ्ट इरीगेशन संभव हो वहां पर ऐसे सैट लगाकार पानी से सिंचाई का प्रबन्ध कराया जाय। इस तरह की बातें अगर सरकार न सोचेगी तो जमुना और सेंगुर का किनारा कभी हरा भरा नहीं हो सकता और किसान सम्पन्न नहीं हो सकता। नहरी इलाके के लोग जो पानी के सहारे हैं जब सूखे की हालत आयी तो मैं जिलाधिकारियों से कहा कि कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे नहर में पानी दिया जा सके। सरकार वहां पर क्यों नहीं इन्तजाम करती है ? धान की फसल किसान की नहर के पानी के अभाव में सूख गई और यह हुआ कर्मचारियों की असावधानी से। तो फिर किसान कैसे सब्र करे ? इसके सामने एक ही रास्ता है कि वह नहर को काटे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं, क्योंकि जब यह सोचना है कि अगर हमारी खेती की सिंचाई नहीं होती तो बच्चे क्या खायेंगे। लिहाजा किसनों ने सोच लिया चाहे सजा हो, जर्माना हो हम काटे बगैर मानेंगे नहीं। मैंने कहा कि अगर रजबहों पर, और नहरों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें और कुछ इन्तजाम न करें तों काफी काम चल सकता है। १०, १५ दिन के लिये मुकदमेबाजी बन्द हो जाती, तारीखें बढ़ जातीं तो क्या नुकसना हो जाता ? मैंने यह भी कहा कि नहर पर केवल पैट्रोलिंग जीत द्वारा करायी जाय तो लोग नहर नहीं काटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नहर काटी गई जिस के परिणाम स्वरूत हजारों लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई नहीं हो पायी। अधिकारी जरूरत के समय कम सोचते हैं।

माइनर्स का यह हाल रहा कि हमारे यहां ९ नवम्बर को माननीय चरण सिंह जी गये, सरकिट हाउस में किसानों के प्रतिनिधि आये, हर पार्टी के लोग आये और उन्होंने खुले तौर से शिकायत की कि गिरसी कोठी में जो ओवरसियर है, जो भयंकर डीलडौल का है, उन्होंने एक तरीका अपना लिया। हजार, ५०० रु० में नहर कटवा देते हैं। कहते हैं कि कुलाबे के नीचे होल

बना लो और १००, १५० रु० दे जाओ। बड़ी नहर में हजार, पांच सौ में खांदी कट जाती है। हमारे कांग्रेस वर्कर्स तक मजबूर हुये ओवरसीयर को रुपया पहुंचाने के लिये। ए० डी० ओ० घटमपर के पास शिकायत पहुंची। एस० डी० ओ० ने ओवरसियर से रुपये लौटवाये। नहर के अफसर रूरा और गिरसी के आंख छिपाते रहे। माननीय चरण सिंह ने ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि इनका तरीका बड़ा खराब सुनने में आ रहा है, इन को मुअत्तल करो। लेकिन आज तक वह वहीं बने हुये हैं और कहते हैं कि और कर लो हमारी शिकायत, क्या कर लिया? नहर विभाग की तरफ से जो ढिलाई बरती गई उस की मिसाल नहीं। आदमी कहां तक शिकायत न करे?

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चरणसिंह जो बहुत मजबूर कहे जाते हैं उनसे शिकायत करने पर भी गिरसी और रूरा के ओवरसियर का कुछ नहीं हुआ। भोगनीपर के रजबहा और माइनरों का यह हाल है कि जितनी उनकी लम्बाई है उनके आधे तक ही पानी पहुंच पाया, टेल पर पानी पहुंचने की बात तो दूर रही। और जो पूर्व की तरफ मुड़े हुये हैं उनका पानी हमीरपुर सड़क को नहीं पकड़ सका है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगा और सेंगु नदी के किनारे लिफ्ट इरीगेशन करा के किसान को सुविधा दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

कुछ समय निर्धारित कर देते तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने वाले बहुत हैं, १० मिनट से भी काम नहीं चलता है, इसलिये ७ मिनट रखा जाता है।

*श्री बलवानसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो २६ करोड़ रुपये की मांग है मझे ऐसा मालूम होता है कि इतने रुपये से भी समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके २० साल के राज्य में जो कमियां थीं उसी का नतीजा यह सूखा है। पिछले बीस साल में भी यह सरकार खाद, पानी और अनाज का इन्तजाम नहीं कर सकी जबकि उसकी तीन पांच साला योजनायें खत्म हो गयीं। क्या आप यह चाहते थे कि बादलों को देख कर ही काश्तकार की खेती होगी? जो सबसे जरूरी काम थे, खासतौर से नहर, सड़क और बिजली का बनाना, उसके ऊपर इस सरकार ने बहुत ही कम ध्यान दिया। क्या सूखे की सिर्फ यही वजह है कि आसमान से बारिश नहीं हुई? अगर आसमान के ऊपर ही हमारी खेती निर्भर है तो इससे ज्यादा निकम्मी सरकार और कोई हो नहीं सकती। मैं खासतौर से राममूर्ति जी से कहूंगा कि अगर आप आन्ध्र, मद्रास और गुजरात में देखें तो वहां चाहे आसमान से एक बूंद भी पानी न गिरे लेकिन वहां की खेती के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर गुजरात, आन्ध्र, मद्रास और पंजाब वगैरह तीन, चार सूबे बीस साल के अन्दर काश्तकारों को सुविधायें दे सकते हैं तो यह यू० पी० की सरकार जो इस देश का सब से बड़ा राज्य है और जो १९४७ तक सब से प्रगतिशील राज्यों में से एक था उस सूबे को निकम्मा करने वाली यह सरकार है। इसलिये जो यह गेंदासिंह जी ने कह दिया कि २०–२० रुपये देंगे कच्चे कुओं के लिये क्या उससे काम चलेगा? १८४० में हिन्दोस्तान में कहीं भी नहरों का निर्माण नहीं था। उस वक्त अंग्रेज ने यू० पी० में नहरों का निर्माण किया और उस वक्त जितनी नहरें थीं, जितनी उनकी पानी की क्षमता थी उतनी ही आज भी है। १८४० की नहरें बनी हुई हैं। इनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। आज पहले से पांच गुना एरिया खेती में है और आपकी नहरें उतनी ही क्षमता की हैं तो किस तरह से हमारी खेती का काम चल सकता है? आज सरकार कहती है कि बारिश नहीं हुई इसलिये खेती खराब हुई। अंग्रेजों ने फेमिन को रोकने के लिये हमारे देश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

प्रदेश में नहरों का निर्माण किया। लेकिन आपकी सरकार ने रिहन्द बांध के अलावा और कोई बांध नहीं बनाया। अगर पंजाब, गुजरात, आंध्र और मद्रास आदि स्टेट्स बारिश के पानी को पहाड़ों पर ही रोककर नहरें निकाल सकते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन के लिये नयी नहरों का निर्माण नहीं कर सकती थी ? अभी भी इनकी कोई योजना नहीं है। क्या आपने ऋषिकेश, हिमालय में जहां इतना पानी आता है उसके लिये कोई योजना बनाई है जिससे उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिये किया जा सके ? इसलिये मेरा कहना यह है कि जब तक आपके यहां बांध नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। आपके बीस बीस रुपये देने से तथा टूटी नालियों से कोई निर्माण नहीं होने वाला है। इसलिये आप एक तरफ नहरें बनाइये और दूसरी तरफ ट्यूबवेल तथा तालाब बनाइये तब काम चल सकता है। यू० पी० के इंजीनियरों ने सरकार को भिखमंगा बना दिया है। इसलिये फिर से योजना बनाइये। २६ करोड़ के बाद भी अगले साल यदि बारिश की स्थिति ऐसी ही रही तो आप रोते ही मिलेंगे और आपके इन २०-२० रुपयों में खोदे जाने वाले गड्ढों का नमोनिशान तक नहीं रहेगा। इसलिये आप ८ करोड़ जनता के लिये कोई योजना बनाइये।

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये।)

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे दस मिनट का समय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

दस मिनट हो रहे हैं, ५५ से आपने बोलना शुरू किया था।

श्री बलवानसिंह—

सरकार के ट्यूबवेल आधे से ज्यादा बेकार पड़े हैं। क्या आज जिन काश्तकारों ने अपने यहां पंपिंग सेट्स लगा लिये हैं वे माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी के यहां बिजली के लिये चक्कर नहीं लगा रहे हैं ? आज भी इस सूखे के समय में काश्तकारों को सुविधा नहीं दी जा रही है। जहां सूखा है वहां पर भी लगान और दूसरे ड्यूज की वसूली जबरदस्ती की जाती है। सूखे के क्षेत्र में मालगुजारी और दूसरे टैक्सेज माफ नहीं किये गये हैं बल्कि मुल्तवी किये गये हैं। काश्तकार भूमि के हृदय को चीर कर ६ मास में करता है, लेकिन बारिश की वजह से और सरकार की निकम्मी नीति के कारण उसका श्रम बेकार हो जाता है। कानपुर के कलेक्टर ने लाखों काश्तकारों से मालगुजारी वसूल की है। इसलिये मालगुजारी तथा अन्य ड्यूज जिनकी हालत खराब है उनके लिये माफ किये जायं। यह जो मालगुजारी का दकियानूसी कानून है, अमेरिका और यूरोप में मालगुजारी का लफ्ज नहीं है, इनकम टैक्स है। जब यह कानून है कि तीन हजार रुपया की आमदनी से कम पर चाहे जो श्रम लगे सरकार इनकम टैक्स लेने वाली नहीं है, तो मालगुजारी को क्यों नहीं माफ किया जाता ? अगर आप चाहते हैं कि सूखाग्रस्त लोगों को राहत मिले तो सरकार आज कसम खाये कि जो २० करोड़ रुपया गरीबों की गाढी कमाई से आता है उसको छोड़ती है। बीस-बीस रुपया देने से काम नहीं चलेगा। एक आध नहर खोलने से काम नहीं चलेगा। सरकार बीज, पानी, खाद और सड़क का किसान के लिये इन्तजाम करे। आस्ट्रेलिया में एक एकड़ में गरीब चार हजार के रुपये की आमदनी होती है, दो हजार रुपये का फायदा होता है। क्या इस देश का काश्तकार दो एकड़ में चार हजार रुपया बचाने के काबिल है ? अगर सरकार उद्योग की तरह खेती के लिये बीज, पानी, खाद और सड़क का इन्तजाम करे तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन वह तो सन् ४७ से आज तक ढोल मंजीरा बजाना सिखाती रही। गुजरात, आंध्र और पंजाब में देखिये कितनी पैदावार है। आंध्र में जहां २९ मन फी एकड़ पैदावार है वहीं यू० पी० में ९ मन फी एकड़ है। जैसा कि भानु बाबू ने कहा, जिन लोगों के पास पानी है उनके पास कोई सूखे का असर नहीं है। सूखे का असर दूर करने के लिए इस सरकार को योजना पर विचार करना पड़ेगा।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनपूरक अनदान का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह ऐसा अनदान प्रस्तुत हुआ है जिसका समर्थन हमारे साथी टम्बरेश्वर जी भी हृदय से करेंगे यदि अनुदान की धनराशि में और बढ़ोत्तरी की गयी होती तो इस सूखे के कारण जो संकट की स्थिति हमारे प्रदेश में है उसका और दृढ़ता से मुकाबला किया गया होता।

जो सहायता देने का प्राविधान इस अनुदान द्वारा किया गया है उसके सही इस्तेमाल की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। सिंचाई की योजनायें बहुत ही आवश्यक हैं। इनका कार्यान्वयन जल्द से जल्द होना चाहिये। मैं यह देखता हूं कि सरकार की मशीनरी आज भी सूखे की स्थिति से बहुत परिचित नहीं है। मैं कष्ट के साथ अनुभव करता हूं कि सूखे का असर आज भी सरकारी मशीनरी के ऊपर नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो सरकारी कमचारी है, शासनतन्त्र म लगे हुये हैं, वे सूखे का एहसास नेकनीयती के साथ करें। कल इस आदरणीय सदन म मुख्य मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जब सरकार को सूखे का एहसास हुआ, तो उसने तत्काल लगान आदि माफ कर दिया और उन्हें हर प्रकार की मदद पहुंचानी की कोशिश की और उनसे वसूली रोकने के आदेश दिये। लेकिन आज उन तमाम से आदेशों के बावजूद भी जिलों में सरकारी कर्मचारी उसके बाद भी वसूली जारी किये गये ह। मैं इस बात को जिम्मदारी के साथ कहना चाहता हूं। मेरे ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में अमीन वसूली जारी रखी हैं। जब मने अपने क्षेत्र म एक अमीन से पूछा कि सरकार ने तो वसूली स्थगित कर दी है तो तुम क्यों वसूली कर रहे हो, तो उसने कहा मुझे इसकी इत्तला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करावे और इसका एक मात्र तरीका यह होगा कि सरकार आदेश प्राप्त के पहले ४ सप्ताहों की वसूली को देखे तो वह पायेगी कि चार सप्ताहों में अन्तिम सप्ताह में सबसे ज्यादा वसूली की गयी है। इसका कारण यही है कि वसूली स्थगन के आदेश के बाद भी सरकारी कर्मचारियों ने वसूली बेरहमी से जारी रखी और गति की ओर अधिक बढ़ा दिया।

आपत्तिक तकावी की सरकार ने जो व्यवस्था की है उसकी भी ठीक व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है। मैं बलिया जिले में अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां जो तकावी के लिये धन दिया गया है, उसका वितरण आज तक ठीक से नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में एस० डी० एम० बलिया ने एक प्रोग्राम दिया कि ११ और १२ बजे के मध्य बलिया से २१ मील दूर श्रवन पुर स्टशन पर तकावी बांटी जायगी और वहां पर लखपाल सारे किसानों को लकर जमा हों। लेकिन उस दिन यह हुआ कि उनका चपरासी पहुंचा कि साहब बीमार हैं वे नहीं आएंगे लेखपाल लोग बलिया के सारे किसानों को लेकर पहुंचे, वहां ही १० बजे तकावी बांटी जायगी। तो यह कौन सा विवेक था कि एक बार ११-१२ बजे बुलाना और फिर ऐन समय पर इतनी दूर बलिया में १० बजे ही बुलाना। यह उनके लिये कितनी तकलीफ और असम्भव बात थी। उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी किसान १० बजे वहां नहीं पहुंच पाया तकावी लेने के लिये। लेखपाल तो किसी तरह डर के मारे पहुंचे गये। उन किसानों में से केवल कुछ ही को शाम को तकावी मुश्किल से मिल पायी। जब मैं अधिकारी से मिला मैंने उनसे पूछा कि जब आपने ११-१२ बजे का समय दिया था वहां पर तो फिर आज वहां न पहुंच कर उनको यहां १० बजे कैसे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिली इसलिये बलिया बुलाया। तो मैंने कहा कि फिर १० बजे क्यों, बुलाया तो उन्होंने कहा कि यह तो मुझसे भूल हो गयी। इसकी जब मैंने डी० एम० से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत ठीक है। एक दूसरा इलाका है---गड़ाका का नरही में। यहां भी बड़ी मुश्किल से किसानों को शाम तक तकावी मिल पायी। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारी अपनी कर्त्तव्य परायणता नहीं निभा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय इनसे आप देख सकते है कि सरकारी कर्मचारी कितनी उपेक्षा कर रहे हैं और अपने कर्त्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। जो भी अधिकारी जिलों में बैठे हुये हैं, कलेक्टर या एस० डी० एम० आज भी गुरछर्रे उड़ाते हैं, उनकी पिकनिक में, ऐशोआराम में कोई अन्तर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का प्रशासन पैरेलाइज हो गया है, यहां से कोई नियंत्रण उन पर नहीं है, सरकारी अधिकारी निरंकुश हो गये हैं और यहां से कोई उन पर अंकुश रखने वाला नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यहां कोई इमरजेंसी कमेटी बनी हुई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जिसमें विभागीय सचिव लोग हैं और वह देखते हैं कि किस जिले में क्या काम हो रहा है। मुझे नहीं मालम कि क्या काम हो रहा है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि श्री के० के० दास की अध्यक्षता में बनी कमेटी एक निकम्मी कमेटी होगी और वह बैठते होंगे और चाय पीते होंगे। जिले में कंट्रोल रूम बन हुये हैं। मैं अपने जिले के कंट्रोल रूम में प्रतिदिन बराबर जाता रहा हूं। एकाध दिन को छोड़कर मुझे कोई अधिकारी वहां नहीं मिला, कोई क्लर्क या कभी कोई चपरासी मिला। वहां मैंने काश्तकारों की शिकायतों के बीसियों प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार यह चाहती है कि २६ करोड़ का सदुपयोग हो और किसानों की इमदाद हो तो सरकारको चाहिये कि सरकारी मशीनरी को ठीक करें और इसमें लगे हुए जो सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाय। हमारे यहां बलिया के एक तहसीलदार हैं। उनका काम कलेक्टर और डिप्टी के बंगले पर हाजिरी देना और उनके बंगले का और दौरों का इन्तजाम करना है। यदि इस प्रकार सरकारी कर्मचारी काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ में चला जायगा।

मैं सिंचाई के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह जो कच्चे कुओं पर पैसा लगाया गया है मैं यह नहीं कहता कि यह लाभदायक नहीं होगा या वे व्यावहारिक नहीं हैं क्योंकि मैंने उन इलाकों को देखा है जिनमें कच्चे कुयें हैं और पुश्तैनी हैं उनसे सिंचाई होती है। छोटे किसानों के लिये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जितना अधिक बल इस पर दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। इसमें जो १० लाख का टारगेट रखा गया है मैं समझता हूं कि वह न्याय नहीं हो रहा है। इस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि कच्चे कुओं का रकबा कितना हमारे प्रदेश में है। हमारे जिले का ८वां ऐसा क्षेत्रफल होगा जहां कच्चे कुयें किसान चला सकेंगे। मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री को किसानों से हमदर्दी है और एक एक कांग्रेस के आदमी को उनसे हमदर्दी होना चाहिये क्योंकि वही कांग्रेस के शक्तिस्रोत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो छोटे किसान आज ऐसे इलाकों में बसते हैं जहां कच्चे कुयें से काम नहीं होगा जहां १८ और २० फीट से नीचे पानी आता है उन इलाकों के लिये क्या किया जा रहा है? ऐसे क्षेत्र बहुत हैं, उनका क्या इन्तजाम है। उनके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है। आज प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, उनसे मिले नाले, छोटी बड़ी नदियां तालाब हैं उनके पानी का सदुपयोग हो और जल सिंचाई योजना के मातहत वे ऐसा कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसके लिये अलग से विभाग खोला जाय। सिंचाई विभाग के अन्दर ही यह काम किया जाय। मैं इसके भी खिलाफ हूं कि नये विभाग खुलते चले जायं। यह जो सरकारी कर्मचारियों की सुरसा की फौज है उस पर अब आगे एक पैसा भी अधिक व्यय करना इस प्रदेश की गरीब जनता की कमाई के साथ खिलवाड़ करना है। इरीगेशन विभाग के सरकारी कर्मचारियों के पास बहुत काम नहीं है और करोड़ों रुपया सामुदायिक विकास मंत्री नहर विभाग पर खर्च करते हैं उसमें इंजीनियर्स, ओवरसियर्स और और भी पूरा डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, वह अपने काम के साथ साथ इस डाल योजना को मजे में चला सकते हैं। उनके पास इसके लिये समय है मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

आज कृषि मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा कि पानी की पूरी व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिये सम्भव नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार में इतनी क्षमता है कि वह पानी की व्यवस्था किसानों के लिये कर सकती है। जहां राजकीय नलकूप लग सकते हैं लगायें और उससे छोटे किसानों को पानी दिया जाय। जो बड़े किसान हैं वह अपने पम्पिंग सेट्स या प्राइवेट ट्यूबवेल्स से अपनी सिंचाई की व्यवस्था करें और छोटे किसानों को पानी राज्य नलकूप से दिया जाय।

मैं यह मांग करता हूं कि जो नो आब्जेक्शन सरटिफिकेट की बीमारी है इसको समाप्त किया जाय। हमारे जिले में पहले प्राइवेट ट्यूबवेल की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन आज सूखे के कारण लोगों का उस तरफ रुझान हुआ है और काफी लोग उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन यह जो नो आब्जेक्शन सरटिफिकेट की भयंकर बीमारी है इससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसको समाप्त कर दिया जाय। हमारे सहकारिता मंत्री जी हमारे जिले में गये थे, उनके सामने लोगों ने दिक्कत रखी। हमारे जिलाधीश ने कहा कि वार लेविल पर काम करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे गांव पंचायत के पंचदेव तिवारी अपने काम से वहां के अमीन के पास गये और उनसे कुछ काम करने के लिये कहा। उसने कहा कि १५ रुपये दो तो काम होगा। वह हमारे पास आये। मैंने कहा कि पांडेय जी क्या बात है तो वह मुझे देख कर भाग गये। मैंने सहकारिता मंत्री जी से कहा कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति जितनी शिकायतें सुनने को मिलेंगी चाहे वह किसानों की तरफ से हो और चाहे वह विरोधी पक्ष की ओर से हो उसमें नीयत कुछ भी हो, लेकिन वह सत्य हैं। सरकारी कर्मचारियों ने अपना रवइया नहीं बदला है। यदि सरकार चाहती है कि इस रुपये का सदुपयोग हो तो सरकारी कर्मचारियों को ठीक करे और जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि २, ४ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ ऐक्शन लिया जाय तब जाकर शासन का इन्तजाम ठीक होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आज सारे प्रदेश में सूखे से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्यादातर इस बजट में उसी समस्या को हल करने के लिये धन का प्राविजन किया गया है। आज सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिये जो कदम उठाने जा रही है यदि यह कदम अब से २, ४ वर्ष पूर्व उठाया होता तो आज हमारे सामने सूखे का यह भयावह रूप न होता। उसका हम अच्छी तरह से सामना अपने साधनों से कर सकते थे। किन्तु, श्रीमन्, दुख है कि सरकार ने इस ओर पहले ध्यान नहीं दिया। जब किसान एक एक दाने के लिये मुहताज हो रहे हैं, परेशान हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह गया है कि वह खेती की सिंचाई, बुआई कर सकें और अपनी रोजी रोटी का प्रबन्ध कर सकें तब अब सरकार ने ये कदम उठाये हैं। सरकार के सामने कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं। केवल एक योजना बना देने से कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है जब तक कि सही रूप में उसको कार्यान्वित न किया जाय। आज सरकार करोड़ों रुपया पम्पिंग सेट एवं ट्यूबवेल के लिये दे रही है लेकिन गांवों में बोरिंग के लिये टेक्नीकल आदमियों का अभाव है। हर जगह पर किसान परेशान हैं। उनको इस तरह के आदमी नहीं मिल पाते हैं जो ट्यूबवेल के लिये सलाह दे सकें। इसके लिये सरकार को सोचना चाहिये। हर एक ब्लाक स्तर पर अगर न हो सके तो तहसील हेड क्वार्टर पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी ही चाहिये जहां पर लोगों को टैक्नीकल एडवाइस मिल सके।

इसके अतिरिक्त किसानों के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि नहरी एरिया में जो नहरें बनी हुई हैं उनकी टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। इससे किसानों को बहुत परेशानी होती है। अगर नहरों का सर्वेक्षण किया जाय तो मालूम होगा कि १०० फीसदी ऐसी नहरें मिलेंगी जहां टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। टेल पर पानी के अभाव का कारण यह है कि नहरों की खुदाई समय से नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त जो इस समय मौजूदा कैनाल हैं उनके पानी का बटवारा भी सही रूप से नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में जौनपुर-हैदरगढ़-सुल्तानपुर

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

जल शारदा का उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा वर्ष बीत रहा है। हैदरशाखा में बराबर सरप्लस पानी दिया जाता रहा है लेकिन इस शाखा में पूरे वर्ष कोटे के अनुपात से पानी नहीं दिया गया और जौनपुर में बराबर चलता रहा है। पानी के वितरण की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है, इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

एक बात और है कि नहरें साढ़े तीन दिन के हफ्ते के अनुसार चलायी जाती हैं जब कि पानी की ओसराबन्दी हफ्तेवार है। किसानों को पहले ३ दिन ही पानी मिल पाता है उससे झगड़े होते हैं और लाठियां चलती हैं और जो खेत बुवाई से रह जाते हैं वह अलग बात है। इसलिए पानी का वितरण हफ्तेवार का होना चाहिए। नहरें विभाग ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अनुसार नहीं चलतीं और न उनमें पानी पहुंचता है, इसको चेक करने की जरूरत है।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज जो नहरी और ट्यूबवेल एरियाओं का डिवीजन है उसमें इस बात की देखभाल करनी होगी कि दोनों के कमांड का पूरे एरिया की सिंचाई होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स को प्रोत्साहन दे या खुद सरकार सर्वेक्षण कराये कि उन एरियाज में कहां-कहां ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं जहां नहरी ट्यूबवेल एरिया होते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

मैं आपका ध्यान गोमती नदी पर पम्प कैनाल बनाने के सुझाव की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि डेढ़ वर्ष से चल रहा है। इसका सर्वेक्षण हो गया है। नदी का सारा पानी बह जाता है ऐसी योजना पूरी हो कि गोमती नदी के मकनपुर या औसारेपुर घाट पर पम्प कैनाल बना कर जौनपुर सुल्तानपुर डिवीजन की नहरों में जो पानी का अभाव है उसको दूर किया जा सके और हजारों एकड़ जमीन जो लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली जिले की सूख जाती है वह बोयी जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त बाराबंकी जिले में लाखों रुपये का लोन सैंक्शन है। लेकिन लैंड मार्गेज बैंकों में एक पैसा नहीं है। चेकें ईश्यू की गई हैं, लेकिन रुपया नहीं मिला, ऐसी दशा में यह व्यवस्था होनी आवश्यक है कि जो अप्लीकेशंस स्वीकृत हो चुकी हैं उनका जल्दी से जल्दी रुपया मिल जाय।

(श्री राजदेव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिनको आपने पुकारा ये कल परसों बोल चुके हैं और मैं ३ दिन से उठ-बैठ रहा हूं मुझे आज तक मौका नहीं मिला। आप पक्षपात करते हैं।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

कल मैं कहां बोला? परसों बोला।

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आप कैसे उनसे बुलवा रहे हैं जो पहले भी बोलें?

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, श्री राजदेव कल बोल चुके हैं, मैं नहीं बैठूंगा जब तक मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष, यह रूलिंग दे चुके हैं कि जो सूखे पर कल बोल चुके हैं उनका ध्यान रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजदेव जी, लोगों को एतराज है, आप कृपया बैठ जायं। हरीसिंह जी को बोल लेने दें।

(श्री राजदेव ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

*श्री हरीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे दी। जो अनुपूरक बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि आज जब इस बजट पर चर्चा हो रही है तो विरोधी दलों के केवल एक दो माननीय सदस्य ही यहां बैठे हुये हैं।

एक सदस्य—

आपकी तरफ कितने हैं?

श्री हरीसिंह—

यहां आप से कहीं ज्यादा हैं।

मान्यवर, जब पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी तो वे चिल्लाए कि हम मर गये। जब सूखा पड़ा तब कहा कि हम मर गये। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरठ जिले में भयंकर बाढ़ आयी थी उस समय किसी भी मेरठवासी ने हाथ नहीं फैलाया, हाउस में कभी शोर नहीं मचाया। पूर्वी जिले वालों की अगर झोपड़ी भी बह जाती है तो उनके महल बह जाते हैं और हमारी कोठियां बह जाती हैं तो उनका कोई जिक्र तक नहीं होता। इसलिये नहीं होता कि हम मेहनत करते हैं। यहां पर, मान्यवर, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या २० रुपये में पश्चिमी जिलों में कुंआ खद सकता है? यह क्या मखौल है? कच्चे कुएं के लिये कम से कम १५० रुपये की जरूरत है। पक्का कुआं अगर बनना है तो उसके लिये २,००० रुपये की जरूरत होती है।

आज आप सूखा दूर करेंगे। इस सरकार ने बहुत कोशिश की है किसान और मजदूरों की उन्नति के लिये। मजे की बात देखिये, हमारी कांग्रेस पार्टी तो सत्यता के मार्ग पर चलने वाली है और हम इसकी नीति पर विश्वास करते है परन्तु विरोधीदल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ही सब बातें करते है। विरोधी दल वाले नहीं जानते कि हल का मूठ कैसे चलाया और पकड़ा जाता है।

श्रीमन्, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार सरकारी अधिकारियों पर ही निर्भर रही है और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज सूखा पड़ा। सरकारी अफसर मंत्रियों पर हावी है। नहरों का उपयोग इन्जीनियर्स ठीक तौर पर नहीं कर पा रहे है। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें नहरों का पानी सयम पर नही मिल पाता है। आज शान्ति प्रपन्न शर्मा जैसे मंत्री होने चाहिये जिन्होंने बिजली का जाल बिछा दिया है। वे आज डिप्टी मिनिस्टर ही हैं। वे मिनिस्टर नहीं बन सकते क्यों? यह मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सूखे की रोकथाम के लिये प्लानिंग विभाग और ब्लाक्स कोई सहायता नहीं कर रहे है। इनसे तो धन का अपव्यय हो रहा है। जनता से वोट लेने हों तो हमें पहले जनता की मांगों को पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

करना होगा। हमारे पास कोई कमी नहीं है। इन सरकारी अफसरों से काम लो। जो काम हो वह ठीक हो। हम कहते तो सब कुछ हैं पर करते इकन्नी भर भी नहीं है। मेरठ में भी किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पूरबिया लोग कहते हैं कि हमारा बटवारा कर दो परन्तु वे यह नहीं सोचते कि पश्चिमी जिलों वालों से लूटकर ही पूरबिया लोग खा रहे हैं। ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। मुहीउद्दीनपुर में ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। आपने सारा डिपार्टमेंट नौकरी पर ही छोड़ रक्खा है। खेती का मजा देखिये। जब बीज की आवश्यकता हुई तो कर्ज पर बीज मिलता था, नगद कभी नहीं मिला। और खाद भी कर्ज पर मिली और इस साल जब कि किसान की फसल मारी गयी है और उसका गन्ना भी कीड़ा खा गया है आप उससे कहते हैं कि कैश लगाइए तब तुमको खाद बीज मिलेगी। सरकार अपने कर्मचारियों से पूछे कि पैसा क्यों नहीं बंटा, तब उसको असलियत मालूम होगी। आज किसान बरबाद हो रहा है। इतना मेहनतकश किसान बिना गल्ले और बीज-खाद के बरबाद हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह जो कहे उस पर अमल करे। २० रुपया जो आपने दिया है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। २० रुपया में कुंआ नहीं बन सकता। वह आप रख लीजिए दूसरी जगह काम आयेगा। सिंचाई विभाग को दीजिए जिससे वह समय पर पानी दे सके। ट्यूबवेल विभाग को खींचिए ताकि वह किसानों को पानी दे। इसलिए इसको तुरन्त पारित कर देना चाहिए, जो अनुपूरक बजट इस समय पेश किया गया है।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, आज दो दिन से सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार हो रहा है। दोनों पक्षों के लोगों ने अपने-अपने विचार इस संबंध में व्यक्त किए। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि १०–१२ जिलों की भीषण हालत है। लेकिन सरकार ने उस पर क्या किया ? मुख्य मंत्रीजी ने दूध बांटा, थोड़ी तकावी दी, थोड़ा ऋण दिया। वही बात गेंदा सिंह जी ने कही और जब राजस्व मंत्री से पूछा गया कि क्या वे लगान माफ करने को तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार ही कार्य होगा। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यह सरकार अपने को जनता द्वारा चुनी हुई कहती है, परन्तु जनता की दुर्गति को देखते हुए भी इस सरकार ने न तो सवाया बढ़ा हुआ लगान माफ किया और न लगान ही माफ किया है। आज जो २६ करोड़ का अनुदान प्रस्तुत किया गया है इसमें करीब १० करोड़ अनुदान की तरह बांटने के लिए रखा गया है। अगर आप सरचार्ज ही वापस ले लेते हैं तो वह करीब ६ करोड़ रुपया होता है। उससे प्रत्येक किसान को सबसे बड़ा फायदा हो जाता है और उससे किसान के पास जो पैसा बचता, उसके वह किसी दूसरे कार्य में लगाता। अगर आप किसान को ठीक प्रकार से राहत देना ही चाहते हैं तो चार आना सरचार्ज माफ कीजिए और लगान माफी की घोषणा कीजिए। कानूनगो की रिपोर्ट को आप गोपनीय बताते हैं। उन लेखपाल और कानूनगो को मैं जानता हूं, वे अपने काम को बचाने के लिए गलत आंकड़े तैयारे करते हैं और इसीलिए सही आदमी को कभी राहत नहीं मिल पाती है।

जहां तक आपके द्वारा कुंओं के लिए २०–२० रुपया देने की बात है, माननीय मुख्य मंत्री और गेंदा सिंह के क्षेत्र में उससे कुछ लोगों को भले ही लाभ पहुंच जाय, और कहीं उससे लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रदेश के दो तिहाई और तीन चौथाई भाग में उसका कोई उपयोग नहीं है, यह सब केवल कुछ लोगों की जेब में जायगा। इसका सरकार को कोई दूसरा उपयोग करना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विलोकन नहीं किया।

सिंचाई के संबंध में जो बातें हैं वे वही साधारण हैं। यही कि सब जगह बिजली दी जाय, नलकूप लगाए जायं और जहां पर नहरों पर कमान्ड क्षेत्र है या नहरों का क्षेत्र है वहां पर भी पंपिंग सेट्स का प्रबंध किया जाय और सब जगह कुंए खोदने की सहूलियत होनी चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान अपने जिले फतेहपुर की तरफ का आकृष्ट करूंगा, यह जिला न पूर्व में है न पश्चिम में है, न उत्तराखण्ड में है और न बुन्देलखण्ड में है। बीच के ९ जिले ऐसे बदकिस्मत जिले हैं जिनमें से एक फतेहपुर भी है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके किनारे पर एक तरफ ६० मील इलाहाबाद की सीमा है और दूसरी तरफ बांदा जिले की १०० मील की सीमा है जिस को सूखे का क्षेत्र माना गया है। लेकिन कहते हैं कि फतेहपुर में सूखा नहीं है जबकि वहां सूखा है और सीमा के तमाम जिलों में सूखा है। वहां के जिलाधीश ने भी सरकार को लिखा कि वहां पर सूखे से ७५ पैसे और ९० पैसे का नुकसान हुआ और सारे जिले के किसानों को लगान में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन उन की बात को भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहां पर जो नहरें हैं उनसे भी सिंचाई का प्रबंध नहीं है। हमारे यहां राम गंगा नहर की टेल बनी है, लेकिन उसके आधे भाग में जो मुख्य नहर है उसमें भी पानी नहीं पहुंचता। क्या कहूं वहां पर मोहम्मद तुगलक के इतिहास की सी पुनरावृत्ति मालूम होती है। हमारे यहां फतेहपुर में १५० बीघा जमीन में नहर खोद कर डाल दी गई है और कहा जाता है कि उसमें पानी सन् ७२ में आयेगा और चूंकि नहर खुद गई इसलिए कहा जाता है कि वहां पर नलकूप नहीं लगाये जा सकते क्योंकि वह तो नहर का क्षेत्र है। उत्तर में या दक्षिण में कोई नहर या पानी का साधन नहीं है। एक बड़ी स्कीम केंद्रीय सरकार की है और हजारों की स्कीमें आती हैं, लेकिन हमारे यहां के लिए कुछ नहीं किया जाता है। हमारे यहां ५ नलकूप हैं। २ रेलवे के हैं ३ और हैं, और ४० प्राइवेट लग रहे हैं। अब चौथी योजना में वहां १०० नलकूप लगाने की योजना है। हम चाहते हैं कि इनको जल्द वहां लगाया जाय। हमारे यहां जमुना नदी बगल से बहती है और डेढ़ मील के क्षेत्र में जमना में हमारे यहां काफी पानी है वही अगर रामगंगा नहर में छोड़ दिया जाय उठा कर तो काफी क्षेत्र सिंचित हो सकता है। उससे इलाहाबाद जिले के मंझनपुर क्षेत्र तक कि सिंचाई आसानी से हो सकती है। हमारे यहां के इंजीनियर्स तक इससे सहमत हैं इसलिए इस कार्य को जल्द कर देना चाहिए ताकि फतेहपुर की हालत सुधर सके।

दुर्भाग्य या सौभाग्य से हमारे यहां से विरोधी पक्ष के लोग ही अधिक चुनकर आये हैं उसका फल यह है कि हमारे यहां बिजली का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि यह २० और ४० रुपये न दिये जायं बल्कि जो साढ़े चार सौ प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं पंपिंग सेट्स के लिए और बिजली के लिए वह उनको दिये जायं। कहा जाता है कि ट्रांसफारमर नहीं है, मोटर नहीं है और खंबे नहीं हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर वहां पर खागा किशुनपुर, खागा-एरायां और खागा हदगांव की लाइनों पर बिजली दे दी जाय तो वहां पर जमुना कैनाल पर किसान पंपिंग सेट्स लगा लेंगे। और उन का लाभ होगा। इस के अलावा जो सरकर ५० प्रतिशत, ३३ प्रतिशत और २५ प्रतिशत की छूट देती है वह सब ब्लाक अधिकारियों की जेब में चला जाता है और सारा काम पूरा होने के बाद भी उनका प्रतिशत नहीं मिलता 'तो कम्लीशन रिपोर्ट नहीं मिलती। अब सीमेंट का भी वितरण ब्लाक से होता है। उसका वितरण भी बहुत खराब है। उनके माध्यम से जो सुविधा होनी चाहिए थी वह और अड़ंगा हो गए हैं, लोगों को सीमेंट नहीं मिलती। इस संबंध में भी सरकार को ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए और कड़ाई का रुख अपनाना चाहिए। बजट के बारे में बोलते हुए मुझे एक बात कहनी है और वह है कि प्रदेश की अशांति के बारे में। इस ओर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में मुझे यह कहना है कि यद्यपि वह खत्म हो गया है, परन्तु यह बड़ी विचित्र परिस्थिति है। उनकी जो परेशानियां हैं, सरकार को उन पर विचार करना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ डाकुओं जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और जो पकड़े गए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए।

[श्री रक्षपालसिंह]

आज राज्य कर्मचारी फिर से प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं। यह सत्य है कि जिस समय इनकी हड़ताल वापस हुयी उस समय जो आश्वासन सरकार की ओर से दिये गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

आज पंचायत मंत्रियों का प्रश्न हमारे सामने है जो हमारे दरवाजे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करे और ग्राम सेवकों की तरह से उनको माना जाय। उनका वेतन भी जो ५०–७० रुपये मिलता है, बढ़ाया जाय।

आज, श्रीमन्, गो हत्या के संबंध में एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा है कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसकी उपेक्षा की जाय। हमारे प्रदेश में गो वध बन्द हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया वहां पर दूसरी रूलिंग हो गयी, तो हमें संशोधन कराना पड़ा। हमारी सरकार को चाहिए कि वह केंद्रीय सरकार के सामने इस प्रदेश के लोगों की भावना को रखे और उन पर जोर लगाए कि वे कोई ऐसा कानून बनायें कि जिससे हमारे प्रदेश में गोवध बन्द हो। दूसरे, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे व्यक्ति को पूरी आजादी दें और उसमें हस्तक्षेप न करें जिससे को दुर्भावना पैदा न हो।

*श्री सुखरामदास—

अधिष्ठाता महोदय, आज तो अनुदान सदन में प्रस्तुत है, उसके समर्थन के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ है। आज हमारी सरकार प्रदेश में हुए सूखे का मुकाबिला करने के लिए जोरशोर से तुली हुयी है, लेकिन दुख की बात है कि इस काम के लिए भी हमारे विरोधी भाई प्रस्तुत अनुदान के विरोध में अपने विचार रखते हैं। आज इस संकट के समय में तो यह चाहिए था कि यह बजट सर्वसम्मति से पास होता।

जहां तक सिंचाई के साधनों का संबंध है और इसके लिए जो रुपया बांटा जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान फैजाबाद जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर रोनाही गागरा कैनाल अकबरपुर तक निकली है, लेकिन इसमें आखरी टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। साथ ही आज जो नलकूप से सिंचाई हो रही है, उसका कमान्ड एरिया इतना अधिक बना दिया गया है कि वे पूरे कमान्ड एरिया में पानी भी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहां पर न प्र इवेट आदमी अपने ट्यूबवैल ही लगा सकते हैं और न ही उनको सरकारी ट्यूबवैलों से पानी मिल सकता है। मीलों लंबी नहरों की गूलें बना दी जाती है पर उनमें २–१ फर्लांग से अधिक पानी नहीं पहुंच पाता है। नतीजा यह होता है कि हमारे किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते हैं। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कमान्ड एरिया को छोटा करें जिससे किसान भी अपने रहट या कुंए बनवा सकें और सिंचाई कर सकें। घाघरा कैनाल जो निकली है इसमें अकबरपुर तक जो सड़क जाती है उसके पूर्व तक का दायरा इसका है। मेरा कहना है कि अकबरपुर तहसील काट कर के जो महरीपुर से टांडा कैनाल निकली है, उसमें जोड़ दिया जाय ताकि रौनाई नहर से जिस क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो पाती है उसकी सिंचाई हो सके। टांडा कैनाल से जो माइनर निली है जो जहांगीरगंज तक जाती है उस १० मील के एरिया में १९६३ से आज तक पानी नहीं गया, जब कि किसानों की जमीन ले ली गई और पानी आने की आशा में लोगों ने रहट वगैरह उखाड़ लिए। पिछले साल गन्ने की बोवाई में केवल जमीन की सिंचाई हो पायी लेकिन गन्ने को पानी नह मिल पाया परन्तु सिंचाई की परची किसानों को दे दी गई और उन से पैसा वसूल किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस १० मील के एरिया में पानी पहुंचाया जाय। जहांगीरगंज ब्लाक ऐसा है जहां १०, १२ मील के एरिया में कोई बैलगाड़ी या मोटर नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकती। एक सड़क अलऊपुर से आयी है। सरकार ने वहां की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अगर सरकार खेती की तरक्की करना चाहती है तो सामान पहुंचाने के लिए वहां सड़क तथा पुल की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आर० एम० पी० के अन्तर्गत सरकार उस क्षेत्र में सड़क बनावे।

टेस्ट वर्क के लिए आदेश गए। लेकिन फैजाबाद में नहीं खोला गया। पिछले ४ साल में टांडा तहसील में काफी तादाद में मजदूर आये लेकिन इस साल सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि वहां श्रमदान के लिए टेस्ट वर्क खोला जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जवाब देने का मौका दिया जाय, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियम १८८ पढ़ दूं।

".....सदन को स्वतंत्रता होगी कि वह समस्त आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करे, किंतु इस प्रक्रम पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सदन में मतदान के लिए रखा जायगा।

(२) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हम लोगों की बातें भी सुन लें, तब उत्तर दें तो अच्छा है। अभी एक घंटे का समय है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दल के लोगों ने विचार व्यक्त कर दिए हैं, आप उपस्थित नहीं थे। इसके बाद मांगों पर मत लिया जायगा और पौने पांच बजे एक वक्तव्य होगा।

श्री उग्रसेन—

विनियोग विधेयक आयेगा तो उस पर बोलने का अधिकार होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

पौने पांच बजे तक आय-व्ययक पर मतदान हो जाय, यह मैं चेष्टा कर रहा हूं।

*वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उनका भी मैं आभार मानता हूं जिन्होंने कटु आलोचनायें की हैं। जो सुझाव वहां दिए जाते हैं, कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा ख्याल है कि उनकी तरफ कोई खयाल नहीं जाता है, उनको नोट नहीं किया जाता है। माननीय बी० बी० सरन बहुत नाराज थे। सबको नोट किया जाता है और जितना लाभ उठाया जा सकता है उनसे लाभ उठाया जाता है। बहुत से सुझावों को हम कार्यान्वित न कर सकें यह बात दूसरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

महादेव प्रसाद जी ने यह सुझाव दिया था कि शिक्षा को एक नई दिशा दी जाय, सरकार यह घोषणा करे कि ५ वर्ष के अन्दर शिक्षितों को रोजगार में लगा दिया जायगा और प्रदेश को एक नई रचनात्मक लीडरशिप दी जाय जिससे आज का जो वातावरण विक्षब्ध है वह जरा बदले और देश एक सही रास्ते पर चल सके । ऐसे ही बहुत से अन्य सुझाव हैं । अब उन पर विचार किया जाना चाहिए । जितना उस संबंध में विचार किया जा सकता है हम विचार कर रहे हैं ।

पानी की व्यवस्था की बात की गयी । यह बात बिलकुल सही है कि पानी की हमको जल्दी ऐसी व्यवस्था कर देना चाहिए जिसमें किसान को किसी तरह से पानी की कमी महसूस न हो । उसके लिए प्रयास किया जा रहा है । अब यह हो सकता है कि उस संबंध में जितना काम होना चाहिए था उतना न हो पाया हो । अगर हुआ होता तो आज जो परेशानी है वह शायद न होती । इस सप्लीमेंटरी बजट को लाने की आज जरूरत इसी वास्ते पड़ी कि प्रदेश में एक भीषण सूखा पड़ा है । उस सूखे से सारा प्रदेश और किसान त्रस्त है और एक बड़ी मुसीबत प्रदेश के सामने है । अब इसका कैसे मुकाबला किया जाय, इस मुसीबत को कैसे हम पार कर सकते हैं उसके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए वह किया जा रहा है । इसमें सबका सहयोग होना चाहिए और जितना सहयोग होगा उतनी ही आसानी से मुसीबत को पार कर लेंगे और ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि जितनी निराशा पैदावार में दिखाई देती है उतनी बात नहीं रहेगी । यह जान कर लोगों को बड़ी हिम्मत होती है कि इस मुसीबत के जमाने में किसान अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसकी चर्चा किसी ने नहीं की है । किसान अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है । जो भी साधन उसे कहीं से मिल सकते हैं उनका प्रयोग करके किसान अपना खेत बो रहा है, अथवा बोने का प्रयास कर रहा है और सरकार ने उसके लिए साधन जुटाए हैं । सरकार ऐसी स्थिति में जो कुछ कर सकती थी उसके लिए पूरा प्रयास कर रही है और किसान भी उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है । इससे वह निराशा एक आशा में तब्दील हो रही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह दोनों बातें झूठ हैं ।

श्री जयराम वर्मा---

मैं आपसे ज्यादा किसान हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह से विवाद न करिए, यह नियमों के विपरीत है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यह नियमों के अनुकूल है कि अगर कोई माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हों तो कह दिया जाय कि यह झूठ है । अब रही किसान की बात, तो मंत्रीजी सब कुछ यहां ही बोते और काटते हैं और इत्तिफाक से मुझे घर में बोना पड़ता है ।

श्री जयराम वर्मा---

आप बड़े किसानों की बात जानते होंगे, छोटे किसानों की बात नहीं जानते हैं । मैं उनके बीच में रहता हूं । मैंने अपनी आंख से देखा है । मैं उनके बीच में घूम कर आया हूं । आपसे ज्यादा जानता हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह आप कैसे कहते हैं कि आप ज्यादा घूम कर आये हैं ? मैं कहता हूं कि आपसे ज्यादा घूम कर मैं आया हूं । आपके पास तो सरकारी जीप रहती है, मैं पैदल और साइकिल से घूम कर आया हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग बीच में न टोकें ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इधर वर्कर नहीं हैं ? क्या हम लोग काम नहीं करते हैं ? हम लोग ढेर सा काम करते हैं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप लोग ढेर सा काम नहीं करते तो इस प्रदेश का सत्यानाश कैसे होता ?

श्री अधिष्ठाता—

यह शोभा की बात नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इसमें क्या बात है ? केवल माननीय मंत्री जी की इस बात का प्रतिवाद किया गया कि सरकार जो कुछ करना चाहती है वह सब कर रही है । हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर रही है । आपने मुझको जवाब देने का भी मौका नहीं दिया । चार बजे तक विनियोग विधेयक आना था वह भी नहीं आया ।

श्री उग्रसेन—

इसके लिए कोई परीक्षा होगी कि कौन ज्यादा पैदल चलता है ? अगर इम्तहान में बैठना चाहें तो हम तैयार हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा—

मैं यह कह रहा था कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है । अब किसी को सन्तोष न हो, यह बात दूसरी है । यह कोई कह सकता है कि और ज्यादा काम करना चाहिये । लेकिन जो कुछ आज की स्थिति में हो सकता है वह किया जा रहा है । यहां यह आलोचना करने के बजाय अगर गांवों में जायं तो ज्यादा उपयोग हो सकेगा ।

(व्यवधान)

श्रीमान, जी, यह सप्लीमेन्टरी बजट इसी दृष्टि से लाया गया है कि हम जल्द से जल्द किसी तरह से ज्यादा काम कर सकें । यह सब रुपया कोई परमानेन्ट काम करने के लिये नहीं रखा गया है जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि नहरें खोदने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी । अगर नहर खोदने की व्यवस्था की गयी होती तो इस रबी में क्या लाभ होता ? इसमें तो हम इस रबी की फसल में कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें इसका इन्तजाम किया गया है । इसी वास्ते कच्चे कुओं का इन्तजाम किया गया है । यह सही है कि कच्चे कुएं सब जगह नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर तो बन ही सकते हैं, जहां पर नजदीक में ही पानी मिल जाता है । किसान वहां पर २० रुपये का उपयोग करके अपना श्रम लगाकर कच्चे कुयें तैयार करके अपने बीघे दो बीघे के खेत को पानी पहुंचा देगा मुझे तकलीफ हो रही है कि देवरिया,

[श्री जय राम वर्मा]

गोरखपुर और बलिया आदि स्थानों के माननीय सदस्य भी कहते हैं और आलोचना करते हैं जहां पर इतने कुएं बन चुके हैं। यह कोई परमानेन्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनको फसल के लिये पानी मिल सकेगा।

श्री उग्रसेन---

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि कच्चे कुयें बनाये जायं। लेकिन उसके लिये पैसा बहुत कम दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सब कुयें बन गये। यह ठीक नहीं मालूम होता है। आप कमिश्नर की रिपोर्ट पर मत जाइये। आप हमारे साथ चलिये मैं दिखा दूंगा। मुश्किल यह है कि मिनिस्टर लोग जाते हैं, वे हमसे भेंट नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय उग्रसेन जी, मैं खुद आप से भेंट करने के लिये मंत्री जी के साथ बरहज तक गया। लेकिन आप नहीं मिले। आपका एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि आप सलेमपुर जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप लोग मौजूद नहीं होते हैं।

श्री उग्रसेन---

मैं आगे सूचना दे दूं और मेरे गवाह माननीय गेंदा सिंह जी हैं। जब सलेमपुर गये तो हजारों आदमी उनसे मिले और आध घंटे तक बातचीत हुई।

श्री अधिष्ठाता---

मैं भी वहां मौजूद था। बरहज में आप उपस्थित नहीं थे।

श्री उग्रसेन---

सलेमपुर में तो हम थे।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन---

हम तो बैठ रहे हैं, लेकिन देवरिया का नाम मत लीजिये।

श्री जयराम वर्मा---

मैं कह रहा था कि बहुत से काश्तकारों ने लाभ उठाया है और काफी सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। इसके अतिरिक्त पुराने कुयें जो बेकार पड़े हुए थे और ट्यूबवेल तथा नहर के पानी की वजह से काश्तकार इनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं समझते थे, लेकिन इस समय पानी की जरूरत हुई और काश्तकारों ने पुराने कुओं की सफाई की, रहट खरीदे और काफी परिश्रम करके सिंचाई की व्यवस्था की। माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी का ध्यान तो पंपिंग सेट्स की ओर ही जाता है। वे छोटे काश्तकारों की बात नहीं सोचते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मैंने शुरू में कहा था कि नहर के एरिया में इसलिये काश्तकार सिंचाई नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर सिंचाई पड़ जायेगी। अगर आप इतना कर दें कि वह सींचें तो उसके ऊपर सिंचाई नहीं पड़ेगी तो बड़ी कृपा होगी।

श्री जय राम वर्मा---

अगर क्रास कर के ले जाये तो वह विभाग को सूचना दे दे तो हो जायेगा।

श्री उग्रसेन--

अगर पतरौल को सूचना देकर क्रास कर ले तो हजारों एकड़ में सिंचाई हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता-

आपके सुझाव पर मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा--

इस तरह से और भी सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। जिन को बिजली नहीं मिल रही थी उनके लिये ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको बिजली मिले और उनका उपयोग आज के जमाने में हो।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

देवरिया में बिजली नहीं दी जा रही है इसकी व्यवस्था आप करवा दीजिये।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमान्, जी, १० हजार प्राइवेट टयूववेल्स और पम्पिंग सेटस को एनरजाइज करने की व्यवस्था इस साल रखी गयी थी, लेकिन सूखे से प्रभावित जिलों में ७ हजार की व्यवस्था और बढ़ा दी गयी। इस तरह से १७ हजार प्राइवेट टयूबवेल्स और पम्पिंग सेट्स को बिजली देने की व्यवस्था है और आशा है कि यह काम पूरा हो जायगा। अक्तूबर तक पांच हजार के करीब एनरजाइज हो चुके थे और जिस गति से काम हो रहा है उससे पूरा अन्दाजा है कि १७ हजार प्राइवेट टयूववेल्स और पंम्पिंग सेटस को एनरजाइज कर देंगे मार्च तक। एक बात और अच्छी हुई, जिसे ईश्वरीय कहूंगा थोड़ी सी वर्षा हो गयी जिससे काश्तकारों को काफी राहत मिली। जो बोवाई नहीं हो सकी थी उसे के लिया उस विचार से कि कच्चे कुओं या पराने कुओं को ठीक करके सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे अगर बारिश न हुई। जो हमारे टयूववेल्स खराब पड़े थे उनको ठीक करवाने की कोशिश की जो टयूववेल्स अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर रहे थे उनको ठीक करवाने की कोशिश की। इस प्रकार टयूववेल्स और नहरों की वर्किंग में काफी सुधार हुआ है और किसानों को कहीं ज्यादा पानी मिल रहा है। माननीय हरी सिंह को शिकायत यह हो गयी कि हर साल बीज और फर्टिलाइजर पर तकावी देने की व्यवस्था होती थी, लेकिन उस साल नहीं है। उन्होंने देखा नहीं ओरिजनल बजट में ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था इस काम के लिये की गयी थी, लेकिन सूखा पड़ने पर वह व्यवस्था कम मालूम पड़ी। इस सप्लीमेन्टरी बजट द्वारा दो करोड़ रुपये की व्यवस्था और इस काम के लिये की जा रही है जिससे किसानों को बीज, फर्टिलाइजर और इम्प्लीमेन्ट्स की व्यवस्था हो सके।

श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मेरठ मुजफ्फरनगर में जो सर्कुलर गया उसको उल्टा पढ़ा गया। उसमें लिखा था कि जो किसान स्वयं खरीद सके या न खरीद सके तो उधार दे दिया जाय। बस ऊपर वाला लागू कर दिया। फिर मैंने उसका यहां से क्लैरिफिकेशन निकलवाया, तब मेरठ मुजफ्फरनगर में मिलना शुरू हुआ।

श्री जय राम वर्मा--

कहीं कहीं यह शिकायत हो सकती है कि नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन इस साल पानी की बहुत मांग है, जिस तरह से काश्तकार पानी पर जुटा हुआ है उसकी वजह से अधिकारी कितनी भी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं कि आखिर तक पानी जाय, लेकिन बीच में काश्तकार पानी काट लेते हैं। तो यह नहीं है कि वहां पानी नहीं जा रहा है या नहरें काम नहीं कर रही हैं---यह बात नहीं है, बल्कि इस वक्त इतनी जरूरत है और किसान उसके इतने पीछे पड़ा हुआ है और इतना पानी लेता है कि आखिर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो जो इसमें

[श्री जयराम वर्मा]

सारी बजट में व्यवस्था की गयी है वह प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये की गयी है और प्रोडक्शन को बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई के लिये और बिजली के लिये की गयी है। इसमें नहरों की सफाई और ट्यूबवेल की मरम्मत और इम्प्रूवमेनट तथा गूलों की मरम्मत और इम्प्रूवमेनट के ऊपर के खर्चे की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इन सबके लिये इस बजट में रुपया रखा गया है। माननीय सदस्यों का इस काम में जितना सहयोग मिलेगा उतना ही अच्छा और सफलता से काम होगा। कुछ सदस्यों ने कहा कि वे इसमें मदद नहीं करेंगे न करें यह तो उनकी प्रवृत्ति की बात है, करते तो और अच्छा था, फिर भी उससे कुछ ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इस हालत में भी जो एक बहुत बड़ी निराशा है कि पैदावार कम होगी वह दूर हो जायगी और पैदावार हमारी बढ़ जायगी। इसका कारण यही है कि इस दिशा में किसान अपनी पूरी ताकत से जुट गया है, उसमें निराशा तनिक भी नहीं है, वह भर पूर जी जान से मेहनत कर रहा है। यह एक बड़ी अच्छी बात है और एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमन्, जिस काम को हम बहुत दिनों से नहीं कर सके थे, किसान उसको अपनी मुसीबत के समय में सीख गया है। मुसीबत ने किसानों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखा दिया है जो कि बहुत बड़ी चीज है। इससे उसके भविष्य को समृद्धि बनाने में मदद मिलेगी। किसान अपने कुओं से सिंचाई करेगा और नहरें और ट्यूबवेल वेल उसके लिये सिंचाई के एडीशनल साधन बन जाएंगे और इन सारे साधनों को मिलाकर अब उसके लिये पानी की कमी नहीं होगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मान्यवर, मंत्री जी ट्यूबवेल और नहरों को एडीशनल साधन कब से कहने लगे ?

१९६६–६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,१७,७९,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,१७,७९,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के-अन्तर्गत १,८९,११,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माणकार्य के अन्तर्गत १,८९,११,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

श्री जयराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान-के अन्तर्गत ३२,९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ३२,९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं

श्री जयराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं-के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं-के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता-के अन्तर्गत ४,५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता-के अन्तर्गत ४,५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

श्री जयराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय-के अन्तर्गत ४०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री जय राम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,८७,५०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूजी परिव्यय के-अन्तर्गत ३,८७,५०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम-के अन्तर्गत १३,३५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के-अन्तर्गत १३,३५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन से अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पान्डेय (जिला जौनपुर)—

आज तीन दिन से सूखे की समस्या पर इस सदन में विचार चल रहा है और उसी के तत्वाधान में यह बजट भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीमन्, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आपकी सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह बजट एक विशेष बजट के रूप में हमारे सामने रखा गया है। इससे संबंधित जो खामियां हैं, उन पर हमारे साथियों ने प्रकाश डाल दिया है। मैं भी कुछ अपनी बातें माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं एक बात की तरफ आपकी तवज्जह जरूर खींचना चाहता हूं और वह है गेंदासिंह का वक्तव्य। माननीय गेंदासिंह जी ने जिस तरह घड़ियाली आंसू ३।। बीघा वाले किसानों के प्रति बहाये हैं, उससे उनके और हमारे सामने एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के ८० लाख ऐसे किसानों के प्रति यदि उनकी हमदर्दी है तो क्या वह उनकी मालगुजारी माफ करने के लिये तैयार हैं? क्या वे उनको मुफ्त पानी देने के लिये तैयार हैं? क्या वे उनको मुफ्त बीज देने के लिये तैयार हैं? क्या वे उनको मुफ्त खाद देने के लिये तैयार हैं? यदि वह इन सब चीजों के लिये तैयार है तो निश्चय ही उनका ये आसूं बहाना सार्थक सिद्ध हो सकता है अन्यथा निरर्थक है और केवल पोलिटिकल स्टन्ट होकर रह जाते हैं। जहां तक ट्यूब्वेल की बात है इसके सिलसिले में केवल इतना कहना चाहती हूं कि कितने ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनका डिसचार्ज कम है ज्यादा दिखाया जाता है और ज्यादा दिखाने का अर्थ यह है कि गरीब किसानों पर उसकी मार पड़ती है। इसके अतिरिक्त यदि पानी दूसरे किसानों के खेत में कट जाने के कारण अथवा नाली टूट जाने के कारण चला जाता है तो उनसे मालगुजारी वसूल की जाती है, यद्यपि इस पानी की उक्त किसान को जरूरत नहीं थी। जबरदस्ती वसूली की जाती है ट्यूबवेल्स की बिजली कट जाती है और नये नलकूपों को विद्युत शक्ति सम्पन्न नहीं किया जाता है।

अब मैं आपका ध्यान जौनपुर जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं जो लगातार तीन साल से कहत का शिकार होता चला आ रहा है। जिस क्षेत्र का मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं वह मछली शहर है। मछली शहर तीन साल से बराबर कहत का शिकार है। वहां पर मालगुजारी में छूट नहीं हुई है। पौने तीन लाख रुपये छूट के कागजात तैयार किये गये और जमाबन्दी भी की गई। यहां तक कि पर्ची भी बांटी गई। जिलाधीश और कमिश्नर ने छूट की सिफारिश की लेकिन बावजूद इन सिफारिशों के छूट नहीं दी जा सकी। क्योंकि बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर मित्रा साहब ने कोई अपनी विशेष राय नहीं दी। मित्रा साहब को इस बात का पता नहीं है कि किसान किस तरह से काल के गाल में चले जा रहे हैं। लखनऊ की कुर्सी पर बैठकर ऐशो आराम की जिन्दगी बिताकर छूट न देने की सलाह उन्होंने दी और किसानों में सरकार के प्रति क्षोभ उत्पन्न किया। जहां तक नहरों का सवाल है, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी टेल एन्ड पर है। इसलिये वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। जो पानी हमको दिया जाता है उसका प्रतिशत बढ़ा दिया जाय जिससे पानी हमको अच्छी तरह से मिलता रहे। पम्पिंग सेट के बारे में क्या कहूं? पम्पिंग सेट लोग लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिये ५०० रुपया घूस कहां से दें? लाखों रुपये का ठेका ऐसे पंम्पिंग सेटों के लिये दिया गया है जो बिलकुल नाकारा हैं और किसी काम के नहीं हैं। उदाहरण के लिये जौनपुर लिया जा सकता है इस तरह से उनमें रुपया बरबाद किया जा रहा है। रहट के बारे में जौनपुर की स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है सारी रहटें बेकार हैं, किसानों का लाखों रुपया पानी में चला गया यह तो एक जिले की बात है। पूर्वी जिलों में १० लाख रुपया रहट के लिये दिया गया जो बिलकुल बेकार हो गया है। रहट सी० एम० कम्पनी बरेली से लिये गये हैं। इसके साथ राममूर्ति जी का नाम जोड़ा जाता है। वे बिलकुल बेकार हो गये हैं। आपकी सिंचाई की योजना बिलकुल ठप्प हो गई है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको विनियोग विधेयक पर ही विचार व्यक्त करना चाहिये कि यह रुपया दिया जाय या न दिया जाय। सामान्य विवाद में जो बात कही जा सकती है उनकी ही आप चर्चा यहां पर कर सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं कि इन कारणों से विनियोग विधेयक न पास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अभी समाप्त करता हूं। एमरजेंसी के ट्यूबवेल लगने वाले हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे क्षेत्र में भी लगाये जावें। माधोपुर जोखनिया, जारौना, कमसिनी, करियांव और भिदूनों में ट्यूबवेल लगाये जायें। इस के अतिरिक्त दकियानूसी फेमिन कोड को बदलें, कोई कमीशन नियुक्त करें जो नये तरीके से सोचकर समझकर उसमें संशोधन करे और किसानों को राहत दें।

मुझे दुःख है कि माननीय सिंचाई मन्त्री तीन दिन की बहस में हाजिर नहीं रहे। उन को अच्छी जानकारी थी, उस से सदन को लाभ पहुंच सकता था। मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने अपेक्षापूर्ण व्यवहार से इस सदन का अपमान किया है, उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मुझे तीन ही बातें तीन मिनट में कहनी हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंहगाई तो अब है, कब आप का सुपर बाजार बनेगा, कब यह खत्म होगी। कुएं तब बनेंगे जब सूखे से सब फसल नष्ट हो जायगी और माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान का देना तब शुरू होगा जब उस अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। यानी दुरुपयोग। सब से मजेदार बात यह है कि नुकसान इतना है, तो सवाल होगा कि पहले मैनुअल देखी जाय तब रिलीफ दिया जायगा। यह कैसे पता लग गया कि यह नुकसान है? अनुदान अनुपूरक बजट में बनाकर दी हुई है, तो उस हिसाब से छूट घोषित करो। कहते हैं कि रूल के बाहर कैसे चले जायें? तो क्या ये गेंदा सिंह जी के आंकड़े हैं कि रूल इधर और माल उधर। यानी जब सरकार को कुछ लेना हो तो ये फाइनल आंकड़े आ गये और जब देना हो तो फिर गेंदा सिंह कमेटी बैठेगी उस पर विचार करने के लिए। यह लाजिक समझ में नहीं आयी। अरे, जितने आंकड़े प्राप्त हैं, नुकसान के, उस हिसाब से छूट और काफी घोषित हो जाय और अगर इस से अधिक सिद्ध कर दें, तो उतनी हो जाय। इसके बिना कोई कार्य नहीं चल सकता। उन के पास किसी का उत्तर नहीं है। एक यह छूट, दूसरे सिंचाई की सुविधा और सरकारी कर्मचारियों की दिक्कतों का मिटाना, तीन बातों का कोई उत्तर नहीं है और चाहते यह हैं कि हम उनको रुपया दे दें। मुझे एक अंग्रेज कवि की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गयीं :—

"Princes and Lords may flourish and fail,
A word can mar them, a word hath made.
But hold peasantry that country's pride,
Once destroyed can never be supplied."

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि अच्छी बातों को जब ये मानेंगे, तब हम उन्हें रुपया देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परसों, कल और आज जो सरकार की ओर से आंकड़े पेश किये गये बजट के सम्बन्ध में, मैं सबका निचोड़ कहना चाहता हूं, तीन मिनट के अन्दर, कि मैंने जो सवाल सदन के समक्ष रखे थे, और जिस पर मैं निकाला गया था वह यह मांग थी कि इस सारे प्रदेश को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय। तो मेरा समर्थन सभी ने किया और उसको देखते हुए यदि घोषित होगा, तो जगह-जगह मुफ्त दवाखाने खोले जायेंगे, कपड़ा और भोजन बांटा जायगा---उस के लिए यह साढ़े छः करोड़ रुपया कम है। कुछ आप थोड़ा दीजिये और लोगों को दिलाइये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए बोलने खड़ा हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था सवेरे के नियम ५२ की बात विवाद में कह डालिये। मैं दूर की बात नहीं कहता हूं। मेरे और मेरे बगल के क्षेत्र में जगदेव हरिजन की पत्नी भूख से मर गयी। वह लार ब्लाक का गांव परासी चकलाल है, सलीमपुर तहसील का है। आज मरे सात दिन हो गये। दूसरे जो भूखे हैं, अन्न नहीं मिला तो एक हैं हरहंगी यादव, सलेमपुर तहसील के ४-६ रोज से खाना नहीं मिला और नाजिरदास हरिजन के पूरे परिवार को खाना नहीं मिला है, वह भूखा मर रहा है।

श्रीमन्, सभापति देवनारायण का मेरे पास जो तार आया है उस में लिखा है कि रामबली यादव और उनका परिवार भूख से मर रहा है और वह अस्पताल में भरती है। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने भुखमरी को नहीं रोका, स्थिति को नहीं सम्भाला तो देश में खून की क्रान्ति होगी, यह सरकार उस में जल कर भस्म हो जायेगी और यह बैलों की जोड़ी स्वाहा हो जायगी।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

अधिष्ठाता महोदय, जिन १३ जिलों को १० प्रतिशत के अन्तर्गत दिखाया गया है उन जिलों से मैं आता हूं। मुझे एक निवेदन करना है। हमारे जिले में सरकार का अभी एक जी० ओ० गया है जिस में यह है कि सिंचाई कमांड में जो काश्तकार अपना ट्यूबवेल लगायेगा या पम्पिंग सेट लगायेगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस आदेश को वापस ले ले।

श्री जयराम वर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक द्वारा तो केवल उस रुपये को संहत निधि से निकाल कर खर्च करने का अधिकार मांगा जा रहा है, जिस धनराशि को यह सदन विभिन्न सेवाओं के लिए स्वीकार कर चुका है, उस को खर्च करने का ही सिर्फ इस विधेयक द्वारा अधिकार मांगा जा रहा है और चीजों का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब एक बार सदन यह स्वीकार कर चुका है कि अमुक अमुक सेवा पर इतनी धनराशि खर्च की जाय, तो अब अगर उस को संहत निधि से निकाल कर खर्च करने का अधिकार यह सदन नहीं देता तो वह अपने ही किये हुये फैसले के खिलाफ कार्य करेगा। मुझे आशा है कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

जहां तक छूट देने की बात है, वह तो कायदे कानून के अनुसार दी जायगी। (व्यवधान)।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नलकूप बनाये जा रहे हैं, उस में बड़ा पक्षपात किया जा रहा है। आजमगढ़ में ३० नलकूप, जौनपुर में २५ और बनारस में ३००, यानी कोई अनुपात क्षेत्रफल का नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय वित्त मन्त्री, समय का ध्यान रखते हुये वक्तव्य समाप्त करें।

श्री जयराम वर्मा---

शिकायत से तो काम चलता नहीं है । जो आदमी करता हो और उस के खिलाफ कार्यवाही न होती हो तो आप की बात ठीक हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

खंड २, ३, अनुसूची प्रस्तावना शीर्षक तथा खंड १

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

३१ मार्च, १९६७ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६६-६७ के लिये २६,८२,३१,९०० रुपयों का दिया जाना ।

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २६,८२,३१,९०० रु० (छब्बीस करोड़, बयासी लाख, इकतीस हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६७ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं:---

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		अनुसूची		
		रु०	रु०	रु०
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	२,१७,७९,०००	..	२,१७,७९,०००
२	कृषि सम्बन्धी विकास ..	३०,००,०००	..	३०,००,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	१,८९,११,७००	..	१,८९,११,७००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	३२,९१,०००	..	३२,९१,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं	१००	..	१००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	४,५०,००,०००	..	४,५०,००,०००
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ..	४०,००,०००	..	४०,००,०००
४९	सिंचाई-निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३,८७,५०,१००	..	३,८७,५०,१००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	१३,३५,००,०००	..	१३,३५,००,०००
	योग ..	२६,८२,३१,९००	..	२६,८२,३१,९००

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार किया जाय और मन्त्री जी बैठ गये। मेरी समझ में नहीं आया कि.....

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी तथा उनके साथ जेल में किये गये कथित अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

ऐसी सूचना मिली थी कि दिल्ली में संसद भवन के सामने ७ नवम्बर, को घटना के बाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने वृन्दाबन में सार्वजनिक भाषण दिये जिस में उन्होंने गौहत्या पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाने की अखिल भारतीय गोहत्या निरोध समिति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जनता को हिंसात्मक उपाय अपनाने के लिए उत्साहित किया। अपने इस संकल्प की भी उन्होंने घोषणा की, कि यदि २० नवम्बर, १९६६ से पहिले सरकार गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाती तो वह उक्त तिथि से आमरण अनशन करेंगे। जिलाधीश, मथुरा को जो सूचना मिली, उसकी पृष्ठभूमि में, उन्होंने सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के हेतु एवं उस के लिए एहतियाती तौर पर १९ नवम्बर, १९६६ को श्री ब्रह्मचारी के विरुद्ध प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट, १९५० की धारा ३/१/ए०(२) के अधीन निरोध आदेश जारी किया। तदनुसार श्री ब्रह्मचारी को २० नवम्बर, १९६६ को हिरासत में ले लिया गया और जिला जेल, मथुरा में रख दिया गया। श्री ब्रह्मचारी, हिरासत में रहते हुए २० नवम्बर, से अनशन कर रहे हैं। सिविल सर्जन, मथुरा समय-समय पर उन की जांच कर रहे हैं। यद्यपि वह कमजोर हो गये हैं फिर भी उनका स्वास्थ्य ठीक है। वह गंगा जल ले रहे हैं। यह सही नहीं है कि उन के सेक्रेटरी को उन से मुलाकात करने की कोई इजाजत नहीं दी गयी। उन को वह सभी सुविधायें दी जा रही हैं जो ऐसे नजरबन्द व्यक्तियों को नियमों के अधीन दी जाती हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मनानीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे अन्य जगहों पर सन्तों को सुविधा दी गयी है, उनके शिष्यों को पूजा पाठ आदि में आज्ञा दी गयी है, क्या वे भी ऐसे केस में सुविधा व आज्ञा दे रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो सुपीरियर क्लास के प्रिजनर्स के लिए सुविधा होती है वे सब सुविधायें दी जा रहीं हैं। शिष्य कोई जेल में नहीं है। वहां जेल के आदमी काम कर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुझे याद है कि पिछली बार स्वामी करपात्री जी जेल में थे तो उन की सेवा के लिए शिष्यों को आज्ञा मिलती थी और जेल में गंगा जल जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि उन के शिष्य को पूजा पाठ में सहायता देने की इजाजत दी गयी है या नहीं, जैसी सुविधा करपात्री जी को दी गयी थी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, करपात्री जी को क्या सुविधायें दी गयीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी जी ने पूजा के लिए फूल चाहे, वह दिये गये और गंगाजल भी उनको दिया जा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या स्वामी जी ने पूजा में सहायता करने के लिए इच्छा प्रकट की थी, या ऐसी कोई बात नहीं हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कोई ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ब्रह्मचारी जी ने कहां-कहां किन-किन हिंसात्मक कार्यों को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, गिरफ्तारी से पहले जो नोटिस दिया जाता है कि किसी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, वह ब्रह्मचारी जी को दिया गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने कौन सी बात कही जिस पर मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने हिंसा को उभारने की स्पीच दी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह निवेदन किया कि ब्रह्मचारी जी को नोटिस दे दिया गया है कि उन्होंने ऐसी स्पीच दी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह कौन सी हिंसात्मक स्पीच थी, उस को पढ़ कर सुना दीजिये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अगर ब्रह्मचारी जी को कोई एतराज नोटिस पर होता तो वह ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने एतराज करते। उसमें हाई कोर्ट का जज भी होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

हाउस में इस तरह की इकतर्फा बात नहीं कहनी चाहिए जब कि आप के पास कोई प्रूफ नहीं है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कोई बात नहीं कही। मैंने यह निवेदन किया कि उनको नोटिस दिया था। अब उनको अधिकार था कि उस पर अपील करते, एतराज करते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता जी, हम में और उन में यह फर्क है कि वह नोटिस की बात करते हैं और हम पूछते हैं कि आपने जिस चीज को हिंसात्मक कहा, उन के उस भाषण का अंश हम को पढ़ कर सुना दीजिये। हम चाहते हैं कि यह बताया जाय कि हिंसा को फैलाने के लिये उन्होंने क्या भाषण दिया, क्या कहा, यह कलेक्टर का नोटिस अलग जीज है वह अलग चीज भी हो सकती है, उनके भाषण से प्रमाणित होना चाहिये कि किस शब्दावली में उन्होंने उत्तेजनात्मक भाषण दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

जनहित को दृष्टि में रखते हुये मंत्री जी जिस अंश की चाहें सदन में रख सकते हैं.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप उन को क्यों सिखा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

हमारा धर्म है कि अगर अनियमित बात हो तो सब को सिखायें कि ऐसी बात न करें। आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मंत्री, आप अपना विधेयक पेश करें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने मंत्री जी को बुला लिया, मंत्री जी को आपने उत्तर के लिये बुलाया है वह खड़े हैं.....

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन रामसुन्दर जी तो उनका उत्तर सुनना नहीं चाहते.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हमने कहा कि हम सुनना चाहते हैं। भाषण का वह अंश सुनायें जिस में हिंसा की बात है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करुंगा कि उन को कहने का अवसर तो दिया जाय, तभी तो मंत्री जी बतायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सरकार की तरफ से सही बात सदन के सामने आये इसके लिये आपने स्पष्टीकरण का मौका हमें दिया है, वह खड़े हुये हैं उन को उत्तर देना चाहिये, अभी अगली मद नहीं ली जा सकती...

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री रामसुन्दर पांडेय---

इस सरकार के मंत्रिगण गलत उत्तर देते रहे हैं और इस तरह से सदन का अपमान किया जाता है और जो लोग इस तरह से सरकार की ओर से गलत वक्तव्य देते हैं उनसे हम असन्तुष्ट हैं और आप जिस तरह से उनको सिखाते हैं उस से हमें बहुत तकलीफ है। आप के और सरकार के इस व्यवहार के कारण हम सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नेता विरोधी दल ने जो सवाल पूछा है उसके उत्तर में मंत्री जी उस नोटिस के कुछ अंश बता सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

नोटिस के अंश की बात नहीं है, लेकिन हिंसात्मक उत्तेजना के लिये पूज्य ब्रह्मचारी जी के भाषण का कौन सा आबजेक्शनेबिल अंश है वह बताया जाय, वह सरकार के कब्जे में होना चाहिये। उसी के कारण नोटिस दिया गया है, हम उन के उस भाषण या वक्तव्य को सुनना चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

एक भरी सभा में वृन्दावन में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने कहा वह मैं सुनाता हूं।

उन्होंने कहा कि "यह सरकार पूर्णतः प्रभावहीन हो गई है तथा गुंडों एवं पुलिस के हाथों में है। आज की सरकार उन मांगों को स्वीकार नहीं करती जो शांतिपूर्वक की जाती हैं। मैं अपना आमरण अनशन दिनांक २०-११-६६ को गोलोक धाम में प्रारम्भ करूंगा।" फिर वह कहते हैं कि "सरकार के विरुद्ध आप को जो भी करना पड़े आप लोगों को अभियान सफल बनाना है क्योंकि यह सरकार किसी भी बात को सीधी भाषा में नहीं समझ पाती। मैं दिनांक २०-११-६६ से आमरण अनशन कर रहा हूं और मुझे अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। अतः मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जनता में सहानुभूति उत्पन्न करायें तथा अपने प्राणों की बलि दें।" उसके बाद आपने १९-११-६६ को कहा कि "कबतक हिन्दू गोवों की हत्या को चुपचाप देखते रहेंगे। यह कलंक की बात है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने में नहीं लगा सकते। हजारों गायें एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं और काटी जाती हैं। उनकी आत्मायें हमें चुनौती दे रही हैं। आप को किसी भी कीमत पर गोवध पर प्रतिबन्ध लगवाना है क्योंकि सरकार हमारी शांतिपूर्ण मांग को एक लम्बे समय से अस्वीकार कर रही है। यह जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने का आदेश करती है तथा अबोध साधुओं की हत्या करती है। हत्या को सहन करना पाप है। अब समय आ गया है कि हिंसा का व्यावहरिक उत्तर दें।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह सरकार धंसने वाली है अगर इस भाषण को हिंसात्मक समझती है। मैं तो यह समझता हूं कि यहां पर बैठना ही निन्दनीय है। यह सरासर झूठा है। यह सी० आई० डी० द्वारा मैन्यूफैक्चर किया गया है। इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६†

*शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक इसलिये उपस्थित किया गया है कि जब मेरठ और कानपुर में जो नये विश्वविद्यालय बने हैं उनको उनके क्षेत्र में जो कालिज हैं, उनको हस्तांतरित कियेजाने का प्रश्न उठा तो यह शंका पैदा हुई कि आगरा विश्वविद्यालय की जो सीनेट है, जिस सीनेट में इन क्षेत्रों के कालिजों क प्रतिनिधि हैं, उनकी सदस्यता का क्या होगा और यह भी आवश्यक समझा गया कि उनमें कुछ परिवर्तन करने की कुछ आवश्यकता है। हमारा जो मूल अधिनियम था उसके अन्तर्गत यह अधिकार उपलब्ध नहीं था इसलिये अध्यादेश के द्वारा इस तरीके का अधिकार उसमें रखा गया। एक दूसरी कठिनाई जो उपस्थित हुई, वह यह है कि कुछ ऐसे कालिज हैं जो कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में हैं जो उस अधिनियम के पारित होने के पश्चात आगरा विश्वविद्यालय से सबद्ध हुये। मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय के अधिनियमों में यह स्पष्टतया वर्णित था कि वे कालिज जो आगरा विश्वविद्यालय से उस समय तक सम्बद्ध थे जब वे अधिनियम लागू हुये थे विज्ञप्ति द्वारा हस्तांतरित किये जायेंगे किन्तु उन कलिजों की स्थितियां, जो अब मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में तो थे, किन्तु अधिनियमों के बन जाने के पश्चात् आगरा से संबद्ध हुये संबिन्ध हो गयी। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियमों में उसकी भी गुन्जायश की जाय।

---

†३०, नवम्बर, १९६६ की कार्यवाही में छपा है :

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

ये दो विशेष आशय रहे हैं, जिनके कारण अध्यादेश पारित किया गया और उसको सदन के समक्ष विधेयक के रूप में उपस्थित किया गया और जो कुछ शंकायें इस दिशा में उठीं, उनका उसमें समावेश किया है ।

एक तीसरी महत्वपूर्ण बात इस विधेयक में रखी गयी है कि मूल अधिनियम के द्वारा शासन को यह अधिकार उपलब्ध हुआ था कि वे प्रथम परिनियम (स्टेट्यूटस) बना सकते थे । श्रीमन्, जैसा कि आपको जानकारी रही है, परिनियम बनाने में कुछ देरी लगती है और प्रथम विनियम बनने के पश्चात फिर किसी को उसमें संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । इसलिये इस विधेयक के द्वारा यह अधिकार लिया गया है कि जो आगरा विश्वविद्यालय के परिनियम, विनियम हैं आजकल वे सब उन संशोधनों, परिवर्धनों आदि के साथ लागू होंगे जब तक प्रथम स्टेट्यूट्स शासन की ओर से न बन जायें जिससे कि इन विद्यालयों को हस्तांतरित करने के तुरन्त पश्चात्

(इस समय ५ बजकर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

कोई वहां अभाव, वैकुअम पैदा न हो । इसलिये जो विनियम उस विश्वविद्यालय के हैं जिस विश्वविद्यालय में वह अब तक थे उसमें जिस संशोधन की आवश्यकता हो उस को रखते हुये यहां भी लागू किया जाय और उस के बाद जब तक प्रथम विनियम ऐसे न आयें । ये तीन विशेष बातें थीं जिसके लिये विधेयक को यहां लाना पड़ा । माननीय सदन इस बात को देखेगा कि कोई मूल परिवर्तन करने की इच्छा इस विधेयक के द्वारा नहीं है बल्कि जो एक अधिनियम बना था मेरठ और कानपुर के विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिये उन की स्थापना में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इस विधेयक को पारित करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन ।

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में उपधारा (३) के पश्चात निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(४) उपधारा (३) में उल्लिखित अलग-अलग क्षेत्रों या सीमाओं के भीतर स्थित ऐसे कालेजों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किए गये उक्त उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के अभिदेशों कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६, के प्रारम्भ होने के अभिदेश समझे गये हों ।"

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित नयी उपधारायें बढ़ा दी जायें" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

खंड २ का दूसरा संशोधन भी पढ़ दीजिये ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हुं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ४ में बढ़ाये जाने के लिये प्रस्तावित उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (५) बढ़ा दी जाय :

"(५) आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन किसी निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी कालेज के अध्यापक या प्रिंसिपल अथवा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि के रूप में आगरा यूनीवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य हो या रहा हो, उस दिनांक से ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा ऐसा सदस्य न रहा समझा जायगा ।"

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित नयी उपधारायें बढ़ा दी जायें" रख दिये जायं । तथा

खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ४ में बढ़ाये जाने के लिये प्रस्तावित उपधारा (४) के के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (५) बढ़ा दी जाय :

"(५) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन किसी निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी कालेज के अध्यापक या प्रिंसिपल अथवा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि के रूप में आगरा यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य हो या रहा हो, उस दिनांक से ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा ऐसा सदस्य न रहा समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

धारा ५० का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(कक) निदेश दे सकती है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन बनाये गये सभी या कोई भी परिनियम या अध्यादेश, ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारो के साथ, चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तब तक के लिए लागू होंगे जब तक कि उसी विषय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियम न बना दिये जायें :"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

नयी धारा ५१ और ५२ का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ५० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

कतिपय परिनियत संलेखों को अनुकूल बनाने और उन्हें परिष्कृत करने का अधिकार

"५१—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी परिनियत संलेख में, जो किसी विश्वविद्यालय के निगमन से संबद्ध किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश अथवा बनाया गया कोई नियम, परिनियम या अध्यादेश हो, ऐसे अनुषंगिक तथा प्रासंगिक अनुकूलन और परिष्कार चाहे वे परिवर्द्धन, संशोधन या लोप के रूप में हों, ऐसे दिनांक से कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें, और ऐसे किसी अनुकूलन या परिष्कार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुकूलित या परिष्कृत किसी परिनियत संलेख में परिवर्द्धन, संशोधन या उसका विखण्डन करने से रोकती है।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

स्नातकों के निबंधन के संबंध में विकल्प

५२—किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के स्नातकों को, जो किसी कालेज या संस्था में, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण बाद में, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर लिया जाय अथवा सम्बद्ध समझा जाय, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने अथवा शोध कार्य करने के पश्चात कोई डिग्री ले चुके हों अथवा एतदपश्चात लें, ऐसी डिग्री के आधार पर यह विकल्प होगा कि वे ऐसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार या तो अपने मूल विश्वविद्यालय के अथवा, यथास्थिति, कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के, किन्तु दोनों के नहीं, निबद्ध स्नातक हो जायें अथवा बने रहें और सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के परिनियमों में भी उन निबद्ध स्नातकों के निबन्धन को समाप्त करने की व्यवस्था की जायेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप से निबन्धन करा लेने के बाद कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातक होने के लिए उपर्युक्त के अनुसार विकल्प करते हैं।"

श्री उपाध्यक्ष—

खंड ४ में मेरे पास दो संशोधन एक ही प्रकार के हैं। एक श्री छत्रपति अम्बेश का है, दूसरा श्री बृजमोहन लाल गुप्त का है। जो भी इसे पेश करना चाहे, कर सकते हैं।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

मैं ही पेश करूंगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी जाने वाली नयी धारा ५२ की संख्या बदल कर उसे धारा ५२ (१) कर दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) बढ़ा दी जाय :

"(२) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो आगरा यूनिवर्सिटी के निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में उक्त यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने या रहा हो उस दिनांक से, जब वह उपधारा (१) में उल्लिखत विकल्प का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उक्त यूनिवर्सिटी का निबद्ध स्नातक न रह जाय, ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा सदस्य न रहा समझा जायगा।"

यह शाब्दिक संशोधन है। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी जाने वाली नयी धारा ५२ की संख्या बदल कर उसे धारा ५२ (१) कर दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (२) बढ़ा दी जाय :

"(२) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति जो आगरा यूनिवर्सिटी के निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में उक्त यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य हो या रहा हो उस दिनांक से, जब वह उपधारा (१) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उक्त यूनिवर्सिटी का निबद्ध स्नातक न रह जाय, ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा ऐसा सदस्य न रहा समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सख्या ८, १९६६ निरसन तथा अपवाद

५—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो कि यह अधिनियम २८ अक्तूबर, १९६६ को प्रवृत्त हुआ हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक तथा खंड १

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय का आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करन के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर सोमवार, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२ दिसम्बर, १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

[देखिए नियम ३० (४) के तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर।]

१—श्रीमती विद्यावती राठौर
२—श्रीमती चन्द्रप्रभा मिश्रा
३—श्रीमती विनोद कुमारी
४—श्रीमती शांता कुमारी
५—श्रीमती सुशीला चौहान
६—श्रीमती सरोज तिवारी
७—श्रीमती उर्मिला देवी
८—कु० केशव देवी यादव
९—श्रीमती माधुरी देवी
१०—श्रीमती निर्मला अग्रवाल
११—श्रीमती मार्गश्री देवी
१२—श्रीमती वेदकुमारी बाजपेयी
१३—श्रीमती कृष्णा कुमारी
१४—कु० चन्द्रकांता
१५—श्रीमती मिथिलेश कुमारी
१६—श्रीमती मुन्नी देवी
१७—श्रीमती मिथिलेश कुमारी
१८—श्रीमती रामलाली शुक्ला
१९—श्रीमती रामेश्वरी देवी
२०—श्रीमती कुसुम कुमारी सक्सेना
२१—कु० प्रकाशवती वर्मा
२२—श्रीमती मीरा श्रीवास्तवा
२३—श्रीमती ओमवती गुप्ता
२४—कु० रामकिशोरी
२५—श्रीमती लक्ष्मीदेवी वर्मा
२६—कु० विजयलक्ष्मी गुप्ता
२७—कु० पुष्पा पाल
२८—कु० कैलाशवती
२९—श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
३०—श्रीमती ओम् कृष्णा कुमारी
३१—श्रीमती प्रकाश देवी
३२—कु० तारा देवी
३३—कु० लुइसा गिलियर्ट सेन
३४—कु० सर्वेश बाला पाण्डे
३५—श्रीमती प्रेमदानी डालेला
३६—श्रीमती शशिप्रभा
३७—श्रीमती सावित्री देवी
३८—श्रीमती अखिल कुमारी
३९—श्रीमती जनक नन्दनी
४०—श्रीमती राजेन्द्री देवी
४१—श्रीमती सरोज कुमारी
४२—श्रीमती जावित्री देवी
४३—श्रीमती शारदा देवी मिश्रा
४४—श्रीमती विष्णुकांता देवी

प्रतीक्षा सूची

१—श्रीमती निर्मला देवी
२—श्रीमती उर्मिला देवी
३—श्रीमती नजीरा परवीन
४—श्रीमती मिथिलेश कुमारी
५—कु० कमला देवी
६—श्रीमती जगरानी देवी
७—श्रीमती शारदा देवी
८—श्रीमती प्रेमश्री
९—श्रीमती प्रेम कुमारी बाजपेयी
१०—श्रीमती कृष्णा देवी
११—श्रीमती सरला देवी
१२—कु० अमला खातून
१३—श्रीमती महेश्वरी देवी
१४—श्रीमती शोभा रानी
१५—श्रीमती प्रेमलता

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम ३० (४) के तारांकित प्रश्न सख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर ।)

१--विद्यावती राठौर
२--चन्द्रप्रभा मिश्रा
३--विनोद कुमारी
४--शांता कुमारी
५--सुशीला चौहान
६--सरोज तिवारी
७--उर्मिला देवी
८--केशव देवी यादव
९--माधरी देवी
१०--निर्मला अग्रवाल
११--मार्गश्री देवी
१२--वेद कुमारी बाजपेयी
१३--कृष्णा कुमारी
१४--चन्द्रकांता
१५--मिथिलेश कुमारी पुत्री श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
१६--मुन्नी देवी
१७--मिथिलेशकुमारी पुत्री श्री सोनेलाल पाठक
१८--रामलली शुक्ला
१९--रामेश्वरी देवी
२०--कुसुम कुमारी सक्सेना
२१--प्रकाशवती वर्मा
२२--मीरा श्रीवास्तवा
२३--ओम्वती गुप्ता
२४--राम किशोरी
२५--लक्ष्मी देवी वर्मा
२६--विजय लक्ष्मी गुप्ता
२७--पुष्पा पाल
२८--कैलाशवती
२९--अन्नपूर्णा देवी
३०--प्रकाश देवी
३१--तारा देवी
३२--लुइसा गिलवर्ट सेन
३३--सर्वेश बाला पांडेय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर।]

पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को सम्बोधित।

श्रीमान् शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे गए पत्र-संख्या एपी। ४ दिनांक ४ दिसम्बर, १९६५ के संदर्भ में जिसकी एक प्रतिलिपि आपके कार्यालय को भेजी गई थी निम्नांकित निवेदन है:

१—यह कि हम अध्यापकों का मार्च, ६५ से नवम्बर ६५ तक यानी लगभग ९ माह का वेतन जी० एस० वी० एस० इन्टर कालेज, महाराजगंज, (गोरखपुर) के जिम्मे बाकी है जिसका विवरण संलग्न है।

२—यह कि हम अध्यापकों ने श्री शिब्बनलाल सक्सेना, प्रबंधक उक्त कालेज से कई बार मौखिक रूप से बकाया वेतन देने के लिए प्रार्थना की और दिनांक २० सितम्बर, १९६५ और ८ नवम्बर, १९६५ को आवेदन-पत्र भी दिया, परन्तु उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।

३—यह कि हम अध्यापकों को जी० एस० वी० एस० इन्टर कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर से वहां के प्रबंधक श्री शिव्वन लाल के कुप्रबंधों, अन्याय पक्षपात पूर्ण नीति, स्वेच्छाचारिता, तानाशाही एवं वेतन न देने से विवश होकर त्याग-पत्र भी दे देना पड़ा जिसकी सूचनायें आपको भी भेजी जा चुकी हैं।

४—यह कि हम अध्यापकगण इस समय महाराजगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, नामक जूनियर हाई स्कूल महाराजगंज में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

५—यह कि हमारे त्याग-पत्र देने के बाद भी श्री शिव्बनलाल सक्सेना ने अब तक हम लोगों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया बल्कि हमारे स्कूल को धक्का पहुंचाने के लिए १४ दिसम्बर, १९६५ को अपने साथी अध्यापकों व गुन्डे आदमियों को साथ लेकर हमला करके फुंकवा दिया और एक झूठी रिपोर्ट करके हमारे स्कूल के कुछ अध्यापकों पर फर्जी मुकदमा भी चलवा दिया है।

६—यह कि उपरोक्त परिस्थिति में श्री शिब्बनलाल सक्सेना, प्रबंधक, जी० एस० वी० एस० इन्टर कालेज, महाराजगंज, से यह उम्मीद नहीं है कि वे हम अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान करेंगे। उनकी मौखिक घुड़कियों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे हम लोगों का बकाया वेतन भुगतान नहीं करेंगे।

७—यह कि श्री शिव्वन लाल सक्सेना, प्रबंधक उक्त कालेज ने शिक्षा संहिता तथा शिक्षा संशोधित अधिनियम का उल्लंघन करके अपने कालेज में ३७ अध्यापकों की नियुक्ति की है जिसकी पूर्व स्वीकृति आपसे नहीं ली गई है और वे उनका भुगतान कालेज की फी व सरकारी अनुदान से कर रहे हैं और हम लोगों का बकाया वेतन न दे रहे हैं न देना चाहते हैं।

८—यह कि खेद के साथ लिखना पड़ता है कि उपर्युक्त तथ्य की जानकारी श्रीमान् को भी है फिर भी शिक्षा संहिता की संशोधित धारा २९३ (५) के अनुसार सरकारी अनुदान से कटौती न करके उन्हें पूरा अनुदान दिया जा रहा है। इससे उनको इस बात का और भी प्रश्रय मिल रहा है कि वे बिला पूर्व स्वीकृति के अयोग्य एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां अपने कालेज में मनमाना ढंग से करते जा रहे हैं और जिसके फलस्वरूप वहां से योग्य, ट्रेंड तथा अनुभव प्राप्त अध्यापकों को लाचार होकर त्याग-पत्र देना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना है कि--

१--हम लोगों के बकाया वेतन की जो तालिका संलग्न है उसके अनुसार धनराशि की कटौती उक्त कालेज के अनुपालन अनुदान से करके आप द्वारा हम लोगों को भुगतान किया जाय ताकि हम लोग श्री शिव्वन लाल सक्सेना प्रबंधक उक्त कालेज द्वारा परेशान किए जाने से बच सकें।

२--यदि आप अथवा शिक्षा विभाग हम लोगों के बकाए वेतन का भुगतान करने या कराने में असमर्थ हों तो स्पष्ट रूप से सूचना दी जाय ताकि हम उचित कानूनी कार्यवाही कर सकें।

३--इस संबंध में अब तक जितनी भी दरख्वास्तें दी गईं उस पर क्या कार्यवाही शिक्षा विभाग या आप द्वारा की गई, उसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली। अतः यह भी निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही आप द्वारा की जाय उसकी भी सूचना हम लोगों को निम्न पते पर दी जाय।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(१) शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
(२) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(३) शिक्षा उप-संचालक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
(४) जिलाधीश महोदय, गोरखपुर।

पताः--

रामनारायण प्रसाद, एम०ए० एल०टी०,
ग्राम पोस्ट, महाराजगंज, (गोरखपुर)।

दिनांक ३ फरवरी, १९६६।

(ह०) राम नारायण प्रसाद,
भीम नारायण,
राम अवध पांडेय,
विद्यासागर एवं अन्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी० एस० वी० एस० इन्टर कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर पर बकाया वेतन की तालिका पत्र संख्या ए पी ६ दिनांक ३ फरवरी ६६ के साथ संलग्न ।

क्रम सं०	अध्यापक का नाम	त्याग-पत्र की तिथि	मार्च, १९६५ से नवम्बर, १९६५ तक का वेतन तथा महंगाई का महायोग रु०	पै०
१	श्री महेन्द्र नाथ द्विवेदी	१२-११-६५	४,८६८.	९७
२	श्री राम नारायण प्रसाद	१६-११-६५	२,३१०.	२३
३	श्री रघुवंश मिश्र	१९-११-६५	१,९११.	५३
४	श्री नवलकिशोर मिश्र	१६-११-६५	१,६८३.	४८
५	श्री गुलाब चन्द	१९-११-६५	१,६०१.	३८
६	श्री मदन मोहन मिश्र	१६-११-६५	१,५७८.	६८
७	श्री नागेन्द्र शर्मा	१६-११-६५	१,५७७.	४९
८	श्री भीम नारायण	१६-११-६५	१,४३६.	१३
९	श्री शिव कुमार पांडेय	१६-११-६५	१,४३५.	३५
१०	श्री विद्यासागर	१९-११-६५	१,४००.	०८
११	श्री योगेन्द्र प्रसाद पाठक	२५-११-६५	९३५.	००
१२	श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र	१९-११-६५	५७६.	००
१३	श्री ओंकारेश्वर मिश्र	२६-११-६५	९३५.	०७
१४	श्री विश्वनाथ गुप्त	२६-११-६५	९३५.	०७
१५	श्री मोतीलाल गुप्त	१९-११-६५	४३२.	००
१६	श्री वैद्यनाथ पाठक	२५-११-६५	१,२५२.	५१
१७	श्री पारसनाथ त्रिपाठी	१९-११-६५	९५०.	००
१८	श्री राम अवध पांडेय	२१-११-६५	९१०.	६६
१९	श्री राजकिशोर मिश्र	१९-११-६५	४१४.	००
२०	श्री भीमसेन प्रसाद	१९-११-६५	८२०.	२०
२१	श्री यंत्री प्रसाद तिवारी	१९-११-६५	७९६.	०६
२२	श्री अत्रिनारायण	२६-११-६५	८३६.	३५
२३	श्री सत्य नारायण मिश्र	२६-११-६५	३५३.	३३
२४	श्री रामसमुझ मिश्र (परिचारक)	१९-११-६५	४३८.	०८
	कुल योग		३०,३९७.	६७

कुल तीस हजार तीन सौ सत्तानवे रुपये सरसठ पैसे मात्र ।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर।)

तालिका

वर्ष	नाम व्यक्ति जिसे भूमि पट्टे पर दी गई	भूमि का क्षेत्रफल बीघों में	भूमिहीन था या नहीं	दिए गए नजराने की रकम
१	२	३	४	५
१९६१-६२	..	..	..	..
१९६२-६३	१—मुन्शी लाल	।।,	भूमिहीन थे	
	२—बाबूलाल	।।।, २	,,	२० रु०
	३—मोहन लाल	।।।, ३—, ३	,,	
	४—रघुराज सिंह	५,	,,	
	५—जगधर सिंह	४,	,,	
	६—पप्पू	२,	,,	
	७—शिव रामन सिंह	५,	,,	
	८—श्रीमती सहोद्रा देवी	।,—।, १	,,	
	९—विश्वनाथ सिंह	१।।।, २—३,	,,	
	१०—छंगू सिंह	१।।।, २	,,	
	११—पंचम सिंह	१।।।, २	,,	
	१२—काली चरन	२,	,,	
	१३—विन्दा सिंह	१।।,—।।,—१।।, ३।।, ४	,,	
	१४—सुमिरती देवी	७।, ४	,,	
	१५—शिवनाथ सिंह	।, १—, ४—, २—, ४ ।।।, ४—१, ४	,,	
	१६—रामेश्वर	२, १—१, १	,,	
	१७—शिवदीन	१,	,,	
	१८—तेजालाल	।।।,	,,	
	१९—हीरा सिंह	४,—१।।,	,,	
	२०—भागन	१।।।, २—, ३	,,	
	२१—सुरजन सिंह	।।,—।।, १	,,	
	२२—राम औतार	।।,	,,	
	२३—राम रतन	।, २	,,	१० रु०
	२४—माधव प्रसाद	१,	,,	२० रु०
	२५—श्रीपाल सिंह	।, ३—, १—।, २	,,	
	२६—राम भजन	।, १	,,	
	२७—लल्लू	।, १	,,	
	२८—शिव दत्त	१।।, ३	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष	नाम व्यक्ति जिसे भूमि पटटे पर दी गई	भूमि का क्षेत्रफल बोघे में	भूमिहीन था या नहीं	दिए गए नजराने की रकम
१	२	३	४	५
	२९—बाबूलाल	।।,	भूमिहीन थे	
	३०—प्यारे लाल	।।।,	,,	
	३१—बाबू	१,	,,	
	३२—सिद्धे सिंह	।, २	,,	
	३३—बराती लाल	,३—,१	,,	
	३४—श्रीमती चन्द्रकली	,२—,२—।।।,—४	,,	
	३५—चक्रपाणि	५।, १।	,,	
	३६—गया प्रसाद	५।, १	,,	
	३७—गिरजा शंकर	।।।, १।१०	,,	
	३८—विशंभरनाथ	।।।, १।१०	,,	
	३९—हाकिम सिंह	२।, ३	,,	
	४०—बलवन्त सिंह	।,	,,	
	४१—रघुनन्दन सिंह	।।।,	भूमिहीन नहीं थे।	१५ रु०
	४२—रामेश्वर प्रसाद	।।।,—।, ४—।।।,१ ,४—।।,२—, ३	,,	३० रु०
	४३—द्वारिका सिंह	१,—१, १—२।,४—३	,,	
	४४—सुबेदार सिंह	।।।, ३—।,	,,	
	४५—पन्नु सिंह	५,	,,	
१९६३-६४	४६—बाबू लाल	४।।,—३।।,१	भूमिहीन थे	
	४७—सादसुन	।।।,—।।,—।।,२ १।, ३	,,	
	४८—कृष्णा बहादुर सिंह	।।।,२—।।।,२—।।,२ ।।।, ३	,,	
	४९—बासुदेव व महेश प्रसाद	।।,१—।३	,,	
	५०—प्रा० स्कूल	४,	,,	
	५१—लल्लू	।।,	,,	
	५२—डा० राजेन्द्र प्रसाद जा० हा०	१०।, ३		
	५३—विन्ता प्रसाद	१, २—३	नहीं	३० रु०
	५४—रामेश्वर प्रसाद	१,—१।।,	नहीं	४६ रु०
१९६४-६५	५५—रामशंकर	१, १—१।,४—।।	भूमिहीन थे	
	५६—कन्हई सिंह	१।।, १—३,—१।।।,	,,	
	५७—आ० ई० आर० मी० विद्यालय।	१७।।,३	,,	
१९६५-६६	..	..	..	..

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३० (४) के तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर]

चीन तथा पाकिस्तान के साथ हुये युद्ध में प्रयाग जिले के वीरगति प्राप्त (काम में आये) जवानों का विवरण—

क्र० सं०	नाम	ग्राम तथा	तहसील
१	२	३	४
१	मेजर जिवेन्द्र प्रताप		चैल
२	कैप्टेन एस० के० माडवेल		,,
३	कैप्टेन मोहन सिंह		,,
४	फ्लाइट लेफ्टीनेन्ट वी० गुहा		,,
५	सिपा० द्रुविजय सिंह	कटरी	मंझनपुर
६	स्वीपर हरिद्वार सिंह	पाट	मेजा
७	मुहम्मद मजीर	मुस्तफाबाद	इलाहाबाद
८	मेजर वी० चटर्जी	—	हेवेट रोड, इलाहाबाद
९	कुक-सतेन्द्र नाथ मिश्रा	बांधपुर	सोरांव
१०	सिपाही कैलाश सिंह	जैसिंहपुर	,,
११	सरवेयर एस० एस० पिल्लई	—	७, माओरोड, इलाहाबाद
१२	मेजर चनान सिंह	—	३५ दरभंगा कोलोनी, इलाहाबाद
१३	सिपाही मोहन सिंह	मानपुर	करछना
१४	सिपाही राम कृष्ण	सराय शंकर	चैल

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९(४) के तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३७ पर]

जिला गोंडा

नाम ग्राम	क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसको भूमि दी गई	क्षेत्रफल जो दिया गया
१	२	३	४
मैसड़ी ..	१	बरकत उल्ला खां पुत्र मसरंग ..	०—६८
	२	हबीबुल्ला पुत्र नसरंग ..	०—६८
	३	नियामत पुत्र ओरियाजन ..	०—७०
	४	शिव प्रसाद पुत्र कुंजबिहारी ..	०—६८
	५	आधी पुत्र अंचल ..	०—६८
	६	मोहम्मद अली पुत्र यासीन ..	०—६९
खरगौरा ..	७	राम समुझ पुत्र रामहेत ..	०—३०
	८	बीपत पुत्र बुद्धु ..	०—५२
	९	जिलेदार पुत्र रियासत ..	०—७०
	१०	बदल पुत्र मतई	०—४४
	११	छोटेलाल पुत्र गोप्तार ..	०—४०
	१२	रामधीनी पुत्र गया प्रसाद ..	०—६४
	१३	राम धुर्व पुत्र सदल ..	०—३६
	१४	सुक्खा पुत्र फागू ..	०—३५
	१५	बटोही पुत्र जानकी ..	०—२१
	१६	जग प्रसाद पुत्र लालमन ..	०—५०
	१७	वाहिद पुत्र मासूम ..	०—५०
बेपुरवा ..	१८	मोहम्मद जाकिरपुत्र राजे ..	०—८४
	१९	फारुक अहमद पुत्र अली अहमद ..	०—९४
	२०	मसीहुदीन पुत्र मो० इब्राहीम ..	०—९३
	२१	सना ल्ला पुत्र सुलेमान ..	०—९३
	२२	रसूल पुत्र रमजान ..	०—९३
	२३	मो० इकबाल पुत्र मो० इब्राहीम ..	१—००
अम्हरिया ..	२४	श्री राम खेलावन पुत्र धरखन ..	६—२०
	२५	मो० रजा पुत्र अहमद खां ..	०—५७
	२६	घनश्याम पुत्र रामबरन ..	०—५८
नया नगर ..	२७	हरी नरनयन ..	१—००
	२८	मु० गुलशन जौजे गफ्फार ..	१—५०
	२९	श्याम सुन्दर पुत्र श्रीराम ..	१—००
	३०	अयोध्या पुत्र गुलनार ..	१—००
	३१	अब्दुल करीम पुत्र अलीजान ..	१—००
	३२	रईसें पुत्र नसीबुल ..	१—००
	३३	बुधई पुत्र अधीन ३.	१—००

१	२	३	४
नवानगर	३४—रामलाल पुत्र ननकऊ	..	१—००
	३५—भगवान पुत्र याकूब	..	१—००
	३६—छेदी उर्फ ऊर्धा पुत्र सुलेमान	..	०—९७
	३७—बहरेची पुत्र इन्तजाम	..	१—००
रतनपुर झिगहा पच-पेड़वा	३८—बहादुर पुत्र बैजू	..	०—२१
	३९—बैजनाथ पुत्र महाबीर	..	०—२१
	४०—गोले पुत्र रमई	..	०—२१
	४१—भगोती पुत्र रमई	..	०—२१
	४२—हजूरी पुत्र काली	..	०—२१
	४३—रामसमुझ पुत्र महाबीर	..	०—२१
	४४—भगोती पुत्र बिहारी	..	०—२१
	४५—जगन्नाथ पुत्र लछिमन	..	०—२१
	४६—खेलावन पुत्र अयोध्या	..	०—२०
	४७—बैजनाथ पुत्र लछमन	..	०—२१
	४८—गोमती पुत्र धिराऊ	..	०—२१
	४९—बाबू राम पुत्र जगन्नाथ	..	०—२१
	५०—कल्लू पुत्र तुलसी	..	०—२१
	५१—चिग्गू पुत्र अलगू	..	०—२१
	५२—राम समुझ पुत्र जगन्नाथ	..	०—२१
	५३—श्रीराम पुत्र भूसे	..	०—२१
	५४—श्याम लाल पुत्र खोमई	..	०—२१
	५५—सालिक राम पुत्र हितई	..	०—२१
	५६—मतई पुत्र बद्री	..	०—२१
	५७—उदेराज पुत्र बैजनाथ	..	०—२१
	५८—राम नाथ पुत्र जगन्नाथ	..	०—२१
	५९—इसराइल पुत्र महदी	..	०—२१
	६०—गणेश शंकर पुत्र रामसुमिरन	..	०—२१
	६१—कल्लू पुत्र सरजू	..	०—२१
	६२—साधू पुत्र बिरजे	..	०—२१
	६३—मगरे पुत्र अतवारी	..	०—२१
	६४—मोहन पुत्र सरजू	..	०—२१
	६५—राम वृक्ष पुत्र छबिलाल	..	०—१३
भगवानपुर तप्पा मथुरा	६६—राम औतार पुत्र छेदी	..	०—४०
	६७—गनपति पुत्र लोदुर	..	०—४०
	६८—घोसे पुत्र सुकई	..	०—४०
	६९—हरद्वार पुत्र प्रभु	..	०—४२
	७०—चिन्ने पुत्र लोदुर	..	०—४०
	७१—भागी पुत्र खेदू	..	०—४०
	७२—बुधई पुत्र साधू	..	०—४०
	७३—बुधई पुत्र ढोढ़े	..	०—४०
	७४—ढोढ़े पुत्र दुखी	..	०—३५
	७५—रामलखन पुत्र कंधई	..	०—३५

१	२	३	४
	७६—सालिक पुत्र गजाधर	..	०—३५
	७७—साहेब पुत्र महाबीर	..	०—३५
	७८—अनोखी पुत्र रामदास	..	०—३५
	७९—बाउर पुत्र जग्गन	..	०—५३
मुड़िला ..	८०—राम मनि पुत्र रामलखन	..	१—३१
	८१—खुमान फकीर	..	१—३१
	८२—दुखी पुत्र रामधोखे	..	२—००
	८३—काली प्रसाद पुत्र ढोढ़े	..	१—३१
	८४—महादेव प्रसाद पुत्र बाबू राम	..	२—००
	८५—लल्लू पुत्र स्वामीनाथ	..	१—३१
	८६—तुलशी पुत्र सन्ते	..	१—३१
जमुनी कलां तप्पा मथुरा	८७—द्वारका पुत्र बदल	..	१—०८
	८८—लौटन पुत्र अयोध्या	..	१—००
	८९—लालमन पुत्र दासे	..	१—०८
	९०—त्रिवेनी पुत्र तुलशी	..	१—००
	९१—राम दास पुत्र दर्शन	..	१—००
	९२—रामपति पुत्र दर्शन	..	१—००
	९३—जमलुद्दीन पुत्र मुन्शी	..	२—००
	९४—अब्दुलगनी पुत्र तैयब	..	२—००
	९५—द्वारका पुत्र टीहू	..	२—००
९	९५		६७—४१ एकड़

मेरा गाँव मेरा देश

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३० (४) के ता० प्र० सं० २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर]

राजकीय इन्टर कालेज, फतेहपुर—इन्टर १९६४ का रसायन विज्ञान का परीक्षाफल

अनुक्रमांक	नाम परीक्षार्थी			लिखित	प्रयोगात्मक	योग
१	२			३	४	५
				पूर्णांक ७०	पूर्णांक ३०	
४६५१६	अजय कुमार सिंह	..	..	४१	१८	५९
४६५१७	अनिल कुमार सिन्हा	..	..	१६	२३	३९
४६५१८	अरुण प्रकाश श्रीवास्तव	..	..	१२	१८	३०
४६५१९	अवध नारायण	..	..	१७	२८	४५
४६५२०	अशोक कुमार बाजपेयी	..	..	१९	१७	३६
४६५२१	अशोक कुमार श्रीवास्तव	..	..	१३	२०	३३
४६५२२	आनन्द स्वरूप	..	..	३९	२१	६०
४६५२३	ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव	..	..	३५	२२	५७
४६५२४	एहसान अहमद सिद्दीकी	..	..	१९	१८	३७
४६५२५	ओंकार नाथ गुप्त	..	..	१२	१६	२८
४६५२६	कुंवर बहादुर सिंह गौतम	..	..	५	१८	२३
४६५२७	गणेश शंकर	..	..	७	१८	२५
४६५२८	गिरीश चन्द्र	..	..	१०	१५	२५
४६५२९	चन्द्र कुमार पांडेय	..	..	६	२२	२८
४६५३०	चौधरी अजीमयार सिद्दीकी	..	..	२३	२१	४४
४६५३१	जगदीश प्रसाद	..	..	२२	१९	४१
४६५३२	जय सियाराम गुप्त	..	..	८	१८	२६
४६५३३	जुग्गी लाल	..	..	२६	२३	४९
४६५३४	तेज प्रकाश	..	..	३९	३०	६९
४६५३५	दयामय सैरहा	..	..	८	२२	३०
४६५३६	दया शंकर वर्मा	..	..	१५	२३	३८
४६५३७	देवी दीन	..	..	३९	३०	६९
४६५३८	देश दीपक रस्तोगी	..	..	६	१३	१९
४६५३९	नजीरउद्दीन खां	..	..	२१	२३	४४
४६५४०	ननकौना प्रसाद	..	..	१७	२१	३८
४६५४१	नरेन्द्र कुमार शर्मा	..	..	८	१७	२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२			३	४	५
४६५४२	नरेन्द्र वीर मानसिंह	..	..	२७	२४	५१
४६५४३	नरोत्तम सिंह गौतम	..	..	२६	२७	५३
४६५४४	नवीन चन्द्र श्रीवास्तव	..	..	३२	२१	५३
४६५४५	निर्मल कुमार शुक्ल	..	..	८	२१	२९
४६५४६	प्रेम नाथ सिंह	..	..	४६	१६	६२
४६५४७	बचान कैथल	..	..	१८	२३	४१
४६५४८	बृजेन्द्र सिंह	..	..	अनुपस्थित		
४६५४९	बाबू लाल	..	..	९	२८	३७
४६५५०	बेनी राम	..	..	२५	२४	४९
४६५५१	महेन्द्र कुमार रस्तोगी	..	..	११	९	२०
४६५५२	मुइजउद्दीन	..	..	ए	१५	१५
४६५५३	मोहम्मद नसीम खां	..	..	२५	२३	४८
४६५५४	मोहम्मद मुगनी	..	..	३४	१६	५०
४६५५५	मोहम्मद सलीम सिद्दीकी	..	..	२१	२१	४२
४६५५६	मोहम्मद सर्फुद्दीन खां	..	..	१७	२१	३८
४६५५७	मेवालाल सिंह	..	..	७	२३	३०
४६५५८	मोहन किशोर रायजादा	..	..	३४	२५	५९
४६५५९	याकूब अली	..	..	४	१५	१९
४६५६०	रघुनन्दन	..	..	१५	१३	२८
४६५६१	रणंजय सिंह	..	..	१०	१९	२९
४६५६२	रमा शंकर रस्तोगी	..	..	२८	२१	४९
४६५६३	रमा शंकर मिश्र	..	..	८	२७	३५
४६५६४	राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	..	..	९	२१	३०
४६५६५	राम कृपालसिंह	..	..	२३	२०	४३
४६५६६	राम गोपाल	..	..	११	१४	२५
४६५६७	राम बहादुर	..	..	५	२४	२९
४६५६८	राम दास	..	..	५	१४	१९
४६५६९	राम निवास सिंह	..	..	५	२२	२७
४६५७०	राम सजीवन	..	..	५०	२८	७८
४६५७१	लल्लू प्रसाद	..	..	ए	१३	१३
४६५७२	लाखन सिंह नरवरिया	..	..	५	२१	२६
४६५७३	वरुण शर्मा	..	..	१५	१४	२९
४६५७४	विजय स्वरूप रस्तोगी	..	..	१२	२०	३२
४६५७५	विनय कुमार अरोरा	..	..	२१	२५	४६

१	२			३	४	५
४६५७६	बिनोद कुमार श्रीवास्तव	..	..	१०	१३	२३
४६५७७	वेदप्रकाश	..	..	१५	१६	३१
४६५७८	श्याम बहादुर	..	..	८	१८	२६
४६५७९	श्रीराम तिवारी	..	..	१६	१६	३२
४६५८०	सहीरउल्ला खां	..	..	२९	१७	४६
४६५८१	शिव औतार	..	..	८	२६	३४
४६५८२	शिव कृपाल गुप्त	..	..	१९	१८	३७
४६५८३	शिव नन्दन तिवारी	..	..	२५	२३	४८
४६५८४	शिव लाल सिंह	..	..	१९	१६	३५
४६५८५	सन्तराम	..	..	१६	१८	३४
४६५८६	सन्तोष कुमार पांडेय	..	..	१२	१९	३१
४६५८७	शियाराम	..	..	३३	२२	५५
४६५८८	सुभाष चन्द्र रस्तोगी	..	..	११	२३	३४
४६५८९	सुशील कुमार	..	..	१३	१६	२९
४६५९०	सूर्य भान सिंह	..	..	११	२१	३२
४६५९१	सै० सर्फराज हुसैन रिजवी	..	..	१२	२०	३२
४६५९२	हबीबउल्ला खां	..	..	२०	१५	३५
४६५९३	हरी नारायण शुक्ल	..	..	१७	१४	३६
४६५९४	हरी लाल	..	..	२४	२१	४५
४६५९५	हरि शंकर वर्मा	..	..	१५	२१	३६
४६५९६	हेम शंकर तिवारी	..	..	२७	१६	४३

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची 'क'

उन विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष १९६५-६६ की कक्षा ७, ८ में पढ़ने वाली छात्राओं की फीस माफी से हुई क्षति पूर्ति का भुगतान मई, सन् १९६६ तक नहीं किया जा सका परन्तु इनके स्वीकृत आदेश विद्यालय द्वारा जुलाई, १९६६ में प्रेषित किया जा चुका है।

१—मथुरा उ० मा० वि०, नहरपुर
२—सत्य राम जू० हा० स्कूल, कल्यानपुर
३—ही० मे० उ० मा० वि०, भरोली
४—जू० हा० स्कूल, सियरही
५—जू० हा० स्कूल सराय वृन्दावन
६—जू० हा० स्कूल, टेघना
७—सर्वोदय उ० मा० वि०, गजियापुर
८—उ० म० वि०, बड़ागांव
९—जू० हा० स्कूल, भीभवर
१०—जू० हा० स्कूल, ठाकुरगांव
११—उ० मा० वि०, मारूफपुर
१२—उ० मा० वि०, अहरौला
१३—उ० मा० वि०, नदवासराय
१४—उ० मा० वि०, रेण्डा
१५—उ० मा० वि०, सर्वोदय नगर भाटीनगंज
१६—श्रीमती परमा देवी गर्ल्स जू० हा० स्कूल, सरवहा।
१७—जू० हा० स्कूल, बीबीपुर
१८—जू० हा० स्कूल, एदिलपुर
१९—जू० हा० स्कूल, कुरंगा
२०—उ० मा० वि०, कोपागंज
२१—जू० हा० स्कूल, नरियांव
२२—जू० हा० स्कूल, सठियांव
२३—जू० हा० स्कूल, करहा
२४—जू० हा० स्कूल, गम्भीरपर
२५—जू० हा० स्कूल, सोढरी
२६—उ० मा० वि०, अजानशहीद
२७—उ० मा० वि०, तहबरपुर
२८—उ० मा० वि०, ठेकया बिजौली
२९—उ० मा० वि०, कोइलसा
३०—उ० मा० वि० घोसी
३१—उ० मा० वि०, मोहम्मदपुर सगड़ी
३२—उ० मा० वि०, वलीदपुर।
३३—उ० मा० वि०, दोहरीघाट
३४—जू० हा० स्कूल, ऊंचागांव
३५—उ० मा० वि०, शेरपुर कुटी
३६—जू० हा० स्कूल, शाहपुर
३७—जू० हा० स्कूल, सजई सानजहांपुर
३८—उ० मा० वि०, चिरैयाकोट
३९—लोक शिक्षा परिषद् उ० मा० वि०, सरदी।
४०—जू० हा० स्कूल, नरसिंहपुर
४१—उ० मा० वि०, मालटारी
४२—जू० हा० स्कूल, कंथरापुर
४३—जू० हा० स्कूल, गदियापुर
४४—जू० हा० स्कूल, अवांव
४५—उ० मा० वि०, निजामावाद
४६—जू० हा० स्कूल, रैनी
४७—उ० मा० वि०, ललितपुर लुधुही
४८—उ० मा० वि०, कुन्डा कुचाई
४९—उ० मा० वि०, सिपाह
५०—उ० मा० वि०, डीहा
५१—उ० मा० वि०, दुबारी
५२—जू० हा० स्कूल, किशनदासपुर
५३—जे० बी० जू० हा० स्कूल, करहा
५४—गर्ल्स जू० हा० स्कूल, दुबारी
५५—जू० हा० स्कूल, फैजुल्लाहपुर
५६—जी० एस० उ० मा० वि०, दरगाह
५७—जू० हा० स्कूल, आतापुर
५८—जू० हा० स्कूल, बैरमपुर
५९—जू० हा० स्कूल, बगलोपिजड़ा
६०—जू० हा० स्कूल, अवन्ती गौरी
६१—स्मिथ उ० मा० वि०, आजमगढ़
६२—उ० मा० वि०, अदरी इन्दारा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची 'ख'

वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में कक्षा ६ की फीस माफी से हुई क्षतिपूर्ति न प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सूची, जनपद आजमगढ़ ।

१—जू० हा० स्कूल, महुला
२—जू० हा० स्कूल, मेसेपुर
३—जू० हा० स्कूल, अतरसावां
४—जू० हा० स्कूल, सोनाडीह
५—जू० हा० स्कूल, हरैया जमुवा सागर
६—जू० हा० स्कूल, भटौली
७—जू० हा० स्कूल, भगतपुर
८—जू० हा० स्कूल, वनदेवी
९—जू० हा० स्कूल, पिपरीडीह
१०—हरिजन गुरुकुल, दोहरीघाट

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची 'ग'

उन विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष १९६६–६७ के प्रथम त्रैमास की बालिकाओं की फीस माफी से हुई क्षतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :—

१—सोनी थामा गर्ल्स जू० हा० स्कूल, मऊ
२—जीवन राम, उ० मा० वि०, मऊ
३—उ० मा० वि०, घोसी
४—सर्वोदय उ० मा० वि०, गजियापुर
५—मदरसा निसवां उ० मा० वि०, पहाड़पुर
६—उ० मा० वि०, दोहरीघाट
७—उ० मा० वि० कुन्डा कुर्चाह
८—उ० मा० वि०, कोपागंज
९—उ० मा० वि०, मोहम्मदपुर सगड़ी
१०—उ० मा० वि०, निजामाबाद
११—डी० ए० वी० गर्ल्स जू० हा० स्कूल, मऊ
१२—मिथ उ० मा० वि०, आजमतगढ़
१३—डी० ए० वी० उ० मा० वि०, मऊ
१४—अग्रसेन कन्या पा० उ० मा० वि०, आजमगढ़ ।
१५—सुरा नन्दर उ० मा० वि०, मठ मोहम्मदपुर
१६—उ० मा० वि०, वलीदपुर
१७—उ० मा० वि०, तहवरपुर
१८—उ० मा० वि०, ठेकगा बिजौली
१९—उ० मा० वि०, कोइलया
२०—उ० मा० वि०, तरवा
२१—उ० मा० वि०, सिपाह
२२—उ० मा० वि०, तुलसीपुर
२३—उ० मा० वि०, मारूफपुर
२४—उ० मा० वि०, दरगाह
२५—उ० मा० वि०, अम्जानशहीद
२६—उ० मा० वि०, दुबारी
२७—उ० मा० वि०, अहरोला
२८—उ० मा० वि०, ललितपुर लुदुही
२९—उ० मा० वि०, मधुबन
३०—उ० मा० वि०, मालटारी
३१—वेस्ली उ० मा० वि०, आजमगढ़
३२—उ० मा० वि०, मेहनाजपुर
३३—उ० मा० वि०, सरवहा
३४—उ० मा० वि०, अदरी ईन्वारा
३५—एस०के०पी०, उ० मा० वि०, आजमगढ़
३६—उ० मा० वि०, मित्तूपुर
३७—गर्ल्स जू० हा० स्कूल, एलबल नगर-पालिका, आजमगढ़ ।

नत्थी 'ट'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री कमला सिंह यादव के प्रश्न संख्या १३ से सम्बन्धित तालिका

एग्रीमेन्ट की धनराशि	बान्ड (वर्क आर्डर) सप्लाई आर्डर का विवरण	ठेकेदार का नाम	एग्रीमेन्ट की तिथि	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	कुल भुगतान की तारीख
१	२	३	४	५	६
१—१६,४८५.११ रुपये	.. सं० ५२ डी० ई०	.. श्री रमई सिंह	.. २–१–६४	६–३–६५	४–१–६६
२—१,०००.०० रुपये	.. पी० डब्लू० ७ ए० ई०१	.. श्री नाथू राम	.. ९–७–६५	१२–१०–६५	३०-११-६५
३—१,८००.०० रुपये	.. पी० डब्लू०ए० सं०१४/ए०ई० १	श्री मुसाफिर राम	.. २२–७–६५	२५–२–६६	३०–३–६६
४—९६५.०० रुपये	.. पी० डब्लू० ए० सं०३/ए०ई०	.. ,,	६–२–६६	३१–५–६६	२२–८–६६
५—४१४.०० रुपये	.. ३९/१ एम	.. ,,	१६–२–६६	फरवरी ६६	२८–२–६६
६—२४१.३८ रुपये	.. १६३/९ ए	.. ,,	३१–५–६६	१४–६–६६	१–८–६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

जिसका उल्लेख विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६६) के ५वें शुक्रवार के लिये श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर में किया गया है

क्रम संख्या	गोंडा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अवधिकाल १-४-६१ से ३१-३-१९६६ तक में जिन विद्यालयों को हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की नवीन मान्यता प्रदान की गई उनके नाम	हाई स्कूल/इन्टर परीक्षा के लिये नवीन मान्यता का वर्ष तथा परीक्षा में सम्मिलित होने का वर्ष		वर्ष जिसमें विभिन्न प्रकार का अनुदान दिया गया हो	अनुदान की धनराशि तथा मदें जिसके लिये अनुदान दिया गया हो		
		मान्यता का वर्ष	परीक्षा का वर्ष		आवर्तक अनुपालन अनुदान	अनावर्तक अनुदान	मदें
१	२	३		४		५	
	हाई स्कूल						
१	तुलसी स्मारक हा० से० स्कूल, परसपुर, गोंडा	अगस्त, १९६१	१९६३ की परीक्षा से	१९६२–६३	४,७८०	२,०००	विज्ञान उपकरण
				१९६३–६४	३,०५४	१०,०००	
						१,२५०	भवन अनुदान सज्जा एवं काष्टोपकरण
				१९६४–६५	११,१४८		
				१९६५–६६	११,२६८		
२	गांधी विद्यालय हायर से० स्कूल, रेलवे कालोनी, बड़ा गांव।	जून, १९६२ ..	१९६४ „	१९६४–६५	७,३८०		
				१९६५–६६	८,७२४		
३	सुभाष हा० सेकेन्डरी स्कूल उमरी, बेगमगंज	अगस्त, १९६३	१९६५ „	१९६४–६५	७,९४४		
				१९६५–६६	१२,९२४		

१	२	३			४		५	
४	लोकमान्य तिलक हाई स्कूल पचपेड़वा ..	अगस्त, १९६३	१९६५	की परीक्षा से	१९६५–६६	१,००० रु०	..	..
५	महाराज देवी बक्स सिंह हा० से० स्कूल बबलेसर । ..	मई, १९६४ ..	१९६६	,,	१९६५–६६	५,९६४ रु०	..	..
६	श्री गांधी आदर्श विद्यालय हा० से० स्कूल खरगबाजार। ..	जुलाई, १९६४	१९६६	,,	..	..	..	..
७	जनता हा० से० स्कूल, अमदही ..	जून १९६४ ..	१९६६	,,				
८	नगरपालिका बालिका विद्यालय, नबाबगंज	मई, १९६५ ..	१९६७	,,				
९	जनता हा० से० स्कूल, कौडियाबाजार ..	अक्तूबर, १९६५	१९६७	,,				
१०	रमा शंकर भारतीय हा० से० स्कूल, मथुराबाजार।	जुलाई, १९६५	१९६७	,,				
११	स्वामी नारायण हा० से० स्कूल, छपिया ..	जुलाई, १९६५	१९६७	,,	१९६५–६६	१,०००	..	..
१२	महारानी देवेन्द्र कुंवर, बालिका विद्यालय बलरामपुर।	जुलाई, १९६५	१९६७	,,				
१३	बालिका विद्यालय हा० से० स्कूल, कर्नलगंज	जुलाई, १९६५	१९६७	,,				
१४	किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल, भमुवा जहांगिरवा	जुलाई, १९६५	१९६७	,,				
१५	श्री भगवती प्रसाद शुक्ल हा० से० स्कूल रेहराबाजार।	अगस्त, १९६५	१९६७	,,				
१६	भारतीय हा०से० स्कूल, उतरौला ..	अगस्त, १९६५	१९६७	,,				
	इन्टर							
१	तुलसी स्मारक हा० से० स्कूल, परसपुर ..	जुलाई, १९६४	१९६५	,,				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गैर अध्यापकों की मांगें

(१) विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुराने सिटी अलाउन्स तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान ।

(२) बुनियादी मंहगाई भत्ते का वेतन में सम्मिलित किया जाना ।

(३) पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना ।

(४) वेतन क्रम का पुनर्निर्धारण ।

(५) सेवा नियम बनाये जायं ।

(६) एथलेटिक एसोसियेशन के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय का कर्मचारी समझा जाय।

(७) कुल चौकीदार तथा माली आदि को साप्ताहिक छुट्टी दी जाय ।

(८) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायं ।

(९) बुक एटेन्डेन्ट्स तथा साइन्स कुली को टैक्नीकल श्रेणी का कर्मचारी समझा जाय तथा उनको टैक्नीकल का वेतन-क्रम देना स्वीकार किया जाय ।

(१०) उपार्जित अवकाश को समाप्त न करके अन्य वर्ग के कर्मचारियों की भांति चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का भी सुरक्षित रखा जाय ।

(११) विश्वविद्यालय होस्टल्स के कहार तथा गार्डन कुली आदि को स्थायी किया जाय ।

(१२) उच्च तथा निम्न पदों का अनुपात निश्चित किया जाय ।

(१३) अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी नगर भत्ता दिया जाय ।

(१४) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उच्च पदों पर स्थानापन्न नियुक्ति की जाय ।

(१५) मकान तथा नगर भत्ता सरकार के नियमानुसार दिनांक १-८-६५ से दिया जाय।

(१६) सरकार द्वारा मंजूर एडहाक बढ़ोत्तरी का भुगतान किया जाय।

(१७) सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी हो उसका समयानुसार दिया जाना।

(१८) विश्वविद्यालय के पास रुके हुए दन्ड तथा तरक्की आदि के मामलों का शीघ्र निबटारा किया जाय।

(१९) ग्रेड लिस्ट प्रकाशित की जाय ।

(२०) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन में बढ़े हुए दो रुपये का भुगतान किया जाय ।

(२१) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का नगर भत्ता २ रुपये से बढ़ाकर ५ रु० किया जाय।

(२२) १-८-६५ से दी हुई अन्तरिम सहायता को फिर से दिया जाय ।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

प्रेषक,

मंडलीय उप शिक्षा निदेशक,
सप्तम मंडल, गोरखपुर ।

सेवा में

प्रबन्धक,
शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुवन,
डाकखाना फतेहपुर ताल रतोय,
आजमगढ ।

संख्या जी ३१३६/१२, १०/ए–१३६–६१–६२ दिनांक २४–१०–६१ ।

विषय:—संस्था से बरखास्त (डिसमिस) किये गये अध्यापक श्री गौरीशंकर मल्ल का मामला।

महोदय,

उप शिक्षा निदेशक, सप्तम, मंडल, गोरखपुर के पत्र संख्या ९/५६८९/बारह १०–ए–१३६ दिनांकित १४–३–६१ को जि० वि० नि० आजमगढ़ को संबोधित एवं जिसकी प्रतिलिपि प्रबन्धक, शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुवन, आजमगढ़ को पृष्ठांकित थी में निहित आदेश के विरुद्ध शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुवन की प्रबन्ध समिति की ओर से एक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या ३९४/पांच (१) दिनांकित २२–३–६१ रजिस्टर्ड लिफाफा के अन्तर्गत जि० वि० नि० आजमगढ द्वारा उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर के कार्यालय को दिनांकित २२–४–६१ को भेजा गया ।

विचारार्थ प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मुख्य प्रश्न निम्नलिखित हैं :

१—शिक्षा संहिता (१९३८ संस्करण) के परिशिष्ट (अपेन्डिक्स) ५ पैरा ७(३) में किसी आरोप पत्र के प्रपत्र का उल्लेख नहीं है । पुनः श्री गौरी शंकर बरखास्त अध्यापक यदि आरोप संख्या ३ के आधार पर गवाहों के नाम की मांग किये होते तो उन्हें यह दे दिया गया होता ।

२—शिक्षा संहिता (१९३८ संस्करण) के परिशिष्ट ५ के पैरा ७ के अन्तर्गत बरखास्त अध्यापक को अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस कारण उनका उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर को की गई अपील किसी अधिक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

३—फिर भी यदि मामले पर शिक्षा संहिता (१९३८) संस्करण के परिशिष्ट ५ के पैरा १० के अन्तर्गत बिचार करना हो तो श्री गौरी शंकर मल्ल को तीन महीने के भीतर अपील करना चाहिये था । श्री मल्ल को २०–५–५६ को बरखास्त किया गया था जब कि उन्होने २९–१–५८ को अपील किया ।

४—उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर द्वारा मैनेजर को मैनेजमेन्ट की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं प्रदान किया गया था ।

इस कार्यालय के पत्र संख्या जी ५६८९/बारह १०/१–१३६१, दिनांकित १४–३–६१ द्वारा यह मान लिया गया था कि श्री जी० एस० मल्ल शिक्षा संहिता के परिशिष्ट ५ की धारा ९ के अन्तर्गत एक स्थाई अध्यापक थे । चूंकि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में यह प्रश्न मैनेजमेन्ट द्वारा विवादास्पद नहीं हैं श्री गौरीशंकर मल्ल की हैसियत एक स्थाई किन्तु नान एग्रीमेन्टेड अध्यापक की थी ।

इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में यह भी मान लिया गया था कि उक्त चार्जशीट संख्या ५०२/१ दिनांकित ३–५–६१ जो मैनेजर शहीद हा० सेकेन्डरी स्कूल, मधुवन द्वारा श्री

गौरीशंकर मल्ल पर तामील की गई थी, के आरोप संख्या (३) और (४) परिशिष्ट के पैरा ७ के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे ।

अब जहां तक उन प्रश्नों का संबंध है जो पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत की गई है, मुझे निम्नवत कहना है :

(१) जहां तक आरोप संख्या ३ का प्रश्न है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आरोप पत्र की शब्दावली संतोषजनक नहीं है। यह आशा की जाती है कि मैनेजर जो एक एडवोकेट भी हैं यह जानते हैं कि आरोप पत्र का प्रालेख किस प्रकार लिखा जाता है । इसलिये इस कथन की कि शिक्षा संहिता की परिशिष्ट ५ के पैरा ७ (३) में आरोप पत्र का कोई प्रपत्र नहीं है, इसकी कमी को युक्तिसंगत तर्क के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता ।

जहां तक आरोप संख्या (३) के गुणागुण का संबंध है श्री जी एस० मल्ल पर दिनांक ३–५–५६ को आरोप लगाया गया । उन पर आरोप पत्र दिनांक ४–५–५६ को तामील किया गया और आरोपों तथा श्री मल्ल के उत्तर पर बिचार करने के लिये दिनांक २०–५–५६ को एक विशेष मीटिंग बुलाई गई । उक्त तिथि पर श्री मल्ल को भी बुलाया गया। इस प्रकार मैनेजमेन्ट द्वारा इस मामले में पैरा ७ (३) के सभी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया ।

जहां तक आरोप संख्या (४) का संबंध है मैनेजर ने उनके विरुद्ध तथ्यों के छिपाने का आरोप लगाया है कि कथित अध्यापक (अ) दुराचरण (ब) अनधीनता (स) असन्तोषजनक कार्य के कारण (१) बरहज बाजार हा० से० स्कूल (२) भाटपार रानी हा० से० स्कूल, (३) मरूफपुर हा० से० स्कूल तथा (४) दुवारी हा० से० स्कूल से निकाला गया था। अध्यापक ने दुवारी तथा मरुफपुर के प्रमाणपत्र पेश किये हैं। अध्यापक के सर्विस बुक में यह उल्लेख किया गया है कि उसने बरहज बाजार और भाटपार रानी में काम किया था । अतः यह तथ्यों के छिपाने का मामला नहीं है । सभी चारों संस्थाओं ने यह प्रमाणित किये हैं कि अध्यापक का व्यवहार कालिजों में ठहरने की अवधि में अच्छा था । अतः इस आरोप में कोई बल नहीं है ।

(२) तथा (३) मैनेजमेन्ट द्वारा यह तर्क किया गया है कि शिक्षा संहिता की परिशिष्ट ५ के पैरा ७ के अन्तर्गत बरखास्त अध्यापक को अपील करने का अधिकार नहीं है। इस प्रश्न पर उक्त परिशिष्ट का पैरा १५ स्पष्ट है। श्री गौरी शंकर मल्ल चूंकि एक स्थाई अध्यापक हैं इसलिये उन्हें अपील करने का अधिकार है परन्तु क्योंकि एग्रीमेन्ट फार्म नहीं भरा गया था अतः उनके मामले पर रीजनल आरबिट्रेशन द्वारा बिचार नहीं किया जा सकता। यह मामला गुणागुण का है और उक्त परिशिष्ट ५ में अपील दायर करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है अतः इसके टाइम बार्ड हो जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

४—संस्था के प्रधानाचार्य, संस्था के मैनेजर तथा श्री गौरीशंकर मल्ल को बरखास्त अध्यापकों को आजमगढ़ दिनांक २३ जुलाई, १९६१ को बुलाया गया और उनकी एक साथ सुनवाई की गई । श्री गौरी शंकर मल्ल के अनुसार ६–२–५९ को कोई स्टाफ मीटिंग नहीं बुलाई गई थी । परन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि शहीद हायर सैकेन्डरी स्कूल, मधुवन, आजमगढ़ के स्टाफ के सदस्यों का कुछ माह का वेतन बकाया पड़ गया था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने प्रधानाचार्य से नोटिस बुक पेश करने का अनुरोध किया। प्रधानाचार्य ने बयान दिया कि दोपहर में मध्यावकाश के समय अध्यापकों से अध्यापक कक्षा में एक एक होने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उन्हें यह सूचित करने का निदेश हुआ था कि अध्यापकों को बकाया का भुगतान शीघ्र किया जायगा । प्रधानाचार्य ने आगे बयान दिया कि कागज का वह टुकड़ा जिस पर सूचना परिचालित की गई थी कहीं इधर उधर हो गया था और इसे पेश नहीं किया जा सकता। इस तथ्य के समर्थन में कि ६–२–५६ को वास्तव में स्टाफ मीटिंग हुई थी और प्रधानाचार्य और श्री गौरीशंकर मल्ल के बीच क्रोधपूर्ण, वाक्यों का आदान प्रदान हुआ था, प्रधानाचार्य ने ८ अध्यापकों का बयान जो उनके द्वारा दिनांक १८–५–५७ को प्राप्त किया गया था, भी प्रस्तुत किया ।

श्री गौरी शंकर ने आगे बयान दिया कि उसी तिथि को प्रधानाचार्य तथा श्री डाल सिंह द्वारा उकसाये जाने पर छात्रों ने श्री श्याम सुन्दर मिश्र, सदस्य, प्रबन्धक समिति पर आक्रमण कर दिया। प्रधानाचार्य ने यह कहा कि कुछ लड़कों तथा कुछ बाह्य व्यक्तियों ने श्री मिश्रा को स्कूल कैम्पस के बाहर न कि स्कूल के भीतर जैसा कि श्री मल्ल ने कहा पीटा था। श्री मिश्र ने स्टेशन इन्चार्ज, पुलिस स्टेशन मधुवन को लिखित रिपोर्ट दिया था जिसमें श्री गौरी शंकर मल्ल मुख्य अभियोग साक्षी थे। उस अपराधिक अभियोग के अभियुक्त निर्दोष बरी कर दिये गये थे। श्री गौरीशंकर मल्ल ने स्वीकार किया कि वह इस मुकदमें में अभियोग साथी थे।

मैनेजर ने कहा कि उपर्युक्त घटना ६-२-५६ की थी और अपाराधिक अभियोग कुछ समय तक चला और उन्हें जब यह अप्रैल १९५६ के अन्त तक जब उन्हें यह पता चला कि उस मुकदमें में अध्यापकों में से किसी का भी अभियोजन नहीं हो रहा है, तभी श्री मल्ल पर चार्जशीट लगा सकें।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्री मिश्र मैनेजमेन्ट में उस पक्ष से संबंधित थे जिसने उच्च न्यायालय में एक समावेश याचिका दायर किया था जिसमें श्री शिव शंकर मल्ल के संस्था के मैनेजर होने की वैधता की चुनौती दी गई थी और इसी कारण श्री गौरीशंकर मल्ल ने आरोप पत्र का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और न तो प्रबन्ध समिति के समक्ष उपस्थित होने की परवाह की, जिसकी बैठक उनके विरुद्ध लगाये गये चार्जशीट पर बिचार करने के लिये दिनांक २०-५-५६ को हुई थी, यद्यपि संस्था सभी समय श्री शिव शंकर मल्ल के प्रभावपूर्ण नियंत्रण में थी। श्री गौरी शंकर मल्ल ने दिनांक २९-१-५८ को अर्थात समादेश याचिका का श्री शिव शंकर का संस्था के मैनेजर होने के पक्ष में निर्णय होने के बाद एक अपील प्रस्तुत किया।

ये समस्त तथ्य यह पूर्णरुप स्पष्ट करते हैं कि श्री गौरीशंकर मल्ल, बरखास्त अध्यापक, मैनेजमेन्ट की राजनीति में भाग लेते थे। इसके अतिरिक्त न्यायालय के स्पष्ट रूप से दोषमुक्त किये जाने के सम्मुख उनका मैनेजिंग कमेटी के समक्ष यहां तक कहना कि प्रधानाचार्य ने लड़कों को श्री मिश्रा को पीटने के लिये भेजा। यह प्रदर्शित करता है कि श्री जी० एस० मल्ल ने प्रारम्भ से ही प्रधानाचार्य को फंसाने का प्रयत्न किया और इसलिये मैं प्रधानाचार्य तथा स्टाफ के आठ सदस्यों के कथन विश्वसनीय समझता हूं कि ६-२-५६ को स्टाफ मीटिंग हुई थी और श्री जी० एस० मल्ल तथा प्रधानाचार्य के बीच क्रोधपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान हुआ था।

मैनेजमेन्ट द्वारा प्रबन्ध समिति की दिनांक २०-५-५६ को हुई बैठक में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये एक अवसर श्री एस० मल्ल जी को दिया गया था परन्तु श्री जी० एस० मल्ल इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रहे, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें स्वाभाविक न्याय से वंचित किया गया था। संस्था के मैनेजमेन्ट द्वारा दिया गया एक पक्षीय निर्णय पूर्णतया नियमित था, और आरोप संख्या (३) उसके द्वारा पर्याप्त रुप से प्रमाणित है।

इस मामले के मौखिक बयानों, अभिलेखों और परिस्थितियों पर सावधानी पूर्वक बिचार करने के उपरान्त यह अब स्पष्ट है कि आरोप संख्या ३ अर्थात अनधीनता का आरोप बिना किसी सन्देह के प्रमाणित है और इसलिये इस कार्यालय द्वारा पारित आदेशों दिनांकित १४ मार्च, १९६० के खारिज किया जाता है। वस्तुतः मैनेजमेन्ट का श्री गौरीशंकर के डिसमिसल का आदेश संशोधित किया जाता है और इसे अब टरमिनेशन आफ सर्विस समझा जाय, क्योंकि मैनेजमेन्ट यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि श्री मल्ल का पूर्व का रिकार्ड खराब था।

भवदीय,

(ह०) आर० आर० लहड़ी,

उप शिक्षा निदेशक,

सप्तम मंडल, गोरखपुर।

संख्या एच० पी० ३१३६ (१) १३-१०/ए—१३६/६१-६२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

१—जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ।

२—श्री गौरीशंकर मल्ल, भूतपूर्व अध्यापक शहीद हा० से० स्कूल, मधुवन, आजमगढ़ ।

३—शि० वि० उ० प्र० इलाहाबाद को पत्र संख्या ४१०/१३-५-१/६१-६२ दिनांक २६-६-६१ के संदर्भ में सूचनार्थ ।

(ह०) आर० आर० लहड़ी,
उप-शिक्षा निदेशक,
सप्तम मंडल, गोरखपुर ।

विद्यान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५४ एल० ए०—१९६७—८४६ ।